लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र / **Seventh Session**]

Chamber Fumigated 18|X|23

Preservation Unit 17-7-94 Fumigated On 4 | 84 Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक 3. से 40 तक हैं / **Vol. XXVII contains Nos. 31 to 40**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 37 गुरुवार, 10 अप्रैल, 1969/20 चैत्र, 1891 (शक)
No. 37 – Friday, April 10, 1969/Chaitra 20, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
991.	सहकारी क्षेत्र में कृषि उत्पादकों का क्रय-विक्रय — Handling of Agricultural produce in the Co-operative Sector	1—4
992.	लाहौर से टेलीविजन पर पाकिस्तान का भारत-विरोधी प्रचार — Pak. Anti-India Propaganda televised from Lahore	5—9
993.	फिल्म उद्योग सम्बन्धी संविहित संगठन — Statutory organisation for Film Industry	9—10
994.	आकाशवाणी के हिन्दी प्रोग्राम — Hindi programmes of AIR	11—15
996.	सूचना तथा प्रसारण विभाग के फालतू कर्मचारी — Surplus staff in the Department of Information and Broadcasting	15—17
997.	दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की मजूरी — Wages of Shop Employees	17—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

994.	'जनसत्ता' तथा 'लोक सत्ता' को ऋण — Loans to 'Jansatta' and 'Loksatta'	19
998.	राज्यों में चतुर्थ योजना काल में बीज फार्मों की स्थापना — Establishment of Seed Farms in States during Fourth Plan	19—20
999.	उर्वरकों का आयात — Import of Fertilizers	20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1000. चौथी योजना काल में दिल्ली दुग्ध योजना का विकास	Development of Delhi Milk Scheme during Fourth Plan	20
1001. हिन्दी टेलीप्रिंटरों में सुधार	Improvement in Hindi Teleprinters	20—21
1002. कृषि आवश्यकता तथा पी० एल० 480	F. L. 480 for Agricultural needs	21
1003. जयपुर तथा भरतपुर खंड में सार्वजनिक टेलीफोन	Public call offices in Jaipur and Bharatpur Divisions	21
1004. राजस्थान में चीनी निकालने का संयन्त्र	Sugar Diffusion Plant in Rajasthan	22
1005. दिल्ली दुग्ध योजना के लिए कूरियन समिति	Kurien Committee on Working of Delhi Milk Scheme	22—23
1006. उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की ओर बकाया धन-राशि	Dues outstanding against Sugar Mills in U. P.	23
1007. विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजनायें	World Food Programme Projects	23—24
1008. खाद्यान्नों के परिवहन का ठेका	Contract for Transportation of Foodgrains	24
1009. दिल्ली तथा अन्य नगरों के बीच टैलेक्स सेवा	Telex Service between Delhi and other Cities	25
1010. कर्मचारी भविष्य निधि का कर्मचारियों को भुगतान	Payment of the Employees Provident Fund to the Workers	25—26
1101. सरकारी क्षेत्र में ट्रांसमिशन उपकरण बनाने के लिये एक कारखाने की स्थापना	Establishment of a Unit to Manufacture transmission equipment in the Public Service	26
1012. उर्वरक संवर्धन निगम	Fertilizer Promotion Corporation	26
1013. पत्रकारों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान	Payment to Journalists for the period of strike	27
1014. डाक तथा तार कर्मचारियों के नये संघों को मान्यता प्रदान	Recognition of new Unions of P. and T. Employees	27—28
1015. बेकार धरती को खेती योग्य बनाने के लिये भूमि विकास निगम	Land Development Corporation for reclamation of waste lands	28

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1016. बीकानेर की पालना कोयला खान का बन्द होना	Closure of Palana colliery, Bikaner	28
1017. स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative stamps on Swami Shradhanand	28—29
1018. केन्द्रीय मंत्री के पुत्र के विरुद्ध आरोप	Allegation against the son of a Union Minister	29—30
1019. बर्मा तामीज्हार पुनर्वास संस्था, मद्रास	Burma Tamizhar Rehabilitation Association, Madras	30—32
1020. अधिक फसल देने वाली पटसन की किस्मों का उत्पादन	Production of High Yielding Varieties of Jute	32
अतारांकित प्रश्न संख्या **U. S. Q. Nos.**		
5856. मध्य प्रदेश को चीनी का सम्भरण	Sugar Supply to Madhya Pradesh	32—33
5857. इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के कर्मचारी संघ को मान्यता	Recognition of the Employees Union of Indian Airlines Corporation	33
5858. मध्य प्रदेश में किसानों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने का कार्यक्रम	Farmers Training and Education Programme in Madhya Pradesh	33—34
5859. नई दिल्ली में ओल्ड राजेन्द्र नगर बस्ती	Old Rajinder Nagar Colony, New Delhi	34—35
5860. वार्षिक नाटक समारोह	Annual Drama Festival	35—36
5861. ओबरहौसेन अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह	Oberhausen International Film Festival	36—37
5862. जड़ी बूटियां	Medicinal Plants	37
5863. मन्दिरों, मस्जिदों आदि के डाक टिकट	al Stamps on Temples, Mosques etc.	37—38
5864. मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ तथा होशंगाबाद जिलों में छोटी सिंचाइ योजनाएं	Minor Irrigation Schemes in East Nimar and Hoshangabad (M.P.)	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5865. मध्य प्रदेश को अकालग्रस्त क्षेत्रों में वितरणार्थ मोटे अनाज की सप्लाई	Supply of coarse Grains to Madhya Pradesh for Distribution in Famine Areas	38—39
5866. मध्य प्रदेश में नलकूप	Tube-wells in Madhya Pradesh	39
5867. मध्य प्रदेश में कम गहरे नलकूप	Shallow Tube-wells in Madhya Pradesh	39—40
5868. श्रम अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Labour Officers	40—41
5869. प्रबन्ध विकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संकल्प की क्रियान्विति	Implementetion of the Resolution of International Labour organisation re-Management Development	41—42
5870. मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई के विकास तथा नये कुओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Minor Irrigation and new wells in Madhya Pradesh	42—43
5871. मद्रास तथा पांडिचेरी स्थित रेडियो स्टेशन	Radio Stations, Madras and Pondicherry	43
5872. कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission	43—44
5873. आकाशवाणी का 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम	Spotlight Programme of AIR	44
5874. संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम	National Programme of Music	44—45
5875. चीनी उद्योग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of the workers of the Sugar Industry	45
5876. प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर	Tractors in Use	45—46
5877. महाराष्ट्र को चावल की सप्लाई	Rice Allotment to Maharashtra	46
5878. दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार	Educated unemployed in Delhi	46
5879. गुजरात को चावल का नियतन	Rice supply to Gujarat	47
5880. गुजरात में कृषि विकास कार्यक्रम	Agricultural Development Programme in Gujarat	47

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5881. गुजरात में कृषि भूमि का कटाव	Erosion of Agricultural land in Gujarat	48
5882. गुजरात में मछली पकड़ने के बन्दरगाह	Fishing Harbours in Gujarat	48—49
5883. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पदों के लिये विज्ञापन	Advertisement of posts by the Public Sector Underiakings	49
5884. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/कार्यालयों का किराया	Rental for Godowns/Officers of Food Corporation of India	50
5885. श्रमिकों का प्रशिक्षण	Training of workers	50
5886. राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to States	50—51
5887. विविध भारती के कार्य संचालन के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into the working of Vividh Bharati	51—52
5888. उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाना	Sinking of tube-wells in Drought-stricken areas of U. P.	52
5889. गौबध	Cow-Slaughter	52—54
5890. राज्यों में भूमि का अधिग्रहण	Land acquisition in States	54
5891. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	Indian Telephone Industries	54
5892. माइलो के लिए दिया गया मूल्य	Price paid for Milo	54—55
5893. अन्नपूर्णा जलपान गृह के भवन में नया जलपान गृह	Cafeteria on the premises of Annapurna Cafeteria, New Delhi	55
5894. भारतीय खाद्य निगम द्वारा चने की वसूली	Procurement of gram by Food Corporation of India	
5895. सिकन्दराबाद से ट्रांसमीटर पकड़े जाना	Seizure of transmitters from Secundrabad	56
5896. खाद्यान्न का उत्पादन	Foodgrains production	56—57
897. उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों पर कर तथा शुल्क	Taxes and duties or Fertilizer and Pesticides	57
5898. वर्गीकृत उन का निर्यात	Export of Graded wool	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5399. उड़ीसा में लघु सिंचाई	Minor Irrigation in Orrissa	58—59
5900. डिब्रूगढ़ (आसाम) के लिए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर	100 KW Transmitter for Dibrugarh (Assam)	59—60
5901 मछियारों को मोटर-चालित नावें देने में विलम्ब	Delay in Supplying Motor-Boats to Fishermen	60
5902. अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्	All India Veterinary Council	60
5903. पश्चिम बंगाल में छटनी की घटनाओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय व्यवस्था	Tripartite Machinery to review the Incidents of retrenchment in West Bengal	60—61
5904. खाद्यान्नों का उत्पादन, वसूली तथा वितरण	Production. procurement and distribution of foodgrains	61—62
5905. आकाशवाणी के दैनिक कार्यक्रम में परिवर्तन	Changes in daily programme in AIR	62
5906. उड़ीसा को रासायनिक खाद की सप्लाई	Supply of Chemical Fertilizer to Orissa	63
5907. राजस्थान में पंचायत समितियों के मुख्यालयों में टेलीफोन लगाना	Telephones at the Panchayat Samiti Headquarters in Rajasthan	64
5908. राज्यों में नये स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना	Installation of new automatic Exchanges in States	64—65
5909. गणतन्त्र दिवस के लिए चलती फिरती टेलीविजन मोटरगाड़ी का आयात	Import of Mobile Television Van for Republic Day	65
5910. मनोरंजन कर से छूट प्राप्त चलचित्र	Films Exempted from Entertainment Tax	65—66
5911. सवाई माधोपुर जिले (राजस्थान) में सार्वजनिक टेली फोन	Public Call Offices in Sawai Madhopur District (Rajasthan)	66
5912. लालसोट (जयपुर) में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange at Lalsot (Jaipur)	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5913. उपभोक्ता भंडारों का कार्य संचालन	Working of Consumers Stores	66—67
5914. बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना और भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों का पुनर्स्थापन	Reclamation of waste land and Resettlement of Landless Agriculture Labourers	68
5915. मध्य प्रदेश के आकाशवाणी केन्द्रों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees working in AIR Stations in Madhya Pradesh	68
5916. कृषि इंजीनियरों की रोजगार स्थिति	Employment position of Agricultural Engineers	68—69
5917. कृषि इंजीनियरों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of the services of Agricultural Engineers	69
5918. पश्चिम बंगाल में नेशनल शूगर मिल्स, अहमदपुर की मशीनें	Machinery of National Sugar Mills Ahmadpur, West Bengal	69—70
5919. राज्यों में आटे की मिलों का कार्य संचालन	Working of Floor Mills in States	70
5920. संसद् सदस्यों को दिल्ली में कृषि योग्य भूमि का आवंटन	Allotment of Agricultural land to M.P.'s in Delhi	70—71
5921. यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा खाद्य सहायता	Food aid by Enropean Common Market Countries	71
5922. 'सर्चलाइट' के सम्पादक का राज्य के राज्यपाल के नाम पत्र	Non-delivery of letter from Editor Searchlight to State Governor	71
5923. बम्बई में तैयार की गई फिल्में	Films Produced in Bombay	72
5924. बंगाली चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट	Exemption to Bengali Films from Entertainment Tax	72—73
5925. कलकत्ता चलचित्रों के संबंध में मनोरंजन कर की छूट	Exemption of Entertainment Tax for Calcutta Films	73—74
5926. मद्रास में निर्मित फिल्में	Films produced in Madras	74—75
5927. फिल्मी गीतों पर प्रतिबन्ध	Ban on Film Songs	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5928. पायरेला द्वारा खराब किया गया गेहूँ	Wheat damaged by Pyrilla	76
5929. बम्बई सर्कल में अतिरिक्त तार निदेशक	Additional director of telegraphs in Bombay Circle	76
5930. राज्यों को चीनी का नियतन	Allotment of sugar to States	76—77
5931. चौथी पंचवर्षीय योजना में नये तार घर	New Telegraph Offices during Fourth Plan	77
5932. केरल में कारखाना श्रमिकों के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति	Appointment of bonus commission for Factory labourers in Kerala	77—78
5933. आकाशवाणी केन्द्र शेरतलाई, केरल	AIR station for Shertalai, Kerala	78
5934. रेलवे के श्रमिकों/कुलियों की दशा	Condition of Railway Labour/Porters	78—79
5935. तमिलनाडु में सूखा	Drought in Tamil Nadu	79
5936. सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर	Transistors for boosting Agricultural production in border areas	79—80
5937. दक्षिण भारत में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय	Food Corporation Offices in South India	80
5938. संचार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Medical re-impursement charges in communications department	80—81
5939. ट्रंक काल बुक करने के लिए टेलीफोन-चिटों का परीक्षण	Preservation of Telephone chits for booking trunk calls	81
5040. संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास परियोजना विशेषज्ञों द्वारा चम्बल क्षेत्र का जल संबंधी सर्वेक्षण	Hydrological survey of Chambal by United Nations Development programme experts	81—82
5941. राजस्थान में ऊबड़ खाबड़ भूमि को खेती योग्य बनाना	Reclamation of Revine lands in Rajasthan	82
5942. श्रमिकों के लिए मजूरी	Wages for Labourers	83
5943. डाक विभाग में 'गिरो' सेवा प्रणाली	Giro Service in the Postal Department	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5944. कुतरने वाले जन्तुओं पर नियंत्रण के लिये प्रायोगिक परियोजना	Pilot Projcct for Rodent control	83—84
5945. चुक्न्दर का उत्पादन	Production of beet root	84
5946. रूसी ट्रैक्टरों के लिए फालतू पुर्जों का आयात	Import of spare parts for Russian Tractors	84—85
5948. अनाज की फसलों की तुलना व्यापारी फसलों का उत्पादन	Production of cash crops vis-a-vis Food crops	85
5549. 'आंध्र प्रभा' आदि के लिए सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements for Andhra Prabha etc.	85
5950. द्वितीय टेलीफोन उपकरण निर्माण कारखाना	Second Telephone Equipment Manufacture Plant	85—86
5951. कृषि आयोग की स्थापना	Setting up of Agricultural Commission	86
5952. त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन	Food production in Tripura	86—87
5953. आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के लिए कार्यक्रम सलाहकार मंडल	Programme advisory board for All India Radio Station, Calcutta	87
5954. चुक्न्दर आदि से चीनी बनाना	Extraction of Sugar from Beet etc.	87—88
5955. बिहार में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Bihar	88
5956. साम्प्रदायिक भावना उभारने वाले समाचारों को प्रकाशित करने के बारे में संहिता	Code for printing news having communal bias	88
5957. आकाशवाणी का 'टुडे इन पार्लियामेंट' (संसद समीक्षा) कार्यक्रम	'Today in Parliament programme' of AIR	88—89
5958. दिल्ली और मद्रास के बीच टेलक्स सेवा	Telex services between Delhi and Madras	89

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5959.	रबी की फसल के अनाज की वसूली, संग्रह और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना / Procurement, storage and movement of Rabi Foodgrains	90
5960.	मार्च में हुई वर्षा का दिल्ली में फसलों पर प्रभाव / Effect of recent showers on crops in Delhi	91
5961.	गेहूँ का वसूली मूल्य / Procurement prices of wheat	91—92
5962.	रानीगंज कोयला क्षेत्र में पाकी की सप्लाई / Water supply in Raniganj coalfield	92
5963.	पश्चिम गोदावरी जिले में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र / Agricultural State Farm in West Godavari District	92
5964.	कृषि अनुसंधान पर व्यय की गई राशि / Expenditure on Agricultural Research	92—93
5965.	आकाशवाणी द्वारा प्रसारणों के लिए प्रयोग की जाने वाली संहिता / Code for use of All India Radio for Broadcasts	93
5966.	फिल्मी कलाकारों के लिए विदेशी मुद्रा / Foreign Exchange for Film Artistes	93—94
5967.	कीनिया के लिए भारतीय चलचित्र / Indian Films for Kenya	94
5968.	स्वयं डायल घुमा कर अन्य नगरों को टेलीफोन करने की व्यवस्था बिहार में लागू करना / Connecting Bihar with self Trunk-Dialing system	94—95
5969.	राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था / National Institute of Community Development	95
5970.	मुजफ्फरपुर तार इंजीनियरी डिवीजन का विभाजन / Bifurcation of Muzaffarpur Telegraph Engineering Division	95
5971	प्रमुख समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन / Government Advertisement to leading Newspapers	96
5972.	आकाशवाणी से 'टुडे इन पार्लियमेंट' कार्यक्रम / 'Today in Parliament programme' on A. I. R.	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5973. भारतीय खाद्य निगम द्वारा नमूनों को मोहरबन्द करना	Sealing of samples by Food Corporation of India	96—97
5974. भारतीय खाद्य निगम द्वारा जमानत की राशि का लौटाया जाना	Refund of security by Food Corporation of India	97—98
5975. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अधिक उपज देने वाली फसलें बोने का कार्यक्रम	High Yielding varieties programme in Fourth Plan	98
5976. विज्ञापन दरें	Advertisement Rates	98—99
5977. फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण मंजूर किये जाने की प्रक्रिया	Procedure for sanctioning of loan by Film Finance Corporation	99—100
5978. फिल्म उद्योग में आर्थिक संकट	Economic crisis in Film Industry	100
5979. फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से भेंट	Meeting with Film Industry delegates	100—101
5980. फिल्म 'परिवार' को मनोरंजन कर से छूट	Exemption from Entertainment tax to Film Parivar	101
5981. टेलीविजन के लिए सूक्ष्म तरंग	Microwave for Television	101
5982. रोजगार दफ्तरों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Employment Exchange	101—102
5983. पूर्वी सीमा सुरक्षा कार्यालय का टेलीफोन काट दिया जाना	Disconnection of Telephone of Eastern Border Security Office	102—103
5984. टेलीफोन निर्देशिकाओं का प्रकाशन	Publication of Telephone Directory	103—104
कलकत्ता में स्थिति के बारे में	Re-Situation in Calcutta	105
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	105
दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल के बारे में श्री के० के० शाह का वक्तव्य	Statement re-strike by Doctors of Delhi Hospitals Shri K. K. Shah	105—106

U. S. O. Nos.	Subject	Pages
नियम 388 के अन्तर्गत संविधान (बाइसवाँ संशोधन) विधेयक, के बारे में प्रस्ताव	Motion under rule 388 re-Constitution (Twenty-second) Amendment Bill	106—109
संविधान (बाइसवाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	109—110
पुरस्थापित	Introduced	110
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	110 – 134
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation	110
श्री रमेश चन्द्र व्यास	Shri Ramesh Chandra Vyas	110—111
श्री ना० रा० पाटिल	Shri N. R. Patil	111
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	111—114
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	114—115
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	115—116
श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K. M. Kaushik	116—118
श्री को० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana	118—120
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	120—121
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	121—122
श्री शारदा नन्द	Shri Sharda Nand	122—123
श्री भा० दा० देशमुख	Shri B. D Deshmukh	123
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	123—124
श्री गा० शं० मिश्र	Shri G S. Mishra	124—125
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	125—126
श्री अहमद आगा	Shri Ahmad Aga	126—127
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	127—128
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	128
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	128—129
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	129—130
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S M. Krishna	130
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	130—131
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	131
श्री मुद्रिका प्रसाद	Shri Mudrika Prasad	131—132
श्री य० आ० प्रसाद	Shri Y. A.P rasad	132—133
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	133
श्री विश्वनाथ पान्डेय	Shri Vishwanath Pandey	133
श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	133—134

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 10 अप्रैल, 1969/20 चैत्र, 1891 (शक)
Thursday, April 10, 1969/Chaitra 20, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सहकारी क्षेत्र में कृषि उत्पादकों का क्रय-विक्रय

*991. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय का कार्य सहकारी क्षेत्र को सौंपने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) इस समय सहकारी क्षेत्र द्वारा वस्तुवार कृषि उत्पादों की कितनी-कितनी मात्रा का क्रय-विक्रय किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट योजना नहीं है ।

(ख) सहकारी वर्ष 1967-68 में सहकारी क्षेत्र ने 462 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज का व्यापार किया था, जिसमें 163 करोड़ रुपये के खाद्यान्न और 180 करोड़ रुपये का गन्ना था । उक्त वर्ष सहकारी क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के किये गये व्यापार की मात्रा 24 लाख मीटरी टन थी । चीनी कारखानों के माध्यम से किए गए गन्ने के व्यापार की मात्रा 63.6 लाख मीटरी टन थी । जिन अन्य प्रमुख वस्तुओं का व्यापार किया गया वे ये हैं—लगभग 55 करोड़ रुपये के मूल्य की कपास, 8 करोड़ रुपये के मूल्य के तिलहन, 10 करोड़ रुपये के मूल्य के फल तथा सब्जियां और 15 करोड़ रुपये के मूल्य की बागानी फसलें ।

Shri Sitaram Kesri : In a seminar held recently the hon. Home Minister stated that during the last year of the Fourth Five Year Plan 8 Million tonns of grain and 5 Million tonns of fruits and cotton would be handled by the Government. It was also stated by him that the large number of Co-operative societies would be formed in the country and

through those societies such a huge quantity of grains would be possible to be dealt with Mr. speaker, sir, almost all of us have got the complainst against the Co-operative socities regarding the prevelent corruption in them If the Government purchases foodgrains direct from the farmers and deals in grains through the Co-operative socities. I am afraid that 30 lakhs of small traders and the shopkeepers of our country will be affected. May I know, in this context, the steps proposed to be taken for the welfare of there traders and at the same time whether the Government would be able to undertake and fulfil such a large scale dealing during the end of the Fourth Five Year Plan ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 900 करोड़ रुपयों के मूल्य के कृषि उत्पादों का विपणन संस्थाओं के माध्यम से क्रय-विक्रय करने का अनुमान है । यह भी प्रस्ताव है कि गहन कृषि वाले क्षेत्रों में कुछ संस्थाएं बनाई जांय तथा उन्हें सशक्त किया जाय जिससे कि वे उन क्षेत्रों में बढ़ी हुई पैदावार का भार उठा सकें । ऐसे क्षेत्रों में अच्छी क्रय-विक्रय करने वाली संस्थाओं को बनाने का प्रस्ताव है । हम योजनायें इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी वर्तमान योजनाएं भी चलती रहेगी । जैसा कि मैं कह चुका हूं हम संस्थाओं की रचना गत कमियों के तथा वित्तीय अयोग्यताओं को समाप्त करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रंगा : भ्रष्टाचार के बारे में क्या होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : विवरण संस्थाओं की अन्य बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि अब तक हमारे यहां 3000 से भी अधिक प्राथमिक विपणन संस्थायें हैं ।

Shri Sitaram Kesri : You started co-operative movement among the farmers but it failed. The co-operative system neither exists in industries nor in agriculture. Now the proposed scheme of the Government will certainly render 30 lakhs of small traders and shopkeepers jobless. They will become idle and there of dealing in oil seeds, ground nut, grains and plantation produce will be ceased. I am also one of the supporters of the co-operative movement but I am worried about the 30 lakhs of traders and shopkeepers who will become unemployed. How will you accommodate those people ?

श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी : उन व्यापारियों के लिये भी बड़ा क्षेत्र है । किन्तु उक्त प्रश्न विवरण संस्थाओं से सम्बद्ध है तथा अभी भी इन संस्थाओं से क्रय विक्रय किये जाने वाले कृषि उत्पाद की मात्रा बहुत कम है । अतः इस मामले में माननीय सदस्य को निजी व्यापारियों के माननीय सदस्य को निजी व्यापारियों के बेरोजगार होने के बारे में चिंचित होने की आवश्यकता नहीं है । जहाँ तक विपणन संस्थाओं के कार्य के बारे में प्रश्न है हमने राज्य सरकारों तथा सहकारी संस्थाओं को विभिन्न उपाय सुझाये हैं जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं को समेपित तथा सशक्त किया जा सके ।

श्री रंगा : यह सर्वमान्य बात है कि विशेषकर सहकारी विवरण में कार्य कुशलता का अभाव, कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार तथा पक्षपातपूर्ण रवैया और राजनीति प्रतिव्याप्त है । सहकारी ऋण संस्था की अपेक्षा इस संस्था को सम्भालना और भी कठिन है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता करने की आवश्यकता पर विचार किया है । इन सहकारी संस्थाओं में कार्य कुशलता को बढ़ाने, पक्षपातपूर्ण रवैये को समाप्त करने तथा एकाधिकार जैसी बुराइयों को वहां न पनपने देने के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखने के लिये कि अन्य निजी

व्यापारियों के साथ ये संस्थाएं वास्तविक प्रतियोगिता करेंगी तथा अधिक उत्पादन में सहयोग देंगी, सरकार ने अपनी जितनी सेवा क्षमताओं में विकास किया है क्या उसके साथ राज्य सरकारों को वह सहायता देगी ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने इन विपणन संस्थाओं को सशक्त बनाने के ध्यान से राज्य सरकारों को बहुत से उपाय सुझाये हैं। अन्य सुझावों के साथ हमने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे शीर्ष स्तर पर अनुवर्द्धक और निर्धारण सैल बनाएं। हम उन्हें प्रबन्ध सम्बन्धी तथा अन्य पदों के निर्माण करने तथा ऊंची सेवाओं का पूल बनाने के लिये राजसहायता भी देते हैं। हम इन सभी उपायों को करने में भाग लेते हैं जिससे कि विवरण संस्थाएं सशक्त हो जाएं तथा वे भविष्य में प्रभावशाली रूप में कार्य करने लगें।

श्री रंगा : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या ये संस्थाएं निजी व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता करेगी जिससे कि उत्पादकों को अच्छे मूल्य मिल सकें क्योंकि जब इन दोनों में प्रतियोगिता होगी तो उत्पादक को अधिक मूल्य मिलना स्वाभाविक है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जिन राज्यों में पंजाब और हरियाणा के समान नियमित बाजार हैं वहां हमने इस मामले में कार्यवाई कर ली है। वहां 80 प्रतिशत उत्पाद खाद्य निगम या सरकारी एजेंसी और सहकारी विवरण संस्थाएं लेती हैं तथा शेष 20 प्रतिशत निजी व्यापार को छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी व्यापारी भी बोली में भाग लेते हैं। अतः किसानों के हितों की रक्षा हो जाती है। जैसा कि सभा को विदित है चावल तथा गेहूँ को छोड़कर अन्य अनाजों पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं हैं। इस प्रकार कृषक के हितों की रक्षा विद्यमान है क्योंकि दोनों क्षेत्रों में प्रतियोगिता रहती है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार को यह विदित है कि वस्तुओं के सुरक्षित रखने के लिए स्थान की कमी तो अन्य सुविधाओं की कमी और प्रबन्धकों में कार्यकुशलता के अभाव के कारण ही इस सहकारी विवरण संस्थाओं की यह कठिनाइयां झेलनी पड़ रहीं हैं ? सरकार इस मामले में क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच है कि भाण्डागार सुविधाएं पूरी नहीं हैं। विपणन संस्थाओं को गोदाम सम्बन्धी सुविधाओं के लिये उन्हें राज सहायता तथा ऋण देने की सरकार की योजना है। सम्वर्गों के बनाने के बारे में भी सरकार इन संस्थाओं को सहायता देती है जिससे कि वे सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जांय।

Shri Jageshwar Yadav : Mr. speaker sir, I observe that the kind of benefit is being enjoyed by the farmers due the creation of these marketing societies. These co-operative societies are dishonest. Actually, the profit earned by these societies is misappropriated by the supervisors and inspector, employed in them. Credits are advanced to the others persons in the name of the farmers and ultimately that money is utilised by themselves. Due to these societies the farmers have been gradually indulging in debt and they are being benefited a least. In the circumstances I want Io know the steps being proposed by the Government to tackle this situation.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यदि इन सहकारी समितियों में कोई बुराई है तो उससे

निपटने के लिये कानून बनाए हुए हैं। इस मामले में राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिएं तथा रजिस्ट्रार को भी स्थिति से निपटने के लिये बहुत अधिकार दिए गए हैं। **(व्यवधान)** फिर भी यदि गबन या दुर्विनियोजन की कोई विशेष घटनाएं हुई हैं तथा माननीय सदस्य सरकार का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहते हैं तो उन पर अवश्य कार्यवाई की जाएगी ....**(व्यवधान)**

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वास्तव में जनता की अच्छी सेवा करने, उत्पादकों को अच्छे मूल्य देने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने और यथा सम्भव मुनाफाखोरी को कम करने के बारे में सरकार ने अच्छे उपाय किये हैं। इस प्रकार के उपायों से क्या विपणन समितियों का विस्तार करने का उचित समय नहीं आ गया है तथा इससे छोटे व्यक्तियों तथा अन्य इस काम में लगे लोगों के व्यवसाय समाप्त नहीं हो जायेंगे ? और यदि सरकार मानती है कि हां ऐसी स्थिति आ गई है तो क्या लोगों की कुशलता तथा उनकी सेवा का लाभ उठाया जाएगा जिससे कि यह एक सम्मिलित कार्यक्रम बन जाय ? यदि इन व्यक्तियों को इन समितियों में ले लिया जाता है तो विपणन समितियां अधिक व्यवस्थित हो सकती हैं तथा ये बड़ी कुशलता से कार्य कर सकती है जिससे जनता की अधिक सेवा हो सकती है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इन विपणन समितियों के बनाने का एक लक्ष्य यह भी है कि इनमें प्राथमिक किसानों को सम्बद्ध किया जाय जिससे उन्हें अपने उत्पाद के पर्याप्त मूल्य मिल सके। वास्तव में हम दलालों को बीच से हटाना चाहते हैं। यदि इन समितियों के क्रय विक्रय कार्यों से छोटे व्यापारी इस क्षेत्र से निकल जाते हैं तो उनके लिये अन्य बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। किन्तु विपणन समितियों का मूल ध्येय यह है कि प्राथमिक कृषकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें उनमें सेवाओं में उन्हें अपने उत्पाद के उचित मूल्य दिलाना विशेषकर सम्मिलित है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं यह जानना चाहता था कि जो व्यक्ति इन उपायों से कारोबार-रहित हो जायेंगे उनकी सेवाओं को आप किस प्रकार उपयोग में लायेंगे ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अभी वह समय नहीं आया है. . . .**(व्यवधान)** यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय के लिये मेरा सुझाव है कि ऐसे बहुत से सहकारी कार्यव्यापार है जिन्हें वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चला सकते हैं। किन्तु प्राथमिक कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के अत्यावश्यक लक्ष्य को त्यागा नहीं जा सकता। अनेक ऐसे सहकारी संस्थान हैं जिनमें ये व्यापारी जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० सुशीला नैयर

डा० सुशीला नैयर : जहां तक.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अगला प्रश्न पूछने को कह रहा हूँ।

डा० सुशीला नैयर : जी, अच्छा ; प्रश्न संख्या 992।

लाहौर से टेलीविजन पर पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार

*992. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से पाकिस्तान द्वारा लाहौर से टेलीविजन, के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लोग भारतीय टेलीविजन सैटों पर जो लाहौर के निकट अमृतसर तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे हुए हैं, पाकिस्तान द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को देखते तथा सुनते हैं ;

(ग) क्या उन स्थानों पर टेलीविजन रखने पर प्रतिबन्ध लगाने का भारत सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या अन्य उपयुक्त कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हां ; पंजाब में 17 टेलीविजन सैट हैं जिन पर लाहौर केन्द्र से टेलीकास्ट किये गये कार्यक्रम देखे जा सकते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) वर्तमान कानून के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त सरकार की राय में इस प्रकार के प्रतिबन्ध से कोई लाभ नहीं होगा ।

डा० सुशीला नैयर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान लगातार घातक प्रचार कर रहा है तथा हमारे देश में भी वह ऐसा प्रचार कर रहा है हम जानना चाहते हैं कि सरकार के ध्यान में कौन से अन्य उपाय हैं जिससे पाकिस्तान के विशैले प्रचार के प्रति उसी सरकार के कार्य किये जा सकें ? क्या सरकार उन स्थानों के लिये कुछ टेलीविजन कार्यक्रम चलाने की सोच रही है जिन स्थानों के देशवासी पाकिस्तान द्वारा प्रसारित होने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों को देखते हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : इन क्षेत्रों में कोई टेलीविजन केन्द्र नहीं है ; अत: उनके लिये अच्छा टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रश्न ही नहीं है । जहां तक पाकिस्तान के विशैले प्रचार का सम्बन्ध है हमें इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दृढ़ता के प्रति पूरा विश्वास है ।

डा० सुशीला नैयर : अपने व्यक्तियों के स्वस्थ विवेक के प्रति विश्वस्त रहना बहुत अच्छा है । किन्तु हमें यह भी जानना चाहिये कि हमारे बहुत से देशवासी बिलकुल भोले हैं तथा बहकावे में आ सकते हैं । इसी कारण से हम भद्दे समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाने की सोच रहे हैं । यह

समाचार पत्र विशैला तथा साम्प्रदायिक की उभारने वाला प्रचार करते हैं। प्रचार कार्य के लिये टेलीविजन और भी अधिक सक्षम साधन है। अतः क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारे देशवासियों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का विष इस साधन से न भरा जा सके ? बजाय इस साधन से अपने व्यक्तियों की स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने के इस साधन का उपयोग अच्छे तथा जानकारी कार्य के लिए होना चाहिए।

श्री इ० कु० गुजराल : टेलीविजन की प्रचार क्षमता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। किन्तु कठिनाई यह है कि पंजाब में केवल 17 टेलीविजन सैट हैं। लाहौर से लगभग केवल 3 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित होता है। हमने इस कार्यक्रम की परीक्षा की है और उस आधार पर यह कार्यक्रम अधिकतर मात्रा में मनोरंजन पूर्ण होता है। इसका थोड़ा सा अंश प्रचार कार्य के अन्तर्गत आता है। किन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षिक करना चाहता हूं कि हजारों रेडियो सैट वहां हैं तथा पाकिस्तान भारत विरोधी प्रचार पर अपनी शक्ति से ध्यान दे रहा है। फिर भी हमने जब भी परीक्षा की है तो यही पाया है कि पाकिस्तान के किसी भी प्रकार के प्रचार का प्रभाव हमारे व्यक्तियों पर नहीं पड़ता।

श्री क० लकप्पा : भारत सरकार के लिये यह नितांत अपमान-जनक बात है कि वह शत्रु देशों को हमारे सीमान्त प्रदेशों में प्रभावकारी भारत-विरोधी प्रचार करने का अवसर देती है। भारत सरकार का ध्यान इस ओर केवल एक दो ही नहीं दिलाया गया अपितु हम लगातार उसका ध्यान इस ओर दिलाते रहे हैं। मन्त्री महोदय का यह कहना कि इस प्रचार का हमारे देश वासियों पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री लकप्पा : हम जानते हैं कि बहुत से गुप्त टेलीविजन सैट सीमान्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जब हमारी ओर से इन क्षेत्रों के लिये कोई टेलीविजन सेवा नहीं है तो सरकार इन गुप्त टेलीविजन सैटों को वहाँ क्यों चलने दे रही है। इन सैटों के माध्यम से शत्रु देश भारत विरोधी प्रचार करने में समर्थ होते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रचार गुप्त टेलीविजन सैटों को कार्य करने से रोकने के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नियमों में संशोधन करेगी जिससे हमारे सीमा क्षेत्रों तथा वहाँ पर नियुक्त सुरक्षा सेनाओं को इस प्रचार से बचाया जा सके ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक सीमा क्षेत्रों का सम्बन्ध है भारत सरकार उनके स्वतन्त्र समाज में भारी आस्था रखती है। सरकार का विचार है कि स्वतन्त्रता की रक्षा तभी हो सकती है जब लोगों की स्वतन्त्रता में बाधा न डाली जाय। अतः हम लोगों को इस बात की अनुमति देते हैं कि वे इस बात को स्वयं पहचाने तथा निर्णय करें कि उनके लिये क्या हितकर है तथा क्या अहितकर है। किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध ने कभी किसी बात को पूर्णतः रोका नहीं हैं, केवल लोगों का दृढ़ विश्वास ही उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री महोदय स्वतन्त्र समाज की बात कह रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हम जानते हैं कि स्वतन्त्र समाज क्या है। हमें यह भी ज्ञात हैं कि लोगों पर बिना मुकदमा चलाये

उन्हें जेलों में कैसे ठूंस दिया जाता है। किन्तु मेरी स्वतन्त्र समाज के प्रति आस्था यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि लोगो को विद्रोह के लिये अनुमति दे दी जाय। भारत विरोधी प्रचार के विरुद्ध करने में मंत्री महोदय लोगों की देश भक्ति की दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। पाकिस्तान लगातार हमारे देश के सम्मान को कलंकित करने का प्रयत्न कर रहा है। क्या सरकार ने टेलीविजन या रेडियो के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से कोई जावाबी कार्यक्रम प्रसारित किया है तथा विशेष का पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने वहां की जनता के सामने भारत का मामला रखा है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय मित्र के लिये यह एक नई बात है कि भारत स्वतन्त्र है। उन्होंने यह देखा या सुना नहीं है कि एक स्वतन्त्र समाज किस प्रकार कार्य करता है। जहां तक पाकिस्तानी प्रचार का सम्बन्ध है मैं उस बारे में केवल इतना दुहराना चाहूँगा कि हमारे लोगों में बहुत दृढ़ता है तथा उन्हें बहकाया नहीं जा सकता. . . . .

श्री ए० श्रीधरन : मैं ऐसे स्वतन्त्र समाज में कोई आस्था नहीं रखता जिसमें लोगों के बिना मुकदमा चलाये कारागारों में बन्द कर दिया जाता है। यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के नितांत प्रतिकूल है तथा सरकार इसके लिये दोषी है। वे लोगों को गोलियों से भून रहे हैं.....

श्री इ० कु० गुजराल : वस्तुत: माननीय सदस्य के मस्तिष्क में दूसरी ही बातों ने घर कर लिया है अत: उनके लिये स्वतन्त्र समाज की कार्यपद्धति के बारे में सुनना रुचिकर हो ही नहीं सकता।

मैं कह रहा था कि जहां तक पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार का सम्बन्ध है हमें उसके लिये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें अपने देश वासियों पर पूरा विश्वास है। हां, जहाँ तक अन्य देशों में पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार का सम्बन्ध है हम उसका प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला कर रहे हैं। तीसरे पाकिस्तान के अपने व्यक्तियों में भारत विरोधी प्रचार के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां की जनता को यह बताने के लिये कि किस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा रहा है तथा हम किस स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं हमारे पास अच्छे शक्तिशाली रेडियो केन्द्र विद्यमान हैं।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं एक वाक्य इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार के विरुद्ध हम भी जवाबी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं किन्तु इतना अवश्य है कि हम उस स्तर से नहीं करते जिस स्तर से पाकिस्तान करता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : 17 टेलीविजन सेटों में से निजी सैटों की कितनी संख्या है ? निजी सैटों को भारत विरोधी प्रचार के समय बन्द कर देने के बारे क्या उपाय किये गए हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : 17 ही निजी सैट हैं।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री महोदय बार-बार अपने लोगों की दृढ़ता पर विश्वास रखने की बात कहे जा रहे हैं तथापि यह स्पष्ट नहीं है वह दृढ़ता शारीरिक है अथवा मानसिक है। यह प्रश्न

हमारे सीमा के छोटे से क्षेत्र से सम्बन्धित है। मैं मानता हूँ कि वहां के लिये सरकार के पास टेलीविजन कार्यक्रम चलाने की सुविधाएं नहीं हैं। किन्तु साथ ही उन्हें एक कृत्रिम संसार में नहीं रहना चाहिये। हमें शत्रु देशों के प्रचारों को अपने प्रचारों के द्वारा रोकना होगा। प्रचार के अन्य साधन भी हैं। छोटे समाचार पत्रों के द्वारा जन सम्पर्क बनाया जा सकता है। सरकार हमारे देश-वासियों को प्रभावित करने वाले प्रचारों के रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि हम चीन या पाकिस्तान के साथ लगने वाले अपने सीमा क्षेत्रों में शक्तिशाली अनेक ट्रांसमीटर लगा रहे हैं। ये ट्रांसमीटर चालू किये जा रहे हैं। पिछले महीने राजौरी में भी यह व्यवस्था हो गई हैं। रेडियो ट्रांसमीटरों के बारे में यह कार्य किए जा रहे हैं जहां तक टेलीविजन का सम्बन्ध है इस बारे में 60 कि० मी० क्षेत्र की सीमा होती है। दिल्ली में भी हम केवल 60 कि० मी० की दूरी तक कार्यक्रम भेज सकते हैं जबकि टेलीविजन स्तम्भ को ऊंचा कर दिया है। अतः हम अपने रेडियो ट्रांसमीटरों को सशक्त बना रहे हैं तथा उन पर सुदूर देशों के लिये तथा अपने व्यक्तियों के लिए अधिक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने समाचार आदि सभी स्वतन्त्र संस्थानों को सशक्त करते हैं जिससे देशवासी जीवन के मूलभूत मूल्यों का अनुभव करेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : माननीय मंत्री का उत्तर संतोषजनक तथा मानने योग्य नहीं है। वह कहते हैं कि 17 टेलीविजन लाइसेंस दिये जा चुके हैं। किन्तु अमरितसर में कोई केन्द्र नहीं है। इसका आशय यही हुआ कि यह लाइसेंस केवल पाकिस्तान के प्रचार कार्यक्रमों को ही सुनने के लिए दिए गए है। क्या पद कष्ट कारक (Poaching) नहीं है कि फीस तो भारतीय लाइसेंसों की जी जाती है तथा लोग सुनते हैं पाकिस्तानी कार्यक्रम। क्या सरकार उस राशि को पाकिस्तान सरकार को देना चाहती है ?

इ० कु० गुजराल : 'पोचिंग' शब्द का अर्थ मेरे माननीय शिकारी मित्र ही अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि मैं तो शिकार को जाता नहीं हूँ। हमारे वर्तमान कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति टेलीविजन या रेडियो लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। जब तक यह बड़ा निकाय अपने विवेक से ऐसा निर्णय नहीं करती कि केवल कुछ ही व्यक्तियों को लाइसेंस मिलने चाहिएं तब तक कोई भी इन्हें प्राप्त कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमें अपने वर्तमान कानून को नहीं बदलना चाहिए।

Shri Brij Bhushan Lal : It is a good thing that the hon. Minister has great faith in the patriotism of Indian public. But at the same time the importance of propaganda can not be denied. In view of the fact that our people have started thinking that as compared to the magnitute of propaganda carried on by China or Pakistan the progaganda being made by our Government is quite insignificant may I know the new steps, if any, taken by our government to counteract the anti-Indian propaganda ?

Shri I. K. Gujral : So far as the propaganda being made by these two countries. Chin and Pakistan, is concerned I want to draw the attention of the hon. Member to the fact that their propagandas are based on falsehood while our propaganda is originally based on facts.

I am of the view that communication of the correct information to people left a lasting impression and also it was the correct approach.

So far as the new steps in the matter are concerned, as I have already mentioned, the new and powerful transmitters are being installed on the border areas of the country so that our voice can be heard in the other countries also. Apart from this, an external services wing has particularly been functioning in the All India Radio and by this wing we try to convey to the foreign Countries.

Statutory Organisation for Film Industry

*993. **Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether a high level Statutory Organisation is proposed to be set up for the healthy, efficient and alround development of the Film Industry ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) जी, हाँ । चलचित्र उद्योग के स्वस्थ विकास के लिये सरकार चलचित्र परिषद् की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

श्री रंगा : उन्होंने उसका ब्यौरा मांगा है और यदि नहीं उसके कारण क्या हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : ब्यौरा अभी विचाराधीन है अत: वह नहीं दिया गया । निर्णय के के पश्चात ही ब्यौरा दिया जा सकेगा ।

Shri Brij Bhushan Lal : Mr. Speaker, Sir, I want to know the defects in the Film Industries in which regard the proposed organisation is to be set up.

Besides, 1 wand to mention that certain scenes and dialogues are not permitted to appear on the screen by the Film Censor Board so far as the Indian Films are concerned but in the foreign films the similar scenes are allowed to be shown in Indian cinema houses. May I know the reasons for not banning the similar obscene picture pertaining to the foreign countries ?

Shri I. K. Gujral : So far as the Film Censor Board is concerned it is an autonomous body under the law and all the Films are censored by this board before these are released to the public entertainment. Unless there is any specific appeal against the decision taken by this Board. The Government is generally guided by the reccommendations of this Board.

Shri Brij Bhushan Lal : The Chairman of the Film Export Promotion Council who has been appointed recently by the Government of India, has been a Member in the Rajya Sabha and he has no knowledge of the Film Industry, still he has been appointed its Chairman. May I know whether it would be possible for him to or to Government to promote the export of Films or whether it would be possible to improve and develop the film industries any more.

Shri I. K. Gujral : Film Export Council come within the purview of the Ministry of Internal Trade. Since the question refers to the Government of India I want to state that the Government had appointed a suitable person and that the man concerned could be quite capable of promoting the export pertaining to the film industries.

श्री बेदब्रत बरुआ : पिछली बार मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था

कि भारतीय फिल्में अच्छी किस्म की हैं तथा उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन फिल्मों की अधिक प्रसिद्धि है क्या उनका उत्तमकोटि का भी होना आवश्यक है ? जिन फिल्मों को देखने को अधिक जनता लालायित रहती है विशेषकर वह ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें, यदि हम लोगों को प्रशिक्षित करना चाहे और इससे जन सम्पर्क के माध्यम की रक्षा करना चाहें तो हमें दिखाना नहीं चाहिए।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि जो फिल्में बाक्स-आफिस-हिट कही जाती हैं वह उत्तम हों यह आवश्यक नही है। इसका यह अर्थ भी है हमें अपने व्यक्तियों की रुचियों को परिष्कृत करने के उपाय करने चाहिएं जिससे उनका दृष्टिकोण ऐसा बने कि वे केवल उत्तम प्रकार की फिल्में देखने ही जायें।

Shri Satya Narayan Sinha : The hon. Minister has just now stated that the propaganda made by China and Pakistan is based on falsehood while our broadcasts are based on facts. May I know...

अध्यक्ष महोदय : फिल्म उद्योग के बारे में प्रश्न है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated about the establishment of a statutory organisation regarding the development of the Film Industies. May I know the time by which the proposed organisation will be set up and by which the draft scheme will be presented before the house and the improvements which proposed to be done in the film industry ?

Shri I. K. Gujral : As I have mentioned just now the matter pertaining to the Film Council is underconsideration. But I want to clarify that our approach to this council is in the lines of the recommendations made by the Patil Committee which was formed in 1951. The council will consist of the persons belonging to the film indusrry. The educationist and the social workers.

Shri Shashi Bhushan : So far as the film Industry is concerned it has been the policy of the Government that this industry should produce the films of National importance and renaissance. Our historical movement for independence was glorious which we are forgetting today. The word 'Mutiny' is generally used in the books and in the records of the Government for the revolution of 1857. The purpose of this council should be that the people may get good quality films pertaining to the independence struggle and those pertaining to the healthy attitude towards Harijans. Our old propitious traditions relating to the kings should also be exhibited in a nice way. In this context I want to know whether the Government is prepared to finance the film industry, and it so, the steps proposed to be taken by the Government.

श्री इ० कु० गुजराल : इस पूरी समस्या को दो भागों में बांटा जा सकता है। जहां तक सरकारी फिल्मों का प्रश्न है हम प्राय: वृत्ति-चित्रों पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसी फिल्में बनाने के लिये हमारा ध्यान उन्हीं विषयों पर रहता है जिनकी ओर माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान दिलाया है। किन्तु जहां तक कथात्मक चल-चित्रों का प्रश्न है हम उन पर चल-चित्र वित्त निगम तथा फिल्म संस्थान के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। वैसे विषय का निर्वाचन या निर्णय करना तो निर्माता का ही कार्य है।

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether such film will not be permitted to be exhibited in India as are against the Indian culture and Indian tradition and wherein obscene pictures and rude dances are exhibited just like the foreign films and may I know whether quality films in accordance with the Indian traditions would be produced in our Country ?

Hindi Programmes of A.I.R.

*994. **Shri Raghubir Singh Shastri** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the Hindi Programmes broadcast from A.I.R., preference is given to the Editors of certain prominent newspapers. prominent persons, leaders, etc. ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the name of persons and the number of times they were invited to participate in the Hindi programmes during the last two years with their party affiliations ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to do away with the discrimination and to make Hindi programmes more popular ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ग) सूचना आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Shri Raghubir Singh Shastri : A few months back this very question was asked and at that time also the hon. Minister gave the same reply that the information was being collected and it will be laid on the table of the House and will be distributed to the hon members after it is received. It seems that the same reply will be repeated if this question is asked in future. I want to know from the hon. Minister the time limit within which the required information would be received by him and laid on the Table of the House ?

Are there such Editors of the Newspapers and some such other Members of parliament who are repeatedly called and the other people having adequate qualifications are not called. Will this policy of partiality be stopped in the All India Radio ?

श्री इ० कु० गुजराल : श्रीमान् जी, मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि अपने मित्र द्वारा मांगी गई सूचना देने का मैंने उन्हें वचन दिया था । मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न में मेरे माननीय मित्र ने समग्र हिन्दी कार्यक्रम पर बहुत व्यापक सूचना मांगी है । संसद समीक्षा हिन्दी में विभिन्न समाचार, हिन्दी नाटिकाएं अथवा नाटक सामयिक वार्ताएं हिन्दी में समाचार, संगीत कार्यक्रम तथा स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कार्यक्रम आदि हिन्दी कार्यक्रमों के अन्तर्गत आते है । यदि उन्होंने किसी एक विशेष बात पर प्रश्न किया होता तो स्वभावत: उसकी सूचना शीघ्र ही आ जाती । जहां तक और लोगों की अपेक्षा कुछ सम्पादकों को अधिक बुलाने के विषय में मेरे मित्र के प्रश्न का सम्बन्ध है मैंने कह दिया है 'नहीं' क्योंकि उसके लिये हम विषय गत विचार करते हैं कि कौन सबसे अधिक उपयुक्त है तथा तभी उसे बुलाते हैं । किसी से भी विशेष पक्षपात नहीं किया जाता ।

Shri Raghubir Singh Shastri : I want to know whether it is a fact that even today the speakers in English are given double the remuneration than what the speakers in Hindi get ? In the circumstances when we have already agreed to the fact that Hindi is an Official and a Contact lauguage and that we have also to encourage the regional languages, I want to know from the hon. Minister what was the reciprocal percentage of programmes in English, Hindi and in other regional languages last year and whether they have proposed any annual target so that the percentage of English programmes may be curtailed and the

same is increased in so far as the programmes in Hindi and other regional languages are concerned ?

Shri I. K. Gujral : So far as the Stations in Hindi areas are concerned, Hindi programmes have considerably been increased. Once I gave an answer to the question that all the English programmes have at that time been abolished and the same turned into Hindi programmes. The second question which my hon. friend has asked, that speakers in English are given more remuneration in comparison to those who speak in Hindi, is absolutely wrong information. Equal fees is given to all the speakers.

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : Last time when this question was put it was made clear that English programmes have almost been abolished from Delhi. The duration of English programme through out the day is 32 minutes only.

Shri Randhir Singh : I want to tell the hon. Minister through you a sad incidence of favouritism. There was a debate yesterday on agriculture and almost all the top most leaders had discussion on it. But there is no mention of the same in the news bulletin of 9 p.m. It is not a sorrow state of affairs that there is no particular discussion in respect of the greatest industry of India. The most insignificant things were referred in the news bulletin whereas this thing was not mentioned. I want to know why such a cold attitude has been adopted in respect of agriculture ? Will action be taken against responsible Officer ? I want that 80 percent of the radio time should be spent on agricultural programmes and those suggestions which are of most important value should be relayed. Simultaneously instructions should be given the newspapers to give importance to agriculture.

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल सुझाव है ।

श्री इ० कु० गुजराल : जी नहीं, कार्यक्रमों का विभाजन सम्भव नहीं है ।

Shri Randhir Singh : My question nas not been answered.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि यह करना संभव नहीं है ।

Shri Satya Narayan Sinha : As the matter of news bulletin of 9 p.m. has been referred here, I shall get this matter investigated as to whether this is correct. As far as the matter of programme of farmers as raised by him is concerned we have farmers, forum which is growing popular and is being extended widely.

Shri Om Prakash Tyagi : Have you formulated any rules in respect of 'Samsad Samiksha' to include the important proceedings of Parliament ? If it is not possible to mention the name of the speakers, the importance proceedings should be mentioned. I want to know from you whether you have any rule for this ? For instance I may tell you that there was ' half-an-hour discussion" here on the 28th which was not even mentioned in that programme. I wrote a better to the hon. Minister in that regard but I dit not receive any reply from him so far. I want to know from you whether you have formulated any rules in respect of "Samsad Sameeksha" ?

श्री इ० कु० गुजराल : संसद समीक्षा अथवा 'आज संसद में' के सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि यह कार्य एक विख्यात पत्रकार करता है जो दोनों सदनों की दिन भर की कार्यवाही को ध्यान पूर्वक सुनकर उसका सारांश 10 मिनट में कह देता है । वास्तव में किसी भी पत्रकार के लिए यह बिल्कुल संभव नहीं कि वह प्रत्येक विषय पर ध्यान दे । इसलिए अपने अनुमान के अनुसार जो कुछ भी वह अति आवश्यक समझता है उसे ले लेता है । आकाशवाणी इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती ।

श्री सु० कु० तापड़िया : वह दोनों सदनों पर निगरानी कैसे रख सकता है ?

श्री क० लकप्पा : वह कैसे कर सकता है ?

Shri Om Prakash Tyagi : The relevant subject should at least be referred.

Shri Satya Narain Sinha : The relevant subject matter is always kept into consideration. It is wrong to say that it is not given due consideration.

श्री एस० कण्डप्पन : माननीय मन्त्री ने अभी-अभी कहा है कि अंग्रेजी के प्रसारणों को नहीं के बराबर कम कर दिया गया है । अंग्रेजी प्रसारण के लिए निर्धारित समय कम करके क्या वह समय अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को दिया गया है अथवा वह सारा समय अकेली हिन्दी को दिया गया है ? दूसरे यह कि किसी एक विशेष भाषा-भाषियों की पूरी जन संख्या का ध्यान न रखते हुए, हमारी जनता के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि प्रत्येक भाषा के लिए समान समय निर्धारित किया जाए तथा जिससे उन्हें आकाशवाणी के कार्यक्रमों से अधिकतम सुविधा प्राप्त हो ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह कहा गया था कि हम दिल्ली से हिन्दी प्रसारणों को बढ़ा रहे हैं । क्योंकि आकाशवाणी केन्द्र क्षेत्रीय रूप में कार्य संचालन करते हैं अत: वहाँ की स्थानीय भाषा को प्रमुखता दी जाती है । उदाहरण के लिए जब भी आकाशवाणी के मद्रास अथवा तिरुचि केन्द्र कार्य करते हैं तो वहां अधिकतम समय तमिल के कार्यक्रमों में व्यतीत होता है । अतः जन संख्या का प्रश्न तो उठता ही नहीं । लगभग प्रत्येक भाषा-विषयक तथा संस्कृति प्रधान क्षेत्र में वहाँ एक आकाशवाणी केन्द्र अवश्य है तथा हम उसका और अधिक विस्तार कर रहे हैं । अत: जब हम अंग्रेजी के कार्यक्रमों को घटाकर उन्हें हिन्दी के कार्यक्रमों में परिवर्तित करते हैं तो केवल इसलिए कि उन क्षेत्रों में उन भाषाओं को अधिक समझते हैं । जहां तक अन्य भाषाओं का सम्बन्ध है, वह अन्य केन्द्रों के द्वारा होता है ।

Shri Manibhai J. Patel : I want to know the names of the languages in which the programmes are at present broadcast and also the time allotted to each language for such broadcast. You have stated that the programmes which are broadcast in English have been allotted 32 minutes in a day. Similarly I want to know which of the programmes are broadcast in Hindi and also the time allotted to each, the nature of programmes in each language and the duration thereof ?

Shri I. K. Gujral : I shall require notice for this.

Shri Ramavtar Shastri : I presume from the answer given by the hon. Minister to the question of 'Samsad Sameeksha' that he himself does not listen the programme of Samsad Sameeksha. Like wise, during the Parliament session, if you listen to the news bulletin in English you will find that names of some of the persons are not mentioned in the news broadcast. You must have definitely formulated some rules in rerpect of the news bulletins. I want to know, why this is so. I listen and see each and every thing here from the beginning to the end through out the day. I have experienced that the important matters are omitted and the ordinary matter are broadcast. I want to know whether there are any rules for the broadcast of news bulletins ; and if so we should be informed of them ?

Shri I. K. Gujral : You have just now said that you keep sitting since morning till evening and as such today's proceedings will at least be relayed in the news.

I want to draw your attention to a fundamental thing, a thing of principle, that due eminence is given to a matter according to its news value. It is not possible to include news of whole of India and also the world within 15 minutes. The thing may not be of such value in respect of news broadcast which you think more important.

Shri D. N. Tiwary : A payment of Rs. 100/- is given for English talks and Rs. 50/- is given for talks in Hindi and in other Indian languages. I want to know why such discrimination is there ; and whether have you given such instructions that importance should be given to English talks ?

One thing more, the news of English speakers are mentioned in the broadcast and the names of those who speak in Hindi do not find place in the news broadcast. Why is it so ?

श्री इ० कु० गुजराल : शुल्क एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं बदलते । ये व्यक्ति तथा विषय को ध्यान में रखकर बदलते हैं.....

डा० सुशीला नायर : यहां एक सज्जन (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) हैं जिनको गुजराती वार्ता के लिए 50 रुपये तथा अंग्रेजी वार्ता के लिये 100 रुपये शुल्क मिले।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं उनकी बात का साक्ष्य तो नहीं दे सकता, मैं केवल सुझाव दे रहा हूँ कि यह सम्भव है कि विषय, वार्ता ही इस प्रकार की हो कि.....(**व्यवधान**)

श्री रंगा : आप यह क्यों नहीं कहते कि आप इस मामले की जांच करायेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने अभी अपना वक्तव्य समाप्त नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्त हो जाइए ।

श्री रंगा : उनको इस मामले की जांच करानी चाहिए । यदि कहीं गलती हो रही है तो आप उसे ठीक कराइए । यह सब कुछ कहने के बजाए आप यह क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने अभी समाप्त नहीं किया है । उदाहरण के लिए यदि कोई सज्जन यहां से जाकर राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेगा तो वास्तव में उसे साधारण वार्ता से अधिक शुल्क मिलेगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब कोई प्रश्न नहीं करे । मुझे बैठने तथा चिल्लाने पर पुनः आपत्ति करनी पड़ेगी ।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, शुल्क दिये जाने के वे एक ही वर्ग में आते हैं । परन्तु यह भेद कभी-कभी कार्यक्रम की विशिष्टता पर भी हो जाता है । जैसा कि मैंने अभी कहा है कि यदि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो इसका शुल्क बढ़ जायेगा । माननीय सदस्य द्वारा जो विशेष बात कही गई है उसकी मैं देख भाल करूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : So far as these programmes are concerned, they can be denided into two catagories. One is concerned with news broadcasts such a news bulletins ; Samsad Sameeksha ; and occasional talks etc. and the other is concerned with the broadcast of talks or meetings. A question was put to your predecesor Shri K. K. Shah. Minister of this department, to furnish details in respect of the persons of eminence and the fee given to them during the last six months. He said that he would place a list on the table of the House in that very session and he also said that he will also send a list to

Shri Prakash Vir Shastri. Mr. Speaker neither that list has been sent to Shri Prakash Vir Shastri nor has this been laid on the table of the House ; so that we may be informed of those persons who are being given particular favour by All India Radio.

So far as news bulletins, Samsad Sameeksha, occasional talk are concerned I request you to make separate units for Hindi programmes so that there may be a variety of programmes and the news bulletins may be increased there. Decision had already been taken Seven years back in this respect but the same has not been implemented so far. What is the objection in having a separate Hindi Unit similar to English Unit ?

Shri I. K. Gujral : We have no objection. It is being done slowly. I shall further encourage it. We also want that Hindi should be encouraged further, Hindi should become self sufficient and rich language as Shri Prakash Vir Shastri wants.

So far as the statement is concerned I shall see to it. If it has not been laid on the table of the House, I shall place it.

श्री स० कुण्डू : जहां तक समाचारों का संबन्ध है - एक 15 मिनट का तथा दूसरा 10 मिनट का होता है—मै माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूँ कि ये समाचार केवल संसद सदस्यों के लिए ही नहीं है ये तो उन अनेक श्रोताओं के लिए है जो सारे भारत में हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी नाम को बताया ही नहीं जाए। क्या माननीय मंत्री सदन को आश्वासन दे सकते हैं इन समाचारों का अधिक सर्जनात्मक संयोजन, उन्नत क्षमता, तथा प्रस्तुतिकरण एवं शैली श्रेयस्कर होगी तथा जहां तक इन सब बातों का सम्बन्ध हैं सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं है; तथा जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है कि सदस्यों के नाम नहीं लिये जाने चाहिए तो यदि आप अथवा यह सदन निदेश दे कि समाचारों में किसी सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया जाये तो हम इस निर्देश का सहर्ष पालन करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री स० कुन्दू : वह प्रश्न को तरोड़-मरोड़ रहे हैं। सदस्यों के नाम और अधिक संख्या में लिए जाते हैं।

सूचना तथा प्रसारण विभाग के फालतू कर्मचारी

*996. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना तथा प्रसारण विभाग में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में वर्ष 1967-68 में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो श्रेणीवार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये और क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की छटनी की अथवा उन्हें अन्यत्र काम पर लगाया ;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 के बाद की अवधि में उक्त विभाग द्वारा श्रेणीवार कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये और राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये ; और

(घ) मत्री महोदय, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों आदि के साथ काम करने वाले फालतू कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिनके लिए मंजूरी नहीं ली गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) तक :—सूचना एकत्र की जा रही है और तथा समय सदन को मेज पर रख दी जाएगी।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, the hon. Minister has given replied in a few lines that information is being collected. I have asked this information from other ministers also because there is complaint that where less or some works is done, it is said that there was shortage of employees there, employ more persons so that more wore work is done ; but inspite of that work is not finished and as a result of this most of the employees sit idle in various ministries. I want to know from the hon. Minister whether he will fix up a time limit when he will give the required information and when the action will be taken against draw backs found in his department ?

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न के भाग (क) में उन्होंने पूछा है कि क्या सर्वेक्षण कर लिया गया है। सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था तथा समाप्त हो गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि वास्तव में सर्वेक्षण के फलस्वरूप कुछेक अनुभागों में पुन समंजन करने की आवश्यकता है। कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूँ कि मैं इस समय कोई निश्चित समय बताने की स्थिति में नहीं हूं परन्तु मैं उन्हे यह विश्वास दे सकता हूँ कि इस कार्य को यथा सम्भव शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I want to put a particular question to the hon. Minister. Whether it is not a fact that Directorate of Advertising and Visual Publicity, that handles publicity services of Government, could not undertake publicity work of Public sectors because they are short of staff and as such Publicity business worth crores of rupees is going in the hands of private sector. I want to know from the hon. Minister whether he will take necessary action in this regard and he will arrange to get the office of Director of Advertising and Visual Publicity reorganised to such an extent so that it may be able to handle all Government publicity work.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस तथ्य को जानता हूँ कि यह मामला सार्वजनिक उपक्रम समिति में उठा था। परिणाम, स्वरूप, वस्तुत:, सरकार इसकी जांच कर रही है। सिद्धान्त रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि हम बहुत उत्सुक है तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति से सहमत हैं कि यह काम डायरेक्टर ऑफ एडवर्टायजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी के द्वारा ही हो और अक्सर यह लगभग होता भी है।

श्री स० मो० बनर्जी : सूचना तथा प्रसारण विभाग में फालतू कर्मचारियों के अतिरिक्त हमें इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जायेगा, ठेके पर काम करने की वर्तमान प्रणाली को रद्द कर दिया जाएगा तथा उन्हें स्थाई घोषित कर दिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या अभी तक कोई निर्णय कर लिया गया है तथा क्या ठेके की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है ; और, यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : इस विषय में दो राय हैं। कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि ठेके की प्रणाली नहीं रहनी चाहिए तथा उन्हें नियमित सेवाओं में लगा लिया जाए। एक दूसरा वर्ग भी है

जो चाहता है कि ठेके की प्रणाली बनी रहनी चाहिए परन्तु वह केवल लम्बी अवधि पर आधारित हो। जहां तक लम्बी अवधि के आधार का संबंध है, हमने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। अभी हाल ही में स्थापित की गई समिति ने इन सब मामलों पर जांच की थी और सरकार उनकी जांच कर रही है तथा उन पर निर्णय करेगी।

श्री मनु भाई पटेल : उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सर्वेक्षण के विषय में कहा। कार्यक्रम-कार्यकारी जो स्थाई संवर्ग में हैं तथा वही काम कर रहे हैं जो निर्माता तथा सहायक निर्माता करते हैं। क्या-क्या प्रोग्राम ऐक्सीक्यूटिव, निर्माता, सहायक निर्माता तथा सहायक रेडियो निर्देशन आदि संवर्गों का एक विलय करने का विचार है ? यदि हां, तो क्या स्थाई प्रोग्राम ऐग्सीक्यूटिव के अधिकार परिरक्षित रखे जायेंगे अथवा क्या ये निर्माता एवं सहायक निर्माता जो केवल ठेके पर कार्य करते हैं। अपने अधिकारों का अधिभावी कर लेंगे तथा प्राथमिकता प्राप्त कर लेंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : कुछ प्रकार के संवर्ग वहां कार्य कर रहे हैं। हमारी चिन्ता तो अब इस प्रकार की पद्धति प्रस्तुत करने में है जिससे दोनों वर्ग संतुष्ट रहें तथा किसी के हितों को हानि न हो।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the number of such employees in his department who have not been taken through Employment Exchanges, and those who have been employed on the recommendation of the Ministers and other big leaders and also the member of those.....

Mr. Speaker :How this is possible to tell.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He wants information.

Shri Hukam Chand Kachwai : I also want to know that at the time of retrenchment whether the high officers, who have been declared surplus and do nothing will taken into consideration.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं केवल यही कह सकता हूं कि न तो उनकी सिफारिश पर और न ही किसी मंत्री की सिफारिश पर किसी को भी काम पर नहीं लगाया जायेगा। परन्तु जब भी हम इसकी जांच करते हैं, हम पूरी ब्यौरे वार जांच करते हैं।

दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की मजूरी

*997. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की मजूरी निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मजूरी की कोई सूची तैयार की है और राज्यों को उसका पालन करने के बारे में परामर्श दिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में समानता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के रोजगारों के बारे में न्यूनतम मजूरी की दरें निर्धारित कर दी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार ने सभी राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर दिया है कि अनुसूचित रोजगारों से संबंधित न्यूनतम मजूरी में पाई जाने वाली व्यापक विषमता को कम करने की आवश्यकता है । इस मामले को मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारें आपसी परामर्श से तय करती हैं और जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां सरकार ने राज्य सरकारों को विचार-विमर्श और समझौते के लिए एक साथ बिठाकर सहायता की है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : कुछ राज्यों में दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अधिनियम के लागू होने से काम करने के घण्टों तथा छुट्टियों को नियमित कर दिया गया है। परन्तु दूसरे राज्यों में, क्योंकि वहां इस अधिनियम को लागू नहीं किया है, दुकानों के कर्मचारियों को दिन में 16 से 18 घण्टे काम करना पड़ता है और उन्हें न कोई अवकाश मिलता है और ना ही उसके स्थान पर उन्हे मजूरी ही मिलती है । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में सारे देश में कोई एक समान नीति पुरःस्थापित करने का विचार कर रही है तथा अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार के विधान लागू करने का निर्देश देगी ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने कहा कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 को लागू करने का मुख्यत: राज्य सरकारों का ही कार्य है । यह अनुसूचित रोजगार नहीं है । इसके तदन्तर कुछ राज्य सरकारें इसे अनुसूचित रोजगार के अन्तर ले आए हैं तथा यह उन्हीं के लिए है कि वे कर्मचारियों के काम करने के घण्टों को नियमित कर रहे हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह मानी हुई बात है कि जो लाभ दुकानदारों को होता है उसमें इन कर्मचारियों का बहुत अधिक योगदान है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी एक प्रकार की बोनस सम्बन्धी योजना आरम्भ करने का सरकार का विचार है । जिससे कि यदि लाभ अधिक हो तो कर्मचारियों को भी उस लाभ का भाग मिले । क्या सरकार ने इस बारे में कुछ सोच विचार किया है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह दुकान उस अधिनियम के अन्तर्गत आती है जहां कर्मचारी काम करता है । जैसा कि मैंने कहा कि हमने समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बैठकें की हैं जिसमें हमने यह निर्णय किया है कि सम्भवत: यह केन्द्रीय सरकार के लिये व्यवहार्य न हो तथा केन्द्रीय सरकार को यह करना भी नहीं चाहिए, परन्तु केवल राज्य सरकारों के निवेदन करने पर ही इस कार्य को करेगी । हमारे पास क्षेत्रीय परामर्श समितियां हैं जो इन मामलों का निर्णय करती है । अत: इस मामले पर हम कुछ नहीं कह सकते ।

Shri Meetha Lal Meena : Mr. Speaker, inspite of the fact that the employees working in the shops might have contiunously served a particular shop owner for 15-20 years in this country and their services might have been regularised today, but even then their future depends at the mercy of the shop owners. In the circumstances I want to know whether Government will enact a law keeping in view that their services are declared permanent and that the shop owners may not remove them from service ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I said, the employees working in those shops are not covered under the Minimum Wages Act, 1948, though some State Governments have now put them under scheduled employment. It is far the State Governments concerned to settle the issue of there service conditions, emoluments and such other things, this primarily their concern and it comes under their own powers.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"जनसत्ता" तथा "लोक सत्ता" को ऋण

*994. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दैनिक पत्र "जनसत्ता" तथा "लोक सत्ता" के लिये पहले से स्वीकृत ऋण सरकार ने दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी-कितनी राशि दी गई है ;

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या ऋण देने/उसकी स्वीकृति देने का निर्णय करने से पूर्व इन समाचारपत्रों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राज्यों में चतुर्थ योजना काल में बीज फार्मों की स्थापना

*998. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में बीज फार्म स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बीज फार्मों के लिये स्थानों के चुनाव का आधार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). मौजूदा केन्द्रीय राजकीय फार्मों के अतिरिक्त, मैसूर के रायचूर जिले में और केरल के केन्नानूर जिले में मुख्यत: उन्नत बीजों के उत्पादन के लिये एक एक फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मौजूदा लगभग 4,000 बीज फार्मों को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि बढ़िया बीजों का उत्पादन हो सके । विश्व बैंक की

वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बीजों का उत्पादन करने की परियोजना चालू करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी बीज फार्मों के लिये स्थानों का चुनाव एक समिति द्वारा किया जाता है, जो भूमि की उपयुक्तता पर सब पहलुओं से विचार करती है।

Import of Fertilizers

*999: **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bal Raj Madhok : **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 152 on the 18th November, 1968 and state :

(a) the names of the countries from which nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers and potassic fertilizers have been imported during the years 1967-68 and 1968-69 and the quantity of each of the said fertilizers imported ; and

(b) the amount of expenditure incurred on the import of the said fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—671/69].

Development of Delhi Milk Scheme During Fourth Plan

*1000. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the programme chalked out for the development of the Delhi Milk Scheme during the Fourth Plan period ;

(b) the quantity of Milk to be purchased and the names of the States and Dirtricts from where it will be procured ; and

(c) the steps being taken to prevent losses in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Fourth Plan, as Hon. Member is aware, has not yet been finalised. The work of setting up a balancing Station at Bikaner with a capacity of 50,000 litres per day has been taken up and will be a fourth plan project.

(b) The actual quantity of milk to be purchased will depend upon the handling capacity of the scheme after expansion. The scheme will procure milk mainly from districts Meerut, Bulandshahr, Muzaffarnagar and Mathura in U.P., Rohtak Gurgaon and Karnal in Haryana ; Bharatpur and Bikaner in Rajasthan and Mehsana in Gujarat.

(c) Prices of milk and milk products sold by the DMS have recently been fixed at a reasonable level, and the Scheme is expected to operate on a 'no-profit, no-loss' basis in the year 1969-70.

Improvements in Hindi Teleprinters

*1001. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any suggestions have been receive by Government for making improvements in the Hindi Teleprinters already in use ; and

(b) if so, whether any improvement has been made in these Hindi teleprinters in the light of these suggestions ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b). No suggestions have been received by Government in this regard. However, the question of making some minor improvements in the existing Devangari teleprinters is under cosideration.

P. L. 480 for Agricultural Needs

*1002. **Shri Suraj Bhan** : Will the Minister of Food and Agricultural be pleased to state :

(a) whether any scheme has been considered from the view-point of using P.L. 480 funds for meeting the agricultural needs ;

(b) if not, the reasons therefore ; and

(c) if so, the details thereof and the results achieved in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes Sir, PL-480 counter part rupee funds are being used for agricultural development programmes.

(b) Does not arise.

(c) These funds have been used for programmes in various fields of agriculture like Minor Irrigation, Soil and Water Conservation, Exploration of ground-water resources, dairy development agricultural Production etc. This forms part of the external assistance available for implementing the Plan and has been beneficial. Apart from these programmes, a number of research projects of mutual interest at several research institutes and centres have also been financed out of part of these funds.

Public Call Officers in Jaipur and Bharatpur Divisions

*1003. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a pressing demand from public for opening of public call offices in a number of towns in the Jaipur and Bharatpur Divisions of Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that these towns have given a guarantee of an income of Rs. 3500 in five years ;

(c) if so, the reasons why Public Call Offices are not being opened there ; and

(d) if Public Call Officers are being set up, there location and by what time they will be opened ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : Demands have been received for opening Public Call Offices at Jejusar in Jaipur District and at Malarna Choud in Bharatpur District of Rajasthan.

(b) No.

(c) the Public Call Offices at Jejusar and Malarana are not being opened as the proposals for opening these are unremunerative.

(d) Does not arise.

राजस्थान में चीनी निकालने का संयंत्र

*1004. **श्री बे० क० दास चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ने तथा चुकन्दर से अधिक चीनी निकालने हेतु राजस्थान में गंगानगर में सरकारी क्षेत्र में एक नया संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संयन्त्र की क्या क्षमता होगी ;

(ग) क्या यह संयन्त्र विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान सरकार का गंगानगर में स्थित अपने चीनी कारखाने में एक डिफूज़न प्लांट लगाने का विचार है।

(ख) यह प्रतिदिन 1000/1200 मीटरी टन गन्ना तथा प्रतिदिन 600 मीटरी टन चुकन्दर कोसेट्स डिफूज़न क्षमता का एक गन्ना-एवं-चुकन्दर का प्लांट होगा ;

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ). फिलहाल किसी अन्य राज्य से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि दो गन्ना डिफूज़न प्लांट कार्य कर रहे हैं और आशा है कि कुछ और भविष्य में स्थापित किये जायेंगे।

दिल्ली दुग्ध योजना के लिये कूरियन समिति

*1005. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यप्रणाली के बारे में डा० वी० कूरियन विशेषज्ञ दल ने कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं ;

(ख) इस विशेषज्ञ दल की कौन सी सिफारिशें स्वीकार तथा लागू की गई हैं ;

(ग) क्या इन सिफारिशों के लागू करने से दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण में सुधार होगा व हानि में कमी होगी ; यदि हां, तो कितनी तथा किस समय तक ऐसा हो जायेगा ; और

(घ) प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही को बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 672/69]

(ग) विशेषज्ञ दल की बहुत सी सिफारिशों के लागू किये जाने और योजना द्वारा अपनाई कीमत पद्धति के समंजन से यह आशा की जाती है कि योजना ने जो हानि उठाई है वह काफी हद तक कम हो जायेगी। यह आशा की जाती है कि योजना को 1969-70 में अधिक सफलता मिलेगी।

(घ) विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार योजना के प्रशासनिक ढांचे को दृढ़ और सुचारू बना दिया गया है और वह अब भली प्रकार से कार्य कर रहा है।

Dues Outstanding Against Sugar Mills in U.P.

*1006. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that heavy amounts are outstanding against many sugar mills in U.P. as arrears of levy excise duty and as price of sugarcane payable to cane-growers ;

(b) if so, the particulars of such mills ; and

(c) the action being taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The amounts of excise duty outstanding against the four mills in U.P. are as under :—

	Location of the factory	Amount in Rs.
1.	Shahganj	4593.00
2.	Raja Ka Sahaspur	6294.00
3.	Amroha	7105.00
4.	Bulandshahr	3006.72

As regards arrears of can price a statement showing factory-wise, total price of sugarcane purchased in 1968-69 by sugar mills and cane price in arrears as on the 15th March, 1969 and the arrears of cane price for 1967-68 and earlier seasons as on that date in U,P. is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—673/69].

(c) The Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance are taking effective measures for the liquidation of arrears of excise duty. Regarding arrears of cane price the State Governments have been asked from time to time to take stringent measures, including prosecutions and recovery as arrears of land revenue to ensure clearance of arrears of cane price by sugar factories in their States.

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजनाएं

*1007. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजनाओं का पुनरावलोकन करने के लिये जनवरी, 1969 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने उन के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया था ;

(ग) उनके साथ किन विषयों पर चर्चा हुई थी तथा क्या निर्णय लिये गये थे ; और

(घ) 1969 में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत को क्या सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजनाओं के पुनरावलोकन के लिये किसी भी संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने जनवरी में भारत की यात्रा नहीं की किन्तु मि० एक्वीनो, जो कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक हैं भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रमों की परियोजनाओं की प्रगति व संभाव्यताओं से परिचय प्राप्त करने के लिये जनवरी, 1969 में भारत पधारे ।

(ख) कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई किन्तु मि० अक्वीनो सामान्य विचार-विमर्श के लिये खाद्य और कृषि मन्त्री से मिलने आये ।

(ग) यह चर्चा सामान्यत: विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजनाओं से सम्बन्धित थी और किसी निर्णय पर पहुंचने या निर्णय करने का उद्देश्य न था ।

(घ) आशा की जाती है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम 1969 में लगभग 4.6 करोड़ रु० के मूल्य की जिसे प्रदान करेगा ।

खाद्यान्नों के परिवहन का ठेका

*1008. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की एक अन्तर्देशीय जलपरिवहन कम्पनी को हाल ही में ठेका दिया गया है ;

(ख) य द हां, तो उस कम्पनी का नाम तथा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने उनके मन्त्रालय से कहा है कि वह खाद्यान्नों के परिवहन के कार्य को अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है ; और

(घ) यदि हाँ, तो भारत के केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के स्थान पर उनके मन्त्रालय द्वारा इस काम को एक गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) मैसर्स पोर्ट शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) खुली निविदा पूछताछ से मैसर्स पोर्ट शिपिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को कलकत्ता के जहाजों से उतारे गये खाद्यान्न को प्राप्त करने तथा उनके उतरान स्थल तक परिवहन करने के लिये मालबोट सप्लाई करने हेतु ठेका दिया गया था । कन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम भी इस निविदा पूछताछ में शामिल हुआ था लेकिन उनकी दरें पोर्ट शिपिंग कम्पनी, लिमिटेड द्वारा दी गयी दरों से बहुत ऊंची थीं ।

दिल्ली तथा अन्य नगरों के बीच टेलेक्स सेवा

*1009. **श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा उत्तर भारत के श्रीनगर, लखनऊ तथा इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण नगरों को टैलेक्स सेवा द्वारा कब तक मिलाया जायेगा ;

(ख) क्या टैलेक्स सेवा की स्थापना पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) उत्तर भारत में श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में टैलेक्स एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जालंधर, चंडीगढ़ और लुधियाना में भी ऐसे एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने के लिये सीधे किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि० को जो क्रमश: टेलीफोन उपस्कर और टेलीप्रिंटरों की सप्लाई करते हैं, इनके निर्माण के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को टेलेक्स उपस्कर की लागत के 20 प्रतिशत और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि० को 15 प्रतिशत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है।

कर्मचारी भविष्य निधि का कर्मचारियों को भुगतान

*1010. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण सरकार को, इसके पास बन्द मिलों के कर्मचारियों की भविष्य निधि में से कर्मचारियों को भारी राशियों का भुगतान करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है और कितनी राशि का भुगतान अभी शेष है ; और

(ग) यदि इन राशियों को संकटग्रस्त मिलों को पुनर्गठन और नवीकरण के लिये दिया जाता तो क्या इनको अधिक अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सकता था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के प्रशासन का ताल्लुक न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड का है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक स्वायत संगठन है। केन्द्रीय सरकार का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मांगी गई सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना इसके पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना में श्रमिकों की भविष्य निधि की धन-राशियों को संकटग्रस्त मिलों के पुनर्गठन और नवीकरण के लिये उपयोग में लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये राशियां सदस्यों को अथवा उनकी अकाल मृत्यु हो जाने या उनके द्वारा नामित व्यक्तियों या उनके वारिसों को अदा की जा सकती है।

सरकारी क्षेत्र में ट्रांसमिशन उपकरण बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना

*1011. **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज का ही एक अन्य कारखाना होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस कारखाने की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिये कई स्थानों की पेशकश की है ;

(ग) क्या सरकार केरल में यह कारखाना स्थापित करने पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हाँ, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह नया कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, पारेषण-उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि करेगा।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). भारत सरकार ने सभी सुसंगत तत्वों पर विचार करते हुए नया कारखाना उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नजदीक नैनी में स्थापित करने का निर्णय किया है।

उर्वरक संवर्धन निगम

*1012. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में उर्वरकों की बिक्री में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक उर्वरक संवर्धन निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). देश में उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक संगठन स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। शीघ्र ही निणय किये जाने की आशा है।

पत्रकारों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान

*1013. **श्री मधु लिमये** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों को गत वर्ष उस अवधि के वेतन तथा भत्ते नहीं दिये गये हैं जिस में कि समाचारपत्रों का प्रकाशन बन्द रहा ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप श्रमजीवी पत्रकारों और छपाई का काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को वेतन और उपलब्धियों के रूप कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों को उस अवधि का वेतन दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस में कि समाचारपत्रों का प्रकाशन बन्द रहा था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सरकार को कोई औपचारिक अभ्यावेदन नहीं मिला है, परन्तु पता लगा है कि गत वर्ष की हड़ताल/तालाबन्दी से प्रभावित समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के कुछ कर्मचारियों को उस अवधि के वेतन तथा भत्ते नहीं दिए गए हैं जिसमें कि काम बन्द रहा । परन्तु यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

Recognition of new Unions of P and T Employees

*1014. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain new Unions have been given recognition after de-recognising the recognised Unions of the Posts and Telegraphs employees following the token strike of the 19th September 1968 ;

(b) if so, the names of the newly recognised Unions and the number of their members ;

(c) whether it is also a fact that Officers have to face difficulties in regard to collective bargaining with the new Unions ;

(d) if so, whether Government propose to restore recognition to the old Unions ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) The names of the new Unions/Associations which have been recognised provisionally on an ad-hoc basis are :—

(i) National Union of Postal Employees Cl. III:

(ii) National Uuion of Extra-Departmental Agents.

(iii) National Union of Postal Employees Postmen and Class IV.

(iv) All India Association of Inspectors and Asstt. Supdts. of Post Offices.

(v) All India P and T Accountants Association.

(vi) All India Savings Bank Control Employees Union.

(vii) All India Telegraph Traffic Ministerial Employees Union.

(viii) Telegraph Traffic Supervisors Association.

The number of their member is, however. not available.

(c) No, Sir. The newly recognised unions/associations were granted in interview by the Chairman P and T Board on 16-1-69 when several pending problems were discussed to the mutual satisfaction of both the administration and the staff.

(d) and (e). The question does not arise.

बेकार धरती को खेती योग्य बनाने के लिये भूमि विकास निगम

*1015. श्री शशि भूषण : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेकार पड़े विशाल भूखंडों का विकास करने के लिए एक भूमि विकास निगम गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

Closure of Palana Colliery, Bikaner

*1016. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work in Palana Colliery in Bikaner District, Rajasthan has been stopped and that the mine has been sealed ; and

(b) if so, the arrangements proposed to be made by Government for providing alternative employment to the employees who have thus been thrown out of employment and are now on the verge of starvation ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes Sir. On the advice of the Directoraie General of Mines Safety, Dhanbad, the mine was sealed on the 5th January, 1969, due to spontaneous heat in the underground.

(b) The question does not arise as the management did not retrench any workman.

Commemorative Stamps on Swami Shradhanand

*1017. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not agreed to issue commemorative postage stamp on Swami Shradhanand ;

(b) whether it is also a fact that Ghalib postage stamp had been issued twice, once in 1952 and now again issued on Ghalib Centenary ; and

(c) if so, the reasons therefor and the authories resposible for taking decision in both tbese cases and tne criteria followed in issuing commemorative stamps ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir; it was not recommended by the Philatelic Advisory Committee.

(b) Yes, Sir.

(c) One stamp on Ghalib was issued in Saint-Poets and Poets series brought out

in 1952. Another stamp was issued to commemorate the Death Centenary of poet Ghalib on 17-2-1969.

The proposal for the issue of a stamp on Swami Shradhanand in Deceember 1968 on his 42nd Martyrdom Day was considered by the Philatelic Advisory Committee in its meeting held in February, 1968, but the Committee did not recommend.

Decisian regarding the issue of special commemorative postage stamps is taken by the Government on the basis of the recommendations made by the Philatelic Advisory Committee constituted by the Government.

A statement showing the general criteria followed for issue of special/commemorative postage stamps is attached.

STATEMENT

1. No proposal for the issue of Commemorative stamps shall ordinarily be entertained unless 18 months notice is glven to the Department except in eases of special emergency.
2. No commemorative stamp shall ordinarily be issued honouring an individual unless the occasion is 100th anniversary (birth or death). A commemorative stamp may also be issued on the 1st or 10th death anniversary.
3. No commemorative stamp shall ordinarily be issued celebrating any event unless the occasion is the 50th year or the centenary. Events of international character only should be considered for the issue of special stamps, others should be commemorative by the issue of spccial cancellations only.
4. Out of the 12 issues or more involving not more than 20 stamps as recommended by the Philatelic Advisory Committee to be brought out in a year not more than 4 stamps should be commemorative of personalities.

केन्द्रीय मन्त्री के पुत्र के विरुद्ध आरोप

*1018. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पुत्र की गतिविधियों के बारे में 22 फरवरी और 1 मार्च, 1969 के "आर्गनाइजर" में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) उसमें लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक आरोपों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है ,

(ग) छोटे प्लाट वालों के हित में इस के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि मोडर्न प्लानर्स से जिनका कनाट-प्लेस, नई दिल्ली में अपना कार्यालय है, उनके पुत्र के इस फर्म के भागीदार होने की स्थिति का अनुचित लाभ न उठायें ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 22 फरवरी तथा पहली मार्च, 1969 के "आर्गनाईजर" में प्रकाशित समाचार में मेरे पुत्र सुरेश के दो मामलों का उल्लेख किया गया है। प्रथम तो यह है कि वह सर्वश्री अलगी-मेनी आफ रोटरडैम (हालैंड) नामक फर्म से मासिक वेतन पाता है। दूसरा यह है कि उसने एक

साझेदारी फर्म की है जिसे उसने "रश्मि एस्टेट" के नाम से उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर, तहसील सिकन्दराबाद में स्थित चौड़ा, सादतपुर और रघुनाथपुर में जमीन खरीदने के लिए और ऊंचे दरों पर रिहायशी प्लाट के रूप में बेचने के लिए स्थापित किया है। यह आरोप लगाया गया है कि मैंने चौधरी चरण सिंह से, जब वे मुख्य मंत्री थे, यह आग्रह किया था कि वह किसानों को अपनी जमीन मेरे पुत्र को बेचने के लिए कहें। यह भी कहा गया है कि ये कार्रवाइयां शुबहे से खाली नहीं हैं और मेरे सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया है।

इन आरोपों का विषय मेरे मन्त्रालय की कार्य सीमा के बाहर है। इसलिए, सभापति जी, मैं यह समझता हूँ कि आपने यह प्रश्न इसलिए स्वीकार किया है ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकूं। जहां तक मेरे पुत्र का संबंध है वह बालिग व्यक्ति है और वह अपना काम मुझसे सलाह करके नहीं करता है। 1956 में उसके विवाह के उपरान्त, जिसके सम्बन्ध में हम में मतभेद था, ऐसे ही चला आ रहा है।

मैंने अब पता लगाया है कि मेरे पुत्र ने ऊपर लिखित फर्म से, उस फर्म का प्रतिनिधि होने की हसीयत से तीन साल तक, जो अगस्त या सितम्बर, 1961 में पूरे होते हैं, मासिक वेतन पाया है। सात दिसम्बर, 1956 से 9 अप्रैल, 1962 के दौरान, जब मै रेलवे मन्त्री था, रेलवे मन्त्रालय द्वारा सप्लाई का कोई भी आर्डर सर्वश्री अलगीमेनी आफ रोटरडैम फर्म को नहीं दिया गया था।

जहां तक दूसरे कार्य-प्रबन्ध का संबंध है, भूमि और आवास विकास के साथ मेरा किसी भी समय कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, मेरी श्री चरण सिंह से इस बारे में कोई बात-चीत नहीं हुई और न ही मैंने उन पर या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई प्रभाव डाला है।

(ग) यह तो एक अनुमानात्मक प्रश्न है। यदि प्लाट-धारक कभी भी यह अनुभव करते हैं कि उनके हित सुरक्षित नहीं हैं तो वे सक्षम प्राधिकारी के पास अपने हितों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं। मैं अपनी ओर से केवल यही कह सकता हूँ कि आज तक मैंने अपने लड़के के लिए किसी भी प्रकार के पक्षपात या संरक्षण प्राप्त कराने के लिए अपने सरकारी पद का उपयोग नहीं किया है और न ही मैं भविष्य में ऐसा करूंगा।

बर्मा तामीज्हार पुनर्वास संस्था, मद्रास

*1019. **श्री उमानाथ :** **श्री के० रमानी :**
श्रीनम्बियार : **श्री किरुतिनन :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मा तामीज्हार पुनर्वास संस्था, मद्रास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सीमाशुल्क अधिकारियों के व्यवहार के कारण उनको होने वाली हानि तथा कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी सहायता करने तथा उनके व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अपने पुनर्वास के लिए सरकार से कोई विशिष्ट सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). बर्मा तमिज्हार पुनर्वास संस्था, मद्रास द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि, सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969, के अधीन सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप, संस्था के सदस्य अपने वर्तमान व्यापार को चालू रखने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे ।

विशिष्ट मदें, जिनके लिये सहायता मांगी गई है, और की गई कार्यवाही निम्न में दी गई हैं :—

मांगी गई सहायता

(i) संस्था के सदस्यों को सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969, में की गई व्यवस्था से छूट दे दी जाये ।

(ii) स्वदेश लौटे प्रत्येक दुकानदार को प्रति परिवार 5,000 रुपये का ऋण मंजूर किया जाये ।

(iii) स्वदेश लौटे भारतीयों के स्थायी पुनर्वास के लिए उन्हें पृथक मार्केट दी जाये, जो या तो उस स्थान पर हो जहाँ पर कि वह इस समय स्थित है या किसी अन्य उचित स्थान पर हो जिसमें कि संस्था के सभी सदस्य दुकानदारों को जगह मिल सके ।

(iv) जब तक उन्हें ये राहतें प्रदान नहीं की जातीं, सीमा शुल्क, बिक्री कर तथा अन्य सभी प्राधिकारियों को आदेश दिया जाये कि उनके द्वारा किये जाने वाले व्यापार में हस्तक्षेप न करें ।

(v) उन्हें बिक्री कर तथा अन्य करों के भुगतान के सम्बन्ध में छूट दे दी जाये ।

संस्था की प्रार्थनाओं की जांच की गई है और स्थिति निम्न में दी गई है :

(i) सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969, में की गई व्यवस्था से छूट की प्रार्थना विचाराधीन है ।

(ii) प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर, छोटे मोटे कार्य तथा व्यापार के लिए तमिल नाडु सरकार द्वारा ऋण मंजूर किये जाते हैं ।

(iii) इस समय बीच रेलवे स्टेशन के साथ वाले प्लेटफार्म पर स्थित बर्मा बाजार बस्ती में सुगम पैदल यातायात में कठिनाई उत्पन्न कर रहा है ; इस लिये तमिल नाडु सरकार मद्रास शहर की अन्य उपयुक्त बस्तियों में वैकल्पिक स्थानों पर स्टाल देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(iv) एसोसियेशन ने जैसी प्रार्थना की है वैसा आदेश जारी करना सम्भव नहीं है ।

(v) बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को कुछ समय के लिये बिक्री कर के भुगतान में छूट देने का प्रश्न तमिल नाडु सरकार के विचाराधीन है

अधिक फसल देने वाली पटसन की किस्मों का उत्पादन

*1020. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

(क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक फसल देने वाली पटसन की किस्मों के उत्पादन हेतु अनुसंधान करने के लिए सरकार ने कोई योजना आरम्भ की है जैसा कि गेहूँ और गन्ने के बारे में किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पटसन की कमी को पूरा करने हेतु प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सरकार पटसन की अधिक उपज वाली किस्में तैयार करने के लिए अपने अनुसंधान केन्द्रों को अनुदेश देगी अथवा नये अनुसंधान केन्द्र खोलेगी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) पटसन पर अनुसंधान का कार्य पटसन और संश्रित रेशों पर अखिल भारत समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत स्थापित मुख्य और उपकेन्द्रों पर किया जा रहा है जिसका प्रथम उद्देश्य जूट की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करना है ।

मध्य प्रदेश को चीनी का सम्भरण

5856. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965, 1966, 1967 तथा 1968 में मध्य प्रदेश की चीनी की मांग को केन्द्रीय सरकार द्वारा किस सीमा तक पूरा किया गया ?

खाद्य, तथा, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के वर्षों में चीनी के मूल्य और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण था । राज्यों में चीनी की उपलब्ध मात्रा का वितरण स्थापित आधार पर किया गया था । 1967-68 में चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू की गई थी । चीनी कारखानों में उत्पादित चीनी का केवल 60 प्रतिशत लेवी के रूप में अधिग्रहण किया गया था और उसे मध्य प्रदेश सहित राज्यों में मासिक कोटों के आधार पर वितरित किया गया था । मध्य प्रदेश सरकार ने अपना मासिक कोटा 5832 मीटरी टन से बढ़ाकर 7430 मीटरी टन करने के लिए कहा था । चीनी की सीमित उपलब्धि होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाया ।

मध्यप्रदेश को चार वर्षों में चीनी की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गयी थीं :—

1964-65	1,57,025 मीटरी टन
1965-66	1,69,875 ,, ,,
1966-67	1,37,490 ,, ,,
1967-68	75,319 ,, ,,

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी संघ को मान्यता

5857: **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी संघ को मान्यता देने के लिए अनुशासन संहिता के अन्तर्गत सदस्यता की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों केवल एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सघ का मान्यता देने की सिफारिश की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की नीति वर्गों के अनुसार संघों को प्रोत्साहन डेने की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ। इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों में से तकनीकी श्रेणियों की दो यूनियनों में से एक यूनियन अर्थात्—इंडियन एयर क्राफ्ट टेकनिशियन्स एसोशियेसन ने जांच के लिए रिकार्ड प्रस्तुत किये। दूसरी यूनियन अर्थात् एयर कारपोरेशन इम्प्लायीज यूनियन को अनुशासन संहिता के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो मौके दिये गये, तो भी उसने अपने रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये।

(ख) यह पाया गया कि इंडियन एयर क्राफ्ट टेकनिशियन्स एसोसियेशन 76.7 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार की नीति वर्गवार अथवा विभागवार यूनियनों की मान्यता को प्रोत्साहन देने का नहीं है। लेकिन चूंकि कोई एक धन्धा अथवा वर्ग-वार यूनियनों को इंडियन एयरलाइन्स ने मान्यता दी थी, इसलिए सहायता की जाच करने के लिए ऐसी यूनियन का दावा स्वीकार किया गया जो कर्मचारियों के एक विशिष्ठ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी।

मध्य प्रदेश में किसानों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने का कार्यक्रम

5858. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन स्थानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या जहां किसानों

को वैज्ञानिक कृषि की नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) मध्य प्रदेश में कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें कब प्रशिक्षण दिया गया था ;

(ग) क्या साक्षरता भी इस कार्यक्रम का एक भाग है और यदि हां, तो इस पर गाँवों में कैसे अमल किया जाता हैं ;

(घ) मध्य प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम से कितने गांव वासियों तथा किसानों को लाभ पहुंचा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वरित अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम वाले दो जिलों में कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की योजना के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश के लिये दो कृषक प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किये गये हैं और ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर और ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दखुरी (जिला रायपुर) पर स्थित है ।

(ख) राज्य सरकार ने हाल ही में इन केन्द्रों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है । अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कृषकों की संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ;

(ग) जी हां । यह केवल रायपुर जिले के कार्यक्रम का एक अंग है । कृषकों को अपना फार्म योजनाओं को तैयार करने हेतु आदान कार्डों को भरने, हिसाब को ठीक रखने, ऋण और आपूर्ति आदि विषयक सरल पत्र लिखने के योग्य पर्याप्त साक्षर बनाने के लिये वरित गांवों में क्रिया शील साक्षरता दल संगठित कर दिये गये हैं । 20-30 प्रौढ कृषकों के दलों के लिये अध्यापकों और अन्य कार्यकर्ताओं की सहायता से कक्षायें संगठित की जायेगी । प्रत्येक पाठ्यक्रम 6 मास की अवधि का होगा । प्रथम तीन महीनों में सप्ताह में पांच दिन और शेष तीनों महीनों में सप्ताह में 2-3 दिन अध्यापन होगा ।

(घ) प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ों के नामांकन के साथ रायपुर जिले में 60 केन्द्रों पर क्रियाशील साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है । यद्यपि प्रारम्भिक कार्य पर्याप्त समय से चल रहा है, किन्तु साक्षरता कक्षाओं में कार्य केवल 1-3-69 से ही आरम्भ किया गया है ।

नई दिल्ली में ओल्ड राजेन्द्र नगर बस्ती

5859. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 20 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच नई दिल्ली की ओल्ड राजेन्द्र नगर बस्ती में मकानों की चार दीवारों के बारे सूचना एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पुराने राजेन्द्र नगर में जिन मकानों में चार दीवारी । घेरा जंगला लगा है उनकी

संख्या 2472 है। सार्वजनिक भूमि तथा मार्ग की पटरियों पर पक्की चारदीवारी बनाना, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1967, की धारा 318 के अधीन अधिक्रमण करना है और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन चारदीवारियों के गिराने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

वार्षिक नाटक समारोह

5860. **श्रीमती जयाबेन शाह** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा किस प्रयोजन से वार्षिक नाटक समारोह आयोजित किया जाता है ;

(ख) इस समारोह से किन-किन को लाभ होता है।

(ग) पिछले ग्यारहवें नाटक समारोह में कुल कितने लोग आये ;

(घ) गत समारोह पर कितना खर्च हुआ और उससे कितनी आय हुई ; और

(ङ) गत समारोह में किन-किन सांस्कृतिक मंडलियों ने भाग लिया और प्रत्येक मंडली को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा वार्षिक नाटक समारोह आयोजित करने के उद्देश्य ये हैं :—

राज्य सरकारों की मंडलियों को नाटक प्रस्तुत करने के आधुनिक तरीकों से परिचित कराना ;

गीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों को विभिन्न राज्यों में नाटकों को प्रस्तुत करने की विधियों से परिचित कराना ;

विभिन्न प्रदेशों से तथा विभिन्न भाषाओं में एक मंच पर गीत, नाटक, आदि के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायता देना।

परिवार नियोजन, आर्थिक विकास (बचत) आदि जैसे राष्ट्रीय अभियानों के प्रचार में सहायता करना ;

श्रोताओं को अच्छे स्तर का मनोरंजन देना।

(ख) समारोह से लाभ उठाने वालों में गीत तथा नाटक प्रभाग, राज्य सरकारें, भाग लेने वाली मंडलियां, राजधानी के लोग और सामान्य रूप से थियेटर आंदोलन हैं।

(ग) यद्यपि कोई ठीक रिकार्ड नहीं रखा गया तो भी ग्यारहवें नाटक समारोह में आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 25,000 थी।

(घ) ग्यारहवें नाटक समारोह पर लगभग 83,600/—रुपये खर्च हुए थे। इससे कोई आय नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें प्रवेश निःशुल्क था।

(ङ) क्रम संख्या	मंडली का नाम	गीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा दी गई धन-राशि जो कापीराइट प्रभार आदि समेत मंडलियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, भाड़े, मेक-अप आदि के सामान उपकरण, आदि पर हुए खर्च का 50 प्रतिशत थी ।
		रुपये
1.	गोआ हिन्दू एसोसियेशन बम्बई ।	52,32.50
2.	युवक संघ, कला विभाग, मपुसा गोआ ।	1,904.00
3:	बिहार सरकार के जन सम्पर्क विभाग की विभागीय नाटक मंडली ।	1,306.20
4,	कलाश्री थियेटर, कटक ।	3,585.00
5.	टी. के. एस. बादर्स, मद्रास।	8,760.00
6.	राजकीय सांस्कृतिक मंडली, लोक मनोरंजन अनुभाग पश्चिम बंगाल सरकार ।	3,653.85
7.	देशाभिमानी थियेटर, आलिगन, केरल ।	6,525.00
8.	एच. के. आर्टस कालेज ऐड नट मंडल, अहमदाबाद ।	3,300.00
9.	आर्यन थियेटर, मणिपुर ।	5,365.00
10.	न्यू आर्ट प्लेअर्स, गोहाटी ।	3,750.00 (बुक डेबिट प्रतिक्षित है)
11.	हिमाचल प्रदेश सरकार के जन सम्पर्क विभाग की विभागीय मंडली ।	150.00
12.	गीत तथा नाटक प्रभाग की विभागीय नाटक मंडलिया ।	कोई भुगतान निहित नहीं हैं ।

ओबरहोसेन अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह

5861. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है हाल ही में ओबरहोसेन अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फिल्म समारोह के उपनिदेशक द्वारा मंगाई गई पांच फिल्मों के स्थान पर सरकार ने दो अन्य फिल्में भेजी थीं ; और

(ग) क्या इसके कारण भारतीय फिल्मों को अस्वीकार कर दिया गया था और इस प्रकार विश्व में इस महत्वपूर्ण लघु चलचित्र समारोह में भारत भाग नहीं ले सका ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) ; (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जिन पांच फिल्मों को मंगाया गया था उनमें से एक फिल्म गैरसरकारी निर्माता द्वारा बनाई गई थी । उनको यह अधिकार दे दिया गया था कि फिल्म को प्रविष्ट कर सकते हैं । परन्तु यह फिल्म पूरी नहीं थी इसलिए वह प्रिन्ट नहीं भेज सके । फिल्मों में एक फिल्म पहले ही समारोह में प्रविष्ट की जा चुकी थी और इस प्रतियोगी समारोह में प्रविष्ट नहीं की जा सकती थी । एक और फिल्म प्रविष्ट की गई थी परन्तु समारोह प्राधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया । शेष दो फिल्मों को विदेश मन्त्रालय ने विदेशों में दिखाने क लिए मन्जूर नहीं किया और इसलिए वे फिल्में नहीं भेजी गई । तथापि, दो अन्य फिल्में, जिनको मन्त्रालय ने उपयुक्त समझा, प्रविष्ट की गई परन्तु समारोह प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं की गईं ।

जड़ी बूटियां

5862. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन जड़ी बूटियों का अब तक सर्वेक्षण किया गया है उनके नाम क्या हैं तथा वे सम्भवत: किस प्रयोग में लाई जा सकती हैं ;

(ख) यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम किस संस्था को सौंपा गया था तथा उसका अता-पता क्या है तथा उसने क्या काम किया है ;

(ग) भारत में कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ वाणिज्यिक आधार पर पैदा की जाती हैं, वे कहां-कहां पर पैदा की जाती हैं, प्रत्येक जड़ी बूटी कितने एकड़ भूमि पर पैदा की जाती हैं तथा गत वर्ष वर्ष-वार में प्रत्येक जड़ी-बूटी कितनी मात्रा में पैदा हुई तथा उसका भूल्य कितना था ; और

(घ) गत वर्ष किन-किन जड़ी बूटियों का निर्यात किया गया तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) से (घ). भारत सरकार के विभिन्न विभागों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मन्दिरों, मस्जिदों आदि के डाक-टिकट

5863. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसे कोचीन सिनेगांग के मामले में किया गया था उसी प्रकार 1947 से कितने तथा

कौन-कौन से प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के डाक-टिकट जारी किये गये तथा वे कितने-कितने मूल्य के हैं और किन-किन तारीखों को जारी किये गये हैं ;

(ख) 1947 से कितनी तथा कौन-कौन सी मुस्लिम मस्जिदों अथवा मुगल शासकों के मकबरों के और कितने-कितने मूल्य के डाक-टिकट जारी किये गये तथा किन-किन तारीखों को ;

(ग) 1947 से कितने तथा किन-किन हिन्दू सन्तों, कवियों तथा अन्य सम्मानित व्यक्तियों के नाम से और कितने-कितने मूल्य के डाक-टिकट जारी किये गये तथा ये किन-किन तारीखों को;

(घ) 1947 से कितने तथा किन मुस्लिम सन्तों, कवियों तथा सम्मानित व्यक्तियों के नाम में और कितने-कितने मूल्य के डाक-टिकट जारी किये गये तथा किन-किन तारीखों को ; और

(ङ) उपर्युक्त के अतिरिक्त कितने तथा किन-किन विषयों पर और कितने-कितने मूल्य के डाक-टिकट जारी किये गये तथा ये किन-किन तारीखों को ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ङ). सूचना संलग्न विवरण-पत्र में मद-वार दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 674/69]

मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ तथा होशंगाबाद जिलों में छोटी सिंचाई योजनायें

5864. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ तथा होशंगाबाद जिलों में कितनी तथा कौन-कौन सी छोटी सिंचाई योजनायें केन्द्र की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है ;

(ख) उनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार किसी नई योजना पर भी विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश को अकालग्रस्त क्षेत्रों में वितरणार्थ मोटे अनाज की सप्लाई

5865. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के कुछ अकालग्रस्त क्षेत्रों में वितरण करने के लिए गत तीन वर्षों में मोटा अनाज मांगा था ;

(ख) क्या मांगी गई सारी मात्रा दे दी गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश की उस समय की भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुए इस छोटी सी मांग को पूरा न किये जाने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). 1966 तथा 1967 के वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार से अकाल-

ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण अथवा सामान्य वितरण के लिए विशिष्ट रूप से मोटे अनाजों के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। जब गेहूँ की कम मात्रा के स्थान पर माइलो की पेशकश की गयी थी, तब मई, 1966 के अन्त में उन्होंने 25,000 मीटरी टन देने के लिए कहा था और यह मात्रा आवंटित कर दी गयी थी। 1966 तथा 1967 में गेहूँ की कम सप्लाई की पूर्ति के लिए माइलो का और अधिक आवंटन किया गया था हालांकि इसके लिए विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया था। दिसम्बर, 1968 में राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1,300 मीटरी टन आयातित माइलो के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। यह अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय केन्द्र के पास आयातित माइलो का स्टाक उपलब्ध नहीं था। 1967 में मध्य प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त के उपहार में से 4,000 मीटरी टन मक्का और यूनिसेफ से प्राप्त उपहार में से 750 मीटरी टन जो आवंटित किया गया था हालांकि राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

मध्य प्रदेश में नलकूप

5866. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सिंचाई प्रयोजनार्थ अब तक कुल कितने नलकूप लगाये गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितना धन व्यय किया गया है ;

(ग) इससे सिंचाई की कितनी क्षमता बढ़ी है ;

(घ) इससे वास्तव में कितने एकड़ भूमि को लाभ पहुंचा है ;

(ङ) कितने नलकूप चालू हालत में हैं तथा कितने नलकूप वास्तव में काम कर रहे हैं ; और

(च) उसमें से कितने नलकूप इस समय खराब पड़े हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (च). मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्टी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में कम गहरे नलकूप

5867. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के प्रयोजनार्थ कम गहरे नलकूप लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कम गहरे नलकूप लगाने का निर्णय करने से पहले उस राज्य की सरकार ने भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की सलाह ली थी और यदि नहीं, तो क्यों ;

(ग) मध्य प्रदेश में आज तक कितने कम गहरे नलकूप लगाये गये हैं ;

(घ) राज्य के प्रत्येक जिले में कितने-कितने नलकूप लगाये गये हैं ;

(ङ) जिलावार कितने एकड़ भूमि को लाभ पहुंचा है ;

(च) कम गहरे कितने नलकूप चालू हालत में हैं तथा वास्तव में कितने काम कर रहे हैं ; और

(छ) इस समय कितने नलकूप खराब पड़े हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण से सलाह ली थी ।

(ग) 202 नलकूप जिनमें से 140 सफल हुए हैं फरवरी, 1969 तक खोदे गए हैं ।

(घ) जानकारी इस प्रकार है :

	जिला	कुल खोदे कूप	सफल कूपों की संख्या	चालू कूपों की संख्या
1.	इन्दौर	105	60	23
2.	नरसिंगपुर	4	4	1
3.	सिहोर	16	13	2
4.	होशंगाबाद	41	34	2
5.	सतना	3	1	—
6.	रायसन	33	28	—
	जोड़ :	202	140	28

(ङ) कुछ कूपों से हाल में ही सिंचाई शुरू हो गई है जबकि बाकियों से अभी शुरू होगी इसलिए इस समय लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्र के बारे में अनुमान नहीं लगाये जा सकते ।

(च) अभी तक सारे चालू किये गये 28 नलकूप कार्य करने वाली स्थिति में हैं और वास्तव में कार्य कर रहे हैं ।

(छ) कोई भी नहीं ।

श्रम अधिकारियों की नियुक्ति

5868. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम तथा रोजगार विभाग के अनुरोध पर संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1968 में केन्द्रीय पुंज के रिक्त पदों को भरने वाले श्रम अधिकारियों के लगभग 30 पदों को समाप्त कर दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या श्रम तथा रोजगार विभाग द्वारा केन्द्रीय पुंज के अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की वर्तमान पद्धति को जारी रखने की बजाय केन्द्रीय पुंज के श्रम अधिकारियों को समूचा प्रशासनिक नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण करने की सिफारिश केन्द्रीय श्रम आयुक्त ने की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले पर अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ङ) क्या श्रम अधिकारियों के रिक्त पदों पर निकट भविष्य में नियुक्तियां की जायेगी ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). चूंकि डाक और तार बोर्ड के अधीन कार्य करने वाले पूल के कई अधिकारियों के रिवर्ट होने की संभावना के कारण श्रम पूल में प्रत्याशित संख्या तक रिक्त स्थान उपलब्ध होने की आशा नहीं थी, अतएव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 20 श्रम अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव जुलाई 1968 में छोड़ दिया गया ।

(ग) और (घ). सरकार को मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित केन्द्रीय श्रम प्रशासन सम्बन्धी कार्यकारी दल ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक नियोजक मन्त्रालय का जहां तक संभव हो अपना संवर्ग होना चाहिए और पूल के श्रमिक अधिकारियों की प्रबन्ध व्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिये । इन तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार करेगी ।

प्रबन्ध विकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संकल्प की क्रियान्विति

5869. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार, प्रबन्ध विकास के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संकल्प को, जो विशेष रूप से भारत में कर्मचारियों सम्बन्धी नीतियों और प्रथाओं, जो कि अभी अविकसित हैं, के बारे में हैं । क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाना चाहती है ;

(ख) उक्त प्रयोजनों के लिए कितनी कितनी राशियाँ रखी गई हैं तथा भारत में कर्मचारी प्रबन्ध विकास के लिए क्या कार्यक्रम आरम्भ किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रबन्ध विकास शाखा से कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता भी प्राप्त की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) . प्रबन्ध विकास, विशेषतः कार्मिकों की नीतियां और प्रथाओं से संबंधित प्रस्ताव एशियायी प्रादेशिक सम्मेलन (टोकियो, सितम्बर, 1968) में स्वीकार किया गया था । इस प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि एशियायी देशों की सरकारें निजी प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षण संस्थान खोलने और प्रबन्धकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य-क्रमों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता, कर रियायतें और अन्य प्रोत्साहन देना स्वीकार करें । प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई है कि एशियायी देश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम का लाभ प्रबन्धकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजनाओं के लिए उठाने का प्रयत्न करें ।

एशियायी प्रादेशिक सम्मेलन के छटे अधिवेशन में पास किये गये प्रस्ताव औपचारिक रूप

से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अभी हाल ही में विचार और उचित कार्यवाही के लिए प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के विषय में उचित कार्यवाही का निर्णय करने से पहले इन्हें भी राज्य सरकारों/सम्बन्धित मन्त्रालयों और अन्य संस्थाओं को उनके विचार जानने के लिए भेजना है।

मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई के विकास तथा नये कुओं के लिये केन्द्रीय सहायता

5870. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में छोटी सिंचाई का विकास करने तथा नये कुएं खोदने के लिए 1966-67, 1967-68 तथा 1969-70 में केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी सहायता दी गई ;

(ख) उस सरकार ने वास्तव में कितने धन का उपयोग किया तथा प्रत्येक वर्ष इन कामों में कितनी प्रगति हुई ; और

(ग) 1969-70 की ऐसी योजनाओं के लिए केन्द्र से कितनी सहायता मांगी गई है तथा उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार को 1966-67 और 1967-68 के दौरान लघु सिंचाई के लिए जिसमें नये कुयें खोदने भी सम्मिलित हैं निम्न राशि की सहायता दी गई :

केन्द्र द्वारा दी गई सहायता

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
1966-67	690.06	51.97	742.03
1967-68	355.80	88.90	444.70
1968-69	370.11	95.53	465.64

1969-70 के लिए राज्य सरकार को लघु सिंचाई कार्यक्रम हेतु 5.00 करोड़ रुपये का अस्थायी परिव्यय स्वीकृत कर दिया गया है और स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता की साल के अन्त में मंजूर कर दी जायेगी। 1969-70 के दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली मुख्य योजनायें निम्न हैं :

(1) प्रवाह सिंचाई।

(2) भूपृष्ठ जल सिंचाई का सर्वेक्षण और जांच पड़ताल।

(3) राज्य नलकूपों का बोरिंग और उन्हें गहरा करना।

(4) भूमिगत जल का विकास।

(5) गैर सरकारी काम जैसे कि खातकूप, नलकूप, विद्युत पम्पसेट, डीजल पम्प सैट रहट इत्यादि का निर्माण।

(ख) 1966-67 और 1967-68 में राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का

वस्तुतः कितना उपयोग किया गया का ज्ञान इन वर्षों में राज्य के व्यय के लेखा परीक्षा द्वारा प्राप्त आंकड़ों के प्रस्तुत होने के उपरान्त ही होगा।

विभिन्न लघु सिंचाई उपायों जिनमें नये कुये खोदने भी सम्मिलित है के फलस्वरूप 1966-67 और 1967-68 के दौरान हुई प्रगति और 1969-70 के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये हुये हैं:

वर्ष	(एकड़ हजारों में) और अतिरिक्त क्षेत्र में प्राप्ति
1966-67	155.95
1967-68	220.00
1968-69	102.69 (प्रत्याशित प्राप्ति)
1969-70	198.25 (लक्ष्य)

मद्रास तथा पांडीचेरी रेडियो स्टेशन

5871. **श्री सुब्रावेलू** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाडू के मद्रास, पांडीचेरी, त्रिची और त्रिनुल्वेली रेडियो केन्द्रों से रिले किये गये प्रसारण दिल्ली में नहीं सुने जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन केन्द्रों में कमजोर और पुराने ट्रांसमीटरों के प्रयोग किये जाने के कारण ऐसा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां, । परन्तु मद्रास में शार्टवेव सेवा, जिस पर विविध भारती कार्यक्रम और सीमित रूप में दक्षिण पूर्व एशिया के लिये तमिल में प्रयोगात्मक विदेश सेवा के कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली में सुनी जा सकती हैं । तथापि, यह पता नहीं हैं कि लोग इसको सुनते भी है या नहीं ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

5872. **श्री अविचल** :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के लिये खाद्यान्नों के समाहार मूल्यों के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) किन समाहार मूल्यों की सिफारिश की गई है;

(ग) आयोग द्वारा मदवार कितनी वृद्धि अथवा कमी की सिफारिश की गई है तथा इसके लिये क्या कारण दिये गये हैं ;

(घ) आयोग द्वारा प्रत्येक खाद्यान्न के सम्बन्ध में किस-किस समाहार लक्ष्य की सिफारिश की गई है ; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। आयोग की सिफारिशें गेहूँ के बारे में हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण (1) सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 675/69] आयोग ने 1969-70 के गेहूँ के लिए अपेक्षाकृत कम मूल्यों की सिफारिश की है। उनके विचार में मूल्यों से अधिक उपज देने वाली किस्मों की सफलता, बाजार की वास्तविकता और अनाजों के कुल सरकारी वितरण में गेहूँ के आयात को कम करने की वांछनीयता प्रतिबिम्बित होनी चाहिये।

(घ) गेहूँ के राज्यवार अधिप्राप्ति लक्ष्य बताने वाला एक विवरण (2) सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 675/69]

(ङ) भारत सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

आकाशवाणी का 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम

5873. **श्री सुब्रावेलू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में दिल्ली से बाहर के पत्रकारों को भी भाग लेने के लिये कहा जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम

5874. **श्री सुब्रावेलु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये कलाकारों का चयन किन नियमों के आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या यह चयन किसी समिति द्वारा किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए कलाकरों का चयन संगीत के क्षेत्र में उनकी योग्यता और साख तथा विशिष्ट कार्यक्रम के लिए उनकी उपयुक्ता के आधार पर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। चयन आकाशवाणी महानिदेशालय की केन्द्रीय संगीत एकक द्वारा किया जाता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Service Conditions of the Workers of the Sugar Industry

5875. **Shri Ramesh Chandra Vyas :**
Shri Ramchandra Veerappa :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Study Team constituted by the National Labour Commission for the Sugar Industry has stated in its report that service conditions in that industry are very unsatisfactory ;

(b) whether it is also a fact that the scheme to provide residential houses to the workers of the Sugar Mills at concessional rates has not been implemented ;

(c) if not, the number of workers who have been provided with houses at concessional rates under the aforesaid scheme so far ; and

(d) the steps being taken by Government to construct such houses forthwith for the remaining workers of the Sugar Mills ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Report of the Study Team has been submitted to the Nation Commission on Labour. Government is not seized of the matter and will consider it on receipt of the recommendations of the Commission.

(b), to (d). The Subsidised Industrial Housing Scheme, which is in operation, is applicable to workers in sugar mills also whose income does not exceed Rs. 350/- p.m. The Scheme is implemented by the State Governments/housing co-operatives and private employers. Particulars regarding the number of workers of sugar mills provided with houses under the Scheme are not available.

The recommendations of the Conference of Ministers of Housing, Urban Development and Town Planning held in November 1967, that the State Governments should make concerted efforts to persuade industrial employers to build houses for at least 10 per cent of the eligible industrial workers to begin with has been communicated to the State Government for taking appropriate action in the matter.

प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर

5876. **श्री सुब्रावेलु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में राज्यों में कितने ट्रैक्टर खेतों में प्रयोग में लाये गये थे ;

(ख) क्या सभी राज्यों में सामान्य रूप से तथा तामिल नाडु में विशेष रूप से ट्रैक्टरों का प्रायोग तब से निरन्तर बढ़ता जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय पशु गणना के साथ ही पांच वर्षों के पश्चात ट्रैक्टर की गणना

भी की जाती है । 1966 में की गई पिछली गणना के अनुसार देश में 53,966 ट्रैक्टर थे । अगली गणना 1971 में होने की आशा है । अत: 1967-68 के लिये ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). जी हां । 1961 की गणना की तुलना में 1966 में तामिल नाडु सहित सारे देश में ट्रैक्टरों के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है । जानकारी नीचे दी गई है :—

गणना वर्ष	आबादी		वृद्धि की प्रतिशतता	
	अखिल भारतीय	तामिल नाडु	अखिल भारतीय	तामिल नाडु
1961	31,016	1,387	74	136
1966	53,966	3,278		

Rice Allotment to Maharashtra

5877. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice supplied by the Central Government to Maharashtra in 1968 ;

(b) the quantity of rice demanded by the State Government in that year ;

(c) whether rice is being supplied in smaller quantity in 1969 ; and

(d) if so, the reason, therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1.48 lakh tonnes.

(b) 2.00 lakh tonnes.

(c) and (d). It has been decided to maintain the level of monthly supplies at 14,000 tonnes for the present.

दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार

5878. **श्री जनार्दनन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन में मैट्रिक पास, स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख). बेरोजगारी के विषय में यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है । *31-12-68 को दिल्ली में नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले पढ़े-लिखे उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित थी :

मैट्रिकुलेट्स (हायर सेकण्डरी और इंटरमीडिएट समेत)	52,166
स्नातक	14,190
स्नातकोत्तर	196
कुल योग	66,552

*प्रत्येक वर्ष जून तथा दिसम्बर के अन्त में आकड़े एकत्र किये जाते हैं ।

गुजरात को चावल का नियतन

5879. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत एक वर्ष में गुजरात के लिये कितने चावल का नियतन किया गया है ;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितना चावल सप्लाई किया गया ; और

(ग) यदि सप्लाई में कुछ कमी रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) ; (क) पिछले एक वर्ष में मार्च, 1968 से फरवरी, 1969 तक गुजरात को चावल की आवंटित की गई मात्रा 43.0 हजार मीटरी टन थी।

(ख) उस अवधि में चावल की सप्लाई की गई मात्रा 43.4 मीटरी टन थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में कृषि विकास कार्यक्रम

5880. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित कुल धनराशि में से कितना धन कृषि विकास कार्यक्रम पर खर्च करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये क्या सरकार का विचार गुजरात में कृषि के विकास के लिये कोई विशेष योजनाएं बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तैयारी की अग्रवर्ती अवस्था में है और राष्ट्रीय विकास परिषद की आगामी बैठक के पश्चात इसे अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये अपनाये जाने वाले मुख्य उपायों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम, बहु फसल, सघन खेती के लिये लघु सिंचाई, उर्वरक और कीट नाशक औषधियों जैसे आपानों का संगठित उपबन्ध, संस्थानिक वित्त सहित समय पर एवं उदार ऋण सुविधाएं, कृषकों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अनुसंधान की तीव्रता सम्मिलित हैं। गुजरात राज्य के लिये कार्यक्रमों के ब्यौरे, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ज्ञात होंगे।

गुजरात में कृषि भूमि का कटाव

5881. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नर्मदा नदी से लगी हुई कृषि भूमि का निरन्तर कटाव रोकने तथा पहले ही कटी हुई भूमि को पुन: प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सहायता से कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि भूमि और साथ ही साथ मनी और नर्मदा नदियों के साथ कोटर भूमि के धीरे धीरे भू-क्षरण को रोकने के लिये गुजरात में राज्य योजना के अधीन विस्तृत भू संरक्षण कार्यक्रम अपनाये गये हैं । ये कार्य बन, भूमि संरक्षण, कोटार भूमि और अन्य क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने की विभिन्न योजनाओं के अधीन किये जा रहे हैं । पहली तीन योजनाओं की अवधि में भूमि संरक्षण कार्यक्रम (कंटर बांध बनाना) के क्षेत्र में 5 लाख हैकटेयर भूमि का क्षेत्र लाया गया और 1966-67 से 1968-69 तक तीन वार्षिक योजनाओं में इस क्षेत्र में लगभग 3 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाये जाने की संभावना है । कंटूर बांध बनाना, नालों को बन्द करना, टैरोसिंग और लैवालिंग कोटार और खर भूमि को कृषि योग्य बनाना आदि भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के लिये तीसरी योजना में केन्द्रीय सहायता का प्रतिमान 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत अनुदान था (जिसमें केन्द्र और राज्य का भाग बराबर बराबर होगा) और 1967-68 के पश्चात 60 प्रतिशत ऋण और 15 प्रतिशत अनुदान है ।

गुजरात में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

5882. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के सुधार और निर्माण के लिये एक प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). चौथी योजना 1969-74 के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । फरवरी, 1966 में गुजरात सरकार से पांच बन्दरगाहों के विकास के लिये और अतिरिक्त बन्दरगाहों पर काम करने के लिये इकट्ठी व्यवस्था करने के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ । इन प्रस्तावों का गुजरात सरकार के परामर्श के साथ परीक्षण किया गया और 1966-67 1967-68 और 1968-69 की वार्षिक योजना के अधीन इन प्रयोजनाओं पर विचार किया गया । 9 बन्दरगाहों पर तट पर खड़े होने और ठहरने की सुविधाओं पर कार्य शुरू किया गया और इस कार्य की

उन्नति निम्न सारिणी में दिखाई गई है :—

बन्दरगाह का नाम	जारी की गई प्रशासनिक मंजूरी (लाखों में)	जारी की गई अदायगी की मंजूरी (लाखों में)		
		1966-67	1967-68	1968-69
1. बरेवल	4.70	0.30	0.155	3.325
2. नवबुन्दर	0.61	—	0.060	0.030
3. जफ्राबाद	0.41	0.30	3.110	—
4. अंवरगांव	1.42	0.40	0.300	0.720
5. पोरबन्दर	2.24	0.03	0.830	1 374
6. कोलक	0.10	0.10	—	—
7. उमरसादी	0.50	—	—	0.500
8. मंगरोल	0.22	—	—	0.220
	13.20	1.13	1.455	6.169

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पदों के लिए विज्ञापन

5883. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 1968 में रोजगार कार्यालयों के जरिये कितने पदों के विज्ञापन दिये ; और

(ख) इस अवधि में रोजगार कार्यालयों के जरिये उक्त उपक्रमों में कितने पदों पर नियुक्ति की गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के पद नियोजन कार्यालयों के माध्यम से विज्ञापित नहीं किये जाते हैं। तथापि 1968 के दौरान केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजन कार्यालयों को सूचित तथा उनकी सहायता से भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या निम्नलिखित थी।

राज्य	सूचित रिक्त स्थानों की संख्या	भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2,561	1,375
उत्तर प्रदेश	745	421
पंजाब	2,424	801

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/कार्यालयों का किराया

5884. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में, राज्यवार, विभिन्न कार्यालयों तथा गोदामों के लिये कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है ; और

(ख) किराया पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में, राज्यवार, विभिन्न कार्यालयों तथा गोदामों के लिये दिये जा रहे औसत वार्षिक किराये को बताने वाला एक विवरण (31-3-1969 की स्थिति) सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 676/69]**

(ख) कार्यालयों/गोदामों के लिये स्थान उचित किराये पर तभी लिये जाते हैं जब बहुत ही आवश्यक हो और उसी समय तक रखे जाते हैं जब उनकी वास्तविक आवश्यकता हो । जब कभी लाभदायक होता है, निगम स्वयं अपने स्थानों का निर्माण कर लेता है अथवा सीधी खरीद द्वारा अभिग्रहण कर लेता है । किराये पर होने वाले खर्चे को कम से कम करने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा जाता है ।

श्रमिकों का प्रशिक्षण

5885. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को उनके अधिकार और उत्तरदायित्व तथा उनसे सम्बन्धित श्रम कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). यह सन् 1958 में बनाई गई श्रमिक शिक्षा योजना के द्वारा पहले ही किया जा रहा है । यह योजना केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, जो कि त्रिपक्षीय निकाय है, प्रशासित और क्रियान्वित की जाती है । बोर्ड ने सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 30 प्रादेशिक और 81 उप-प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किये हैं । अब तक 15,477 श्रमिक-अध्यापकों तथा 8,33,589 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

Supply of Foodgrains to States

5886. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 582 on the 14th November, 1968 and state :

(a) the names of the States to which foodgrains have been supplied from the Central

reserves under public distribution system and the quantity of foodgrains supplied to each State ;

(b) whether it is a fact that some States have complained that foodgrains were not made available to them according to their needs ; and

(c) if so, the action being taken to remove the said complaints ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement showing the quantity of foodgrains supplied to each State from the Central Pool during 1968 is attached.

(b) Some of the States did complain that supplies of foodgrains from the Central Pool were not adequate.

(c) With the limited availability of foodgrains with the Centre, it is not possible to meet in full the demands of all the States. The foodgrains available with the Centre are distributed among the deficit States as equitably as possible.

STATEMENT

(In '000 tonnes)

	State	Quantities actually supplied
1.	Andhra Pradesh	126
2.	Assam	213
3.	Bihar	506
4.	Gujarat	454
5.	Haryana	40
6.	Jammu & Kashmir	70
7.	Kerala	1013
8.	Madhya Pradesh	110
9,	Maharashtra	1516
10.	Mysore	281
11.	Nagaland	19
12.	Orissa	181
13.	Punjab	90
14.	Rajasthan	119
15.	Tamil Nadu	285
16.	Uttar Pradesh	282
17.	West Bengal	1546
18.	Others	714
	Total	7625

विविध भारती के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में जाँच

5887. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राल इण्डिया रेडियो ब्राडकास्टर्ज एण्ड टेलिकास्टर्ज गिल्ड ने उनके मंत्रालय से

अभ्यावेदन किया है जिसमें विविध भारती के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में जांच करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या बातें की गई हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में जांच के लिये एक समिति स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि विविध भारती यूनिट के अधिकारियों द्वारा कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को तंग किया जाता है ।

(ग) समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु आकाशवाणी महानिदेशालय के एक अधिकारी इस मामले की जांच करने के लिए पहले ही कह दिया गया है ।

Sinking of Tube Wells in Drought stricken areas of U.P.

5888. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Bal Raj Madhok :
Kumari Kamala Kumari :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 91 on the 14th November, 1968 and state :

(a) the target now fixed for the energisation of the private tube wells in drought-stricken areas of these eight districts of U.P. ;

(b) the amount of loans advanced to farmers during the financial year 1968-69 by Land Mortgage Banks, Agricultural Refinance Corporation and Agro Industries Corporation respectively for sinking private tube-wells in drough stricken districts ; and

(c) the rules for obtaining loans from these banks and corporations ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Communnity Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a), (b) and (b). The Government of Uttar Pradesh has been requested to furnish the requisite information. It will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received from the State Government.

Cow Slaughter

5889. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Onkar Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the names of the States where cow slaughter has been completely banned, the States where cow slaughter has been partially banned and also the States where there is no ban on Cow slaughter, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : A Statement giving the required information is attached.

STATEMENT

I. States/U.Ts. which have completely prohibited cow slaughter.

S. No.	States	S. No.	Union Territories
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Bihar	(1)	Andaman & Nicobar Islands.
(2)	Gujarat	(2)	Chandigarh
(3)	Haryana	(3)	Delhi
(4)	Jammu & Kashmir	(4)	Dadra & Nagar Haveli
(5)	Madhya Pradesh	(5)	Pondicherry
(6)	Maharashtra (in Vidharba Region)		
(7)	Mysore		
(8)	Orissa		
(9)	Punjab		
(10)	Rajasthan		
(11)	Uttar Pradesh		

II. State which have partially prohibitcd cow slaughter.

S. No.	States
(1)	Andhra Pradesh (in Telengana Region)
(2)	Assam
(3)	Maharashtra (in the former Bombay State)
(4)	Madras
(5)	West Bengal

III. States/U.Ts. which have not prohibited cow slaughter.

S. No.	States	S. No.	Union Territories
(1)	*Kerala	(1)	Laccadives Islands
(2)	Nagaland	(2)	Goa, Daman & Diu.

Notes : 1. *Although no legislation has been enacted in Kerala, yet as per Kerala Panchayat (Slaughter Houses and Meat Stalls) Rules 1964, no certificate for slaughter under rule 8 in respect of cow, is granted, unless the examining authority for reasons to be recorded in writing, is of opinion that (a) animal is over 10 years of age and is unfit for work and breeding or (b) the animal has become permanently incapacitated for work or breeding due to injury or deformity.

2. In Himachal Pradesh, Section 43 of Punjab Laws Act, 1872, has been made applicable according to which slaughter of king cannot take place except subject to rules to be framed from time to time, either general or in any particular instance, as prescribed by the State Government. The Government of Himachal Pradesh have informed the Government of India that the religious beliefs of the people provide protection to cows. The Himachal Pradesh Government have stated that to give legal protection, the provisions of Section 43 of of Punjab Laws Act, 1872 as applicable to Himachal Pradesh seems to be adequate.

3. In Tripura, according to an executive order issued in the year 1296 of the Tripura Era by the Maharaja of Tripura the cow slaughter is banned.

4. There is no legislation in Manipur banning cow slaughter, but in pursuance of a resolution issued by the erstwhile Manipur Darbar in 1936, cattle are not slaughtered in Manipur Valley.

Land Acquisition in States

5890. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 4290 on the 12th December, 1968 and state :

(a) whether information from the State Governments has been collected ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for delay ?

The Minister of state in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) **and** (b) : The information asked by the Honourable Member in Unstarred Question No. 4290 has to be collected by the State Governments practically in respect of every village. As it relates to matters of detail it will take a long time. Efforts are being made to collect the information as far as possible.

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

5891. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी स्थापना के समय कितनी थी और 31 मार्च, 1968 को कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को इस कम्पनी को केन्द्रीय सरकार, बैंकों अथवा अन्य लोगों को अलग अलग कितना ऋण देना था ;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितना धन दिया ,

(घ) गत तीन वर्षों में इसके कार्य के क्या परिणाम हैं, इसको कितना लाभ तथा हानि हुई है और यदि हानि हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना प्रदान करन वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 677/69]

माइलो के लिये दिया गया मूल्य

5892. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अमरीका को माइलो के मूल्य और उसके भाड़े के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ख) सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य को माइलो बेच कर कितनी हानि उठाई ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) स्वेज नहर में रूके "आब्जर्वर" जलपोत में लदी माइलो का मूल्य 1,525,193.60

डालर दिया गया था। जहाज़ की रवानगी पर, जहाज़ मालिकों को लगभग 705 हजार डालर भाड़े के रूप में दिये गये थे जिसमें भारत सरकार की दायिता लगभग 165.5 हजार डालर की थी।

(ख) "आब्ज़र्वर" जलपोत पर लदी माइलो के लिए संयुक्त अरब गणराज्य सरकार द्वारा 30.00 डालर प्रति टन का तयशुदा मूल्य देने से भारत सरकार का अनुमानत: 868.7 हज़ार डालर की हानि होती है।

अन्नपूर्णा जलपान गृह के भवन में नया जलपान गृह

5893. **श्री सीताराम केसरी : खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1603 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में भूतपूर्व अन्नपूर्णा जलपान गृह के भवन में एक नया जलपान गृह खोला गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार नये जलपान गृह को कोई सहायता दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार जलपान गृह चलाने के लिए कोई सहायता नहीं दे रही है लेकिन सरकार ने खाने की आदतें बदलने सम्बन्धी समिति को 11,000 रुपये का एक अनुदान मंजूर किया है। इससे खाने की आदतें बदलने के अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण गठित करने के लिए अत्यावश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे।

Procurement of gram by Food Corporation of India

5894. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of gram procured by the Food Corporation of India from Rajasthan during 1967-68 and the average price thereof ;

(b) the places where the said gram was sent from Rajasthan alongwith its quantity and the prices at which it was sold ; and

(c) the profit earned or the loss suffered by the Food Corporation of India on account of this transaction in Rajasthan during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) About 46 thousand tonnes of gram and dal at the average price of Rs. 75.59 per quintal :

(b) A statement showing the names of States and the quantity of gram/gram dal sent from Rajasthan is laid on the table of the House (*Placed in Library. See* No. LT-678/69) The average selling price of gram/gram dal was Rs. 86.63 per quintal.

(c) The trading results of the Corporation are compiled on all-India basis in respect of all transactions and not on regional basis since by the very nature of the operations of the Corporation, purchases and sales transactions are mostly inter-regional.

Seizure of Transmitters from Secunderabad

5895. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some transmitters were seizured by the police from a pawn shop in Mahakali area of Secunderabad ;

(b) whether Government feel that these were being used for spying purposes against India by some other country ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information received from the State Goverment, there is no evidence to suggest that the transmitters were being used for such illegal purposes as espionage.

(c) According to the information furnished by the State Government three persons have been charge-sheeted under section 6(1)(a) of the Indian Wireless Telegraphy Act.

खाद्यान्न का उत्पादन

5896. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1968 में अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त (क) भाग में बताये गये उत्पादन में वृद्धि अधिक एकड़ भूमि में फसलें बोने के कारण हुई है अथवा फसलें अधिक अच्छी होने के कारण ऐसा हुआ है ; और यदि बाद वाली स्थिति है, तो वे उपाय कौन से हैं जिनको अधिक उत्पादन करने का श्रेय प्राप्त है, और

(ग) जिन राज्यों में उत्पादन कम हुआ है, उनमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 के दौरान, खाद्यान्नों के उत्पादन में 1966-67 की अपेक्षा निम्नलिखित राज्यों में वृद्धि पायी गयी :—

1. असम	2. बिहार
3. गुजरात	4. हरियाणा
5. केरल	6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र	8. मैसूर
9. पंजाब	10. राजस्थान
11. तमिल नाडु	17. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल	

(ख) उपरोक्त राज्यों में उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि और उपज में वृद्धि के कारण भी थी । विभिन्न राज्यों में प्रति हैक्टेयर उपजों के विषय में प्रतिशत वृद्धियां क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित

प्रतिशत वृद्धियों से प्रायः ऊंची थी। प्रवर्धित उपजें अधिकांशतः 1966-67 से अपनायी हुई कृषि विकास की नीति के अन्तर्गत किये हुये विभिन्न विकासीय उपायों के कारण थीं।

(ग) समस्त राज्यों में कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कार्यक्रमों को एक उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यक्रमों में अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, बहुफसल, सघन खेती के लिये लघु सिंचाई, उर्वरक और कीट-नाशक औषधि जैसे आदानों का संगठित उपबन्ध संस्थानिक वित्त सहित समय पर और उदार ऋण सुविधायें, कृषकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अनुसंधान की तीव्रता सम्मिलित है। [उत्तर के साथ संलग्न विवरण **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 679/69]

उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों पर कर तथा शुल्क

5897. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों पर सरकार द्वारा लगाये गये विभिन्न करों और शुल्कों के कारण कृषि उत्पादन की लागत बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उर्वरकों की उत्पादन लागत को घटाने के लिये सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) (i) **उर्वरक**

जी हाँ, जहां तक कि किसान उर्वरकों को प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अब थोड़ी सी ज्यादा कीमत भी इस आदान के लिए देनी पड़ सकती है।

(ii) **कीटनाशक औषधियां**

1969-70 के वित्तीय विधेयक में कीटनाशक औषधियों पर अतिरिक्त महसूल (कर तथा शुल्क) लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः कीटनाशक औषधियों के मूल्यों के कारण, कृषि सम्बन्धी उत्पादन-लागत के बढ़ने का प्रश्न नहीं होता।

आगे यह भी बताया जा सकता है कि पिछले वर्ष 10 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर दी जाने वाली कीटनाशक औषधियों की सूची को काफी बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त कीटनाशक औषधियां बनाने के लिए वांछनीय कच्चे माल की सूची को 10 प्रतिशत की रियायती शुल्क का अधिकारी बनाया गया यदि निर्माणकर्त्ता उसके उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। इससे कीटनाशक औषधियों की कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखने में काफी सहायता मिली है।

(ख) यह आशा की जाती है कि यदि आधुनिकतम तरीकों को अपना कर बड़े पैमाने पर उर्वरक एककों को स्थापित किया जाये, तो देश में उत्पादित उर्वरकों के मूल्य कम हो जायेंगे और साथ ही साथ आयातित महंगे उर्वरकों पर निर्भरता भी कम हो जायेगी।

वर्गीकृत ऊन का निर्यात

5898. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय वर्गीकृत ऊन की मांग बढ़ती जा रही है और भारत द्वारा ऊन के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा कमाये जाने की सम्भावना बढ़ गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त योजनाओं के परिणामस्वरूप हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो 1968 में कुल कितनी ऊन का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(घ) वर्ष 1969 में कितनी ऊन निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अनुकूल निर्यात क्षमता निर्यात की जाने वाली ऊन के अनिवार्य वर्गीकरण के कारण हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन सहायता से राजस्थान में आरम्भ किए गए भेड़ की ऊन कुतरने, ऊन की दर्जाबन्दी करने और विपणन संबंधी कार्यक्रम भी इसमें सहायक सिद्ध हुये हैं।

(ग) 1967-68 में 5.77 करोड़ रुपये के मूल्य की 95 लाख किलोग्राम कच्ची ऊन निर्यात की गई। अप्रैल से दिसम्बर 68 तक 3.72 करोड़ रुपये के मूल्य की 66 लाख किलो ग्राम ऊन का निर्यात किया गया।

(घ) 1969 में निर्यात की जाने वाली कच्ची ऊन की सम्भावित मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। निर्यात, विदेशी बाजारों में कच्ची ऊन के एकक-मूल्य, दूसरे ऊन उत्पादन करने वाले देशों की प्रतिस्पर्धा और कृत्रिम रेशों द्वारा ऊन के प्रतिस्थापन आदि कई बातों पर निर्भर करता है।

उड़ीसा में लघु सिंचाई

5899. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के लिये उड़ीसा में लघु सिंचाई के लिए 150 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें सम्मलित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं को तैयार करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) उड़ीसा सरकार को वर्ष 1968-69 में इस कार्य के लिये भूमि बंधक बैंकों, कृषि

पुनर्वित्त निगम, सहकारी बैंकों तथा कृषि उद्योग निगम आदि योजनेतर क्षेत्र के अभिकरणों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा की सरकार ने 1968-69 की अवधि में इस कार्यक्रम के लिये 130.00 लाख रुपये के बजट का उपबन्ध किया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) **ग्रामीण इंजीनियरी संगठन की योजनायें**	
(1) बहाव सिंचाई योजना	81.00 लाख रु०
(2) सर्वेक्षण तथा जांच	14.00 लाख रु०
(ख) **उठाव सिंचाई निदेशालय की योजनायें**	
(1) गहरे नलकूपों का निर्माण	4.00 लाख रु०
(2) उथले नलकूपों का निर्माण	3.00 लाख रु०
(3) नदी पम्पिंग एककें	17.00 लाख रु०
(4) चलती फिरती पम्पिंग एककें	2.00 लाख रु०
(5) भूमिगत जल सर्वेक्षण	4.00 लाख रु०
(6) जांच	3.00 लाख रु०
(7) औजार तथा उपकरण	2.00 लाख रु०
	कुल 130.00 लाख रु०

(ग) और (घ). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखे दी जायेगी ।

डिब्रूगढ़ (आसाम) के लिये 100 किलोवाट ट्रांसमिटर

5900. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा-क्षेत्र और आसाम के उत्तरी भाग में आकाशवाणी से प्रसारणों की स्थिति सुधारने के लिये आसाम में डिब्रूगढ़ में 100 किलोवाट का ट्रांसमिटर लगाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह ट्रांसमिटर कब लगाया जायेगा ; और

(ग) उस पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां । ट्रांसमिटर 15 फरवरी, 1969 से चालू हो चुका है ;

(ग) लगभग 36 लाख रुपये ।

मछियारों को मोटर-चालित नावें देने में विलम्ब

5901. **डा० म० सन्तोषम्** : क्या खाद तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर चालित नावें खरीद कर आधुनिक तरीके से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने का कार्य करने के इच्छुक बहुत से मछियारों को मोटर-चालित नावें खरीद कर उनकी सप्लाई करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस समस्या को हल कर लेने की आशा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कैसे तथा कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मोटर से चलने वाली नावें किराया-खरीद के आधार पर मछियारों को दी जाती हैं। इस कार्यक्रम को चलाने के लिये आर्थिक सहायता तथा ऋण दिए जाते है और उन संसाधनों को जो इस कार्य के लिए वितरित किए जा सकते हैं ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

(ख) तथा (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, संस्थानात्मक धन से इस कार्यक्रम के लिए और अधिक सहायता दी जाने की सम्भावना है। कृषि पुनर्वित्तीय निगम द्वारा धन देने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। तीन योजनायें, दो मैसूर में और एक तमिल नाडु में, जिन को 146.80 लाख रुपया की ऋण के रूप में सहायता दी जायगी, पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्रीय डीजल इंजनों की पूर्वानुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशीय क्षमता को पर्याप्त रूप में विकसित किया जा रहा है।

अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्

5902. **डा० म० सन्तोषम्** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् जैसी तथा वैसे ही उद्देश्यों को लेकर एक अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें अत्यधिक बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में छंटनी की घटनाओं पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय व्यवस्था

5903. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी की घटनाओं पर विचार करने के लिये पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एक त्रिपक्षीय व्यवस्था स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रीय कार्मिक संघों के नाम क्या हैं जिनका इस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व है ;

(ग) इस व्यवस्था के क्या कृत्य हैं ;

(घ) यह व्यवस्था किस प्रकार निर्णय लेगी ; और

(ङ) इस व्यवस्था को क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

खाद्यानों का उत्पादन, वसूली तथा वितरण

5904. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में देश में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन के, अनाजवार, अन्तिम प्राक्कलन क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में देश में राज्यवार कितने कितने मीटरी टन अनाज की वसूली तथा वितरण किया गया ;

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कितने तथा कितने मूल्य के अनाज का आयात किया गया ;

(घ) वर्ष 1969-70 के लिए अनाज का उत्पादन लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) वर्ष 1960-70 में कितना अनाज आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि वर्ष 1967-68 में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की पैदावार के अन्तिम अनुमान बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध—1)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 680/69] कृषि वर्ष 1968-69 के इसी प्रकार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1967-68 और 1968-69 (फरवरी, 1969 तक) के वित्तीय वर्षों में देश में अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और सरकारी माध्यमों से देसी तथा आयातित दोनों वितरित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध 2)। [**पुस्तकालयमें रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 680/69] । मार्च, 1969 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग)

वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मीटरी टन में)	अनुमानित लागत तथा भाड़ा मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1967-68	81·92	503·1
1968-69	48·61	313·8
(फरवरी, 1969 तक)		

(घ) 1969-70 के लिए खाद्यान्न पैदावार के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) 1969-70 में लगभग 52 लाख मीटरी टैन खाद्यान्न आयात करने का विचार है।

आकाशवाणी के दैनिक कार्यक्रम में परिवर्तन

5905. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दैनिक कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो क्या है ; और

(ख) इन परिवर्तनों से श्रोताओं को क्या और कितना लाभ होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) एक विवरण, जिनमें 1967, 1968 और 1969 के दौरान आकाशवाणी के दैनिक कार्यक्रमों में दिए गए कुछ मुख्य परिवर्तन दिए गए हैं, संलग्न है।

(ख) इन परिवर्तनों से श्रोताओं को अच्छे तथा अधिक उपयोगी और विविध कार्यक्रमों के द्वारा लाभ होने की आशा है।

विवरण

(1) दिसम्बर, 1967 में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रसारण के समय में जो कमी की गई थी उसे अधिकांश केन्द्रों में बहाल कर दिया गया है।

(2) सुबह के मुख्य हिन्दी तथा तथा अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों तथा शाम के मुख्य हिन्दी बुलेटिन के समय 8-12-1968 से बदल दिये गये हैं और आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा इनका रिले किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(3) ऊपर (2) में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप "Today in Parliament," "संसद समीक्षा," Radio News Reel," और समाचार दर्शन जैसे कार्यक्रमों का समय बदल दिया गया है।

(4) अक्तूबर, 1967 से दो समाचार बुलेटिन सिन्धी में प्रसारित किये जाते हैं।

(5) "राष्ट्रीय चर्चा कार्यक्रम" चर्चा कार्यक्रम तथा रेडियो प्रेस सम्मेलन "साम्पिकी" कार्यक्रमों का प्रसारित किया जाना।

(6) कृषि कार्यक्रमों तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों का गहन किया जाना।

(7) कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली से व्यापारिक प्रसारण।

(8) भक्ति संगीत कार्यक्रमों को नया रुख दिया जाना।

(9) जून, 1968 से युवक कार्यक्रमों में वृद्धि।

(10) राष्ट्रीय एकता कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना।

उड़ीसा को रासायनिक खाद की सप्लाई

5906. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में उड़ीसा राज्य को रासायनिक खाद की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ; और

(ख) यह पिछले वर्षों की सप्लाई की तुलना में कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 की प्रथम तिमाही अप्रैल-जून के लिये केन्द्रीय उर्वरक पूल से राज्य सरकार को 13,372 मीटरी टन नाइट्रोजनीय उर्वरकों का नीयतन किया गया जिनका विवरण इस प्रकार है :

यूरिया	2530 मीटरी टन
कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट	9755 ,, ,,
डाई अमोनियम फोसफेट	1087 ,, ,,

परन्तु राज्य सरकार ने इस नियतन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और यह इच्छा व्यक्त की कि वे बाकी वर्ष के लिये अपनी जरूरतों का पुनरीक्षण करने के पश्चात् सूचना देंगी। चूंकि राज्य सरकार से केन्द्रीय पूल से नियतन के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई इसलिये बाद की तिमाई में कोई नीयतन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने रूड़केला उर्वरक प्लान्ट के साथ उस के 80 प्रतिशत खुले कोटे को पाँच साल के लिये खरीदने का समझौता किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पूल ने उड़ीसा राज्य को जो रासायनिक उर्वरक सप्लाई किया है आंकड़े नीचे सारणी में दिये गये हैं :—

सारणी

	आंकड़े मीटरी टनों में		
उर्वरक की किस्म	1966-67	1967-68 में की गई सप्लाई	1968-69
सलफेट आप अमोनिया	19,567	8,562	—
यूरिया	4,559	616	—
कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट	31,390	22,371	—
अमोनियम फासफेट	11,447	—	—
डाई आमोनियम फासफेट	12,841	4,163	—

Telephones at the Panchayat Samiti Headquarters in Rajasthan

5907. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government had decided to provide telephones at the headquarters of each Panchayat Samiti ;

(b) if so, whether telephones have been provided at the head-quarters of all the Panchayat Samitis in Rajasthan ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) the names of the panchayats which have not so far been provided with telephones; and

(e) the time by which they are likely to be provided with telephones ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. Telephones are normally provided in rural areas when the schemes are remunerative. To provide telephone facilities in undeveloped areas, Govt. has approved of a policy which permits installation of telephones in rural areas on limited loss basis if the places have certain importance from the point of view of administration, population, pilgrimage tourism and agricultural and irrigation projects or if the place is a very remote locality. However, provision of telephones at the Headquarters of Panchayat Samitis as such on loss basis is not covered by the existing policy.

(b) and (c) As indicated above, the Headquarters of Panchayat Samitis are not covered by the existing policy for provision of telephones. However, based on the existing policy, telephone facilities have already been provided at 195 Panchayat Samiti Headquarter stations in Rajasthan out of a total of 232 stations. At 22 other stations indicated at (d)(i) below, telephone facilities have been sanctioned and are to be provided progressively. For the remaining 15 places, telephones have not been sanctioned as these are not covered by the existing policy. The schemes for these 15 stations where telephones have not been sanctioned have been examined and found to be unremunerative. The telephones at these places can, however, be provided on guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the loss to the Department.

(d) (i) Names of 22 Panchayat Samiti headquarter stations in Rajasthan where telephone facilities have been sanctioned but are not yet provided are—Pisangaon, Srinagar, Shahbad, Dag, Baani, Talera, Talwara, Bhukia, Bichhiwara, Kotra, Khamnor, Reni, Umrain, Nimrana, Bairath, Dhod, Piprali, Uniara, Buhana, Baitu, Balesar, Riyan.

(ii) Names of 15 Panchayat Samiti Headquarter stations where telephone facilities have not been sanctioned due to proposals being unremunerative are : Bhinai, Rohat, Itawa, Sultanpur, Manoharthana, Pipal Hunt, Bhensrorgarh, Girwa, Dhariawad, Badgaon, Alsisar, Dharimand, Sindhri, Seila, Jaswantpura.

(e) Telephone facilities will be provided progressively to those Panchayat Samiti Headquarters where proposals have been sanctioned as mentioned at (d)(i) above. These will be provided as soon as stores required for them become available.

Installation of New Automatic Exchanges in States

5908. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have drawn up a scheme to install eight new automatic telephone exchanges in some of the States ; and

(b) if so, the names of the places where these exchanges are proposed to be installed, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The names of places where main automatic telephone exchanges are proposed to be installed during 1969-70 in the various states are given in the Statement attached. In addition a number of small automatic exchanges are also proposed in various places in the country based on availability of equipment and remunerativeness of the Schemes.

STATEMENT

List of Main Auto Exchanges to be Installed in 1969-70

State	Town
Assam	shillong
Andhra	Guntur
Bihar	1) Rajendra Nagar (Patna) 2) Ranchi
Kerala	Ernakulam
Maharashtra	1) Gamdevi (Bombay) 2) Itwari (Nagpur)
Madhya Pradesh	Indore-II
Delhi	Okhla
Mysore	Mysore.

Import of Mobile Television Van for Republic Day

5909. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Central Government have imported a mobile television van for the Republic Day ;

(b) if so, the cost thereof ;

(c) the justification for import especially at a time when the country is facing foreign exchange crisis ; and

(d) the name of the country from where it was imported ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. The mobile television camera van is intended for coverage of outdoor events. Republic Day parade was one of the events covered by it.

(b) Rs. 23,06,211/- with foreign exchange component of Rs. 16,63,755.

(c) This is considered an essential equipment for a television station. It is needed for simultaneous telecasting of outdoor events. Since this equipment is not manufactured in India, it had to be imported from abroad.

(d) Holland.

Films Exempted from Entertainment Tax

5910. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of films exempted from entertainment tax during 1967-68 by Government ;

(b) their names and the names of their producers ;

(c) the basis on which this was done in each case ; and

(d) whether such films included those also which have been produced with grants given by the Film Finance Corporation and if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d). Entertainment tax is a State subject. Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Public Call Offices in Swai Madhopur District (Rajasthan)

5911. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) whether it is fact that the proposal to instal public Call Offices in Khirni, Malarna Choud, Malarna Doongar, Bharwatgarh etc. towns in Swai Madhopur district of Bharatpur division of Rajasthan has been accepted ;

(b) if so, when the work is expected to be completed in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Opening of a Public Call Office at Malarna Dungar has been senctioned. The proposals to open Public Call Office at Khirni, Malarna Choud and Bhagwatgarh have not been approved.

(b) The works for opening the Public Call Office at Malarna Dungar will be taken up during the year 1969-70 after receipt of necessary materials.

(c) The proposals to open Public Call Offices at Khirni, Malarna Choud and Bhagwatgarh are unremunerative and these public call offices can be opened only on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the loss separately in each case.

Telephone Exchange at Lalsot (Jaipur)

5912. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3305 on the 5th December, 1968 and state :

(a) whether Government have since taken a final decision on the scheme to open a Telephone Exchange in Lalsot town (Jaipur, Rajasthan) ;

(b) if so, the time by which the exchange is likely to be opened there ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the difficulty being experienced by Government in this regard.

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The exchange is expected to be opened during 1969-70 subject to the demand noted being paid by the intending subscribers.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

Working of Consumers Stores

5913. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a programme for setting up multi-departmental consumers

stores was launched in 1966 after devaluation in order to exert regulator impact on expendable merchandise and check the trend of rising prices of essential commodities ;

(b) if so, the state-wise number of such stores ;

(c) whether this has helped the realisation of these objectives in any way ;

(d) if so, the abjectives achived and the extent thereof ;

(e) whether these stores are giving profit or loss ; and

(f) the details of annual extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the number of department stores in operation, state-wise, is enclosed.

(c) Yes.

(d) The department stores fulfil the purpose for which they were set up, by selling consumer goods at reasonable prices, maintaining quality, adopting healthy trade practices and generally acting as a check on prices of essential consumer goods ; the extent of impact made by the stores individually varies.

(e) Out of 38 department stores operating during the year 1966-67.

(f) 23 were in profit and the rest in loss. The position for the year 1967-68 is not yet available and would be known after the accounts are audited. The extent of profit or varies from store to store and from year to year.

Statement

Sl. No.	State/Union Territory	No. of department stores in operation
1.	Andhra Pradesh	4
2.	Assam	1
3.	Bihar	5
4.	Gujrat	3
5.	Haryana	1
6.	Jammu & Kashmir	2
7.	Karala	9
8.	Madhya Pradesh	5
9.	Tamil Nadu	8
10.	Maharashtra	7
11.	Mysore	10
12.	Orissa	1
13.	Punjab	3
14.	Rajasthan	3
15.	Uttar Pradesh	5
16.	West Bengal	3
17.	Delhi	4
18.	Chandigarh	1
	Total	75

बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना और भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों का पुनर्स्थापन

5914. **श्री शशि भूषण** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने और भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के पुनर्स्थापन की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या उक्त योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने और भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के पुनर्स्थापन की योजना स्वीकृत की गई थी । तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इस योजना का कार्य वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर जारी रखा गया । यह स्थिति 31 मार्च, 1969 तक थी ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मई, 1968 में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए । उस समिति ने सितम्बर, 1968 में हुई अपनी बैठक में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दी थी । इस निर्णय के अनुसार बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने तथा भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के पुनर्स्थापन की योजना अप्रैल, 1969 से राज्य के क्षेत्र में हस्तांतरित हो गई है ।

S. C. & S. T. Employees Working A. I. R. Stations in Madhya Pradesh

5915. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state the number of clerks and Class IV employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes working in A.I.R. Stations in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

No. of Scheduled Cast Employees :	Clerks	11
	Class IV Staff	31
	Total	42
No. of Scheduled Tribe Employees :	Clerks	5
	Class IV Staff	12
	Total	17

कृषि इंजीनियरों की रोजगार स्थिति

5916. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि के क्षेत्र में हुई वर्तमान प्रगति से कृषि इंजीनियरों की रोजगार स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कृषि इंजीनियरों की रोजगार स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है ;

(ख) उपरोक्त स्थिति का व्यापक मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

कृषि इन्जीनियरों की सेवाओं का उपयोग

5917. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि इंजीनियर संस्था ने अपनी पन्त नगर में हुई हाल ही की बैठक में यह सुझाव दिया था कि खेती उपकरणों को किराए पर देने तथा उनकी मरम्मत करने सम्बन्धी लाभप्रद परियोजनाओं में कृषि इंजीनियरों को लगाया जाना चाहिए और कृषि उद्योग निगम, भारतीय खाद्य खाद्य निगम जैसी संस्थाओं और उद्योग को अनुसंधान योजनाएं आरंभ करनी चाहिये जिससे कृषि इंजीनियरों को उनमें भाग लेने के अच्छे अवसर मिल सकें ;

(ख) क्या खेती उपकरणों सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं में कृषि इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं ; और

(ग) क्या ऊपर भाग (क) में दिए गए सुझाव पर विचार किया गया है और यदि हां, तो क्या कृषि इंजीनियरों को अच्छे अवसर देने के लिए सरकार का विचार निकट भविष्य में कोई योजना बनाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, किन्तु बैठक को अधिकृत कार्यवाही की प्रतीक्षा है ।

(ख) खेती उपकरण सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं में कृषि इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान सुविधायें सीमित हैं ।

(ग) संस्था की अधिकृत कार्यवाही की प्राप्ति के उपरान्त (क) में दिए गए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। कृषि इंजीनियरी के प्रशिक्षण संबंधी पहलू पर आगामी कृषि शिक्षा विषयक अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में नेशनल शूगर मिल्स, अहमदपुर की मशीनें

5918. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1968 से फरवरी, 1969 की अवधि में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान अहमदपुर स्थित नेशनल शूगर मिल्स की कुछ मशीनें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों को बेची गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) ये मशीनें किस मूल्य पर खरीदी गई थीं और किस मूल्य पर बेची गई ; और

(घ) उन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या है जिन्हें ये मशीनरी बेची गयी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नेशनल शुगर मिल्स, अहमदपुर की कुछ सम्पत्ति, जो कि राज्य सरकार के पास बंधक थी, को 3 फरवरी, 1969 को सरकारी नीलामी के लिए रखा गया था । क्योंकि आरक्षित मूल्य की दृष्टि से बोली को मंजूर नहीं किया गया था, इसलिए नीलामी बन्द कर दी गई थी ।

राज्य सरकार के पास बंधक मशीनरी/सम्पत्ति के खरीद मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

राज्यों में आटे की मिलों का कार्य-संचालन

5919. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिदम्बरम समिति की सिफारिशों के अनुसार, आटा पीसने की क्षमता के निर्धारण के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजीयत न हुई हरियाणा, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की आटा मिलों को मानक एकक नहीं माना जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मिलों को उनकी क्षमता के अनुसार चलाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

संसद सदस्यों को दिल्ली में कृषि योग्य भूमि का आवंटन

5920. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या संसद सदस्यों को दिल्ली तथा उसके आस-पास कृषि योग्य भूमि आवंटित करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका आवंटन कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासय ने संसद सदस्यों को दिल्ली या उसके आसपास कृषि भूमि आवंटित करने की कोई योजना नहीं बनाई है और न हीं कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के पास दिल्ली में कोई भी ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है जो कि संसद सदस्यों को कृषि कार्यों के लिए आवंटित की जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि कृषि योग्य परती भूमि उपलब्ध है, उस पर गांव पंचायतों का अधिकार है और केवल पंचायती राज अधिनियम, 1959 तथा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वह व्यक्ति की पात्रता को देख कर पट्टे पर आवंटित की जा सकती है ।

यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा खाद्य सहायता

5921. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की हाल में ब्रसल्स में एक बैठक हुई थी और उन्होंने 15 से अधिक देशों को खाद्य सहायता देने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो किस किस्म की खाद्य सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ; और किन शर्तों पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) खाद्य सहायता की विस्तृत शर्तों तथा मात्रा को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । आशा है कि खाद्य सहायता अनुदान के रूप में होगी और वह जहाज तक निःशुल्क गेहूँ के रूप में सप्लाई की जाएगी लेकिन भाड़ा प्राप्तकर्त्ता देश को वहन करना होगा ।

Non-delivery of letter from Editor of "Searchlight" to State Governor

5922. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the report published in "Searchlight" an English daily of Patna, in its issue dated the 5th March, 1969 that a letter sent to the State Governor by the Editor of this newspaper was returned to him undelivered; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department Communications (Sh. Sher Singh) : (a) Yes, But the inland letter was meant for an addressee served by the Bihar Governor's Camp P.O. and not for the Governor himself.

(b) Owing to oversight the sorting postman mistook the sender's address on the inland letter for the addressee's and mis-sorted it into the post Box of 'Search Light'. Suitable action is being taken to see that such mistakes do not occur.

बम्बई में तैयार की गई फिल्में

5923. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 11 दिसंबर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई फिल्म उद्योग द्वारा निर्मित फिल्मों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान इन फिल्म निर्माताओं को कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ग) प्रत्येक निर्माता को कितनी राशि दी गई है ; और क्या उनके द्वारा इस विदेशी मुद्रा का पूरा उपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये**। संख्या एल० टी० 681/69]

(ख), (ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बंगाली चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट

5924. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5028 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली-चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और छूट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। सिवाए तमिलनाडु के जिसका उत्तर प्रतीक्षित है, शेष सभी राज्यों से जानकारी एकत्र कर ली गई है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

फिल्म का नाम	छूट के कारण
1. श्री कैलाश मानसरोवर	शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से चित्र का बड़ा महत्व है।
2. राजाराम मोहन	ये चित्र देश के दो महान सपूतों के जीवन

3.	सुभाष चन्द्र	इतिहास है, शिक्षा प्रद है तथा राष्ट्रीय जीवन में बड़े महत्व के हैं।
4.	चरन कवि मुकन्ददास	इस चित्र में उस महान देश भक्त के जीवन की झांकी है जिसने स्वन्त्रता के संदेश को फैलाया।
5.	विद्यासागर	एक महान देश भक्त की जीवन कहानी पर असाधारण चित्र

कलकत्ता चलचित्रों के सम्बन्ध में मनोरंजन कर की छूट

5925. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में कलकत्ता चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मित किसी चलचित्र को मनोरंजन कर की छूट दी गई है और यदि हां, तो उन चलचित्रों के नाम क्या हैं जिनको उक्त अवधि में मनोरंजन कर से छूट दी गई है और उन चलचित्र निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने उन चलचित्रों का निर्माण किया तथा उनको मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त अवधि में चलचित्र वित्त निगम द्वारा कलकत्ता चलचित्र निर्माताओं को कोई ऋण दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों में मनोरंजन कर से मुक्त बंगाली चलचित्रों के नाम

	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	छूट देने के कारण
1.	राजाराम मोहन	मैसर्स ए० के० वी०	ये चित्र देश के दो महान
2.	सुभाष चन्द्र	फिल्मूज कलकत्ता	सपूतों के जीवन इतिहास हैं, शिक्षाप्रद हैं तथा राष्ट्रीय जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं।
3.	चरनकवि मुकन्ददास	फिल्म क्लैसिन्स, कलकत्ता	इस चित्र में उस महान देश-भक्त के जीवन की झांकी है जिसने स्वतन्त्रता के संदेश को फैलाया।
4.	विद्यासागर	बताया नहीं गया है	एक महान देश भक्त की जीवन कहानी पर आधारित असाधारण चित्र

(ख) और (ग) कलकत्ता के उन फिल्म निर्माताओं के नाम जिनको फिल्मों के लिये फिल्म वित्त आयोग द्वारा ऋण दिया गया है ।

	निर्माता का नाम	चित्र का नाम
1.	आर० डी० बी० एंड कम्पनी	नायक
2.	फिल्म क्राफ्ट पी० लिमिटेड	पंचेश्वर
3.	सुधीर मुकर्जी	कालंकज
4.	पूर्णिमा पिक्चर्ज	गूपी गारन बागा बारन

मद्रास में निर्मित फिल्में

5926. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4098 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में निर्मित फिल्मों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में फिल्म वित्त निगम ने मद्रास के फिल्म निर्माताओं को कोई ऋण दिया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन फिल्मों और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण दी गई है ।

(ख) फिल्म वित्त निगम ने 1966-67 में मैसर्स रूप रेखा को 'जन्मभूमि' (मलयालम) फिल्म के लिये 2,00,000 रुपये का तथा 1967-68 में मैसर्स जयकुमार पिक्चर्स, मद्रास के श्री एम. लक्ष्मीपति को कडाबुल थान्टा सेलवम् (तमिल) फिल्म के लिये 2,43,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया । उपयुक्त दो स्वीकृत ऋणों के अनुसार फिल्म वित्त निगम ने 1967-68 में मैसर्स रूप रेखा को 1, 50,590/ –रुपये तथा 1968-69 में श्री एम. लक्ष्मीपति को 67,020/ – रुपये दे दिये हैं ।

विवरण

मद्रास फिल्म उद्योग द्वारा निर्मित उन फिल्मों की सूची जिन्हें भारत में पिछले पांच वर्षों में मनोरंजन कर से छूट दी गई

	चित्र का नाम	निर्माता का नाम
1.	वीर सुन्दरम	हिमाचल फिल्मज
2.	आदम किरंगल	चित्र सागर
3.	ओल्लाथुमथी	माठजी पिक्चर्ज
4.	अस्व मेधम	सुप्रिय पिक्चर्ज

5. अनुराधा	श्री पण्डूरंगा प्रोडक्शन्ज
6. वेमीन	मनमनी फिल्मूज
7. विद्यार्थी	गनेश प्रोडक्शन्ज
8. बाबूनेक रबा सत्थम जयम	नहीं बताया गया ।
9. उन्नईपाल ओसवन	आसिया जोठी फिल्मूज
10. वीर पण्डिया महा भोमन	पदमिनि पिक्चर्ज
11. सरवर सुन्दरम	ए० वी० एम० स्टूडियोज
12. विवाद बन्धम	मरानी पिक्चर्ज
13. काडीलिम्मा नेरामिल्ले	चित्रालय
14. अरिवली	ए० टी० के० प्रोडक्शन्ज
15. पूम पुदार	मेकाला पिक्चर्ज
16. अन्नथिन अचे	पैरगौन पिक्चर्ज
17. असाई मुगम	मोहन प्रोडक्शन्ज
18. कांची थालाई वन	मेकाला पिक्चर्ज
19. अन्दा नाल	ए० वी० एम० स्टूडिपोज
20. ताल तुंगल तिरक्काप्पाडम	विश्व भारती
21. एडीरिगल टक्की राधे	मोडर्न थियेटर्ज लिमिटेड
22. कोवुला गोपन्ना	राज्यम प्रोडक्शन्ज
23. अलथारा	नीला प्रोडक्शन्ज
24. पुथरी	

फिल्मी गीतों पर प्रतिबन्ध

5927. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा फिल्मी गीतों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्र की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हैं, तो उन फिल्मों के नाम पृथक-पृथक क्या हैं जिनके गीतों पर विभिन्न राज्यों में प्रतिबन्ध लगाया गया है और उन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) राज्य सरकारों ने किसी फिल्म गीत पर पाबन्दी नहीं लगाई है ।

पायरेला द्वारा खराब किया गया गेहूँ

5928. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में पायरेला कीड़े द्वारा कितना तथा कितने मूल्य का गेहूँ खराब किया गया ; और

(ख) इस कीड़े द्वारा की जाने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1967-68 की अवधि में गेहूँ की खेती पर पायरेला का कोई आक्रमण नहीं हुआ । जहां तक 1968-69 की गेहूँ की मौजूदा फसल का प्रश्न है, केन्द्रीय तथा राज्यों के तकनीकी क्रमिकों ने गन्ने की फसलों से गेहूँ के खेतों पर पायरेला के कीटों के प्रभाव का पता लगाने के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सामयिक सर्वेक्षण शुरू किये गये और प्रभावित क्षेत्रों में भूमि तथा वायुयान द्वारा उस पर नियन्त्रण पाने के लिये कदम उठाये गये तथा कीटनाशक औषधियों से कुल 7.04 लाख एकड़ भूमि में गेहूं की फसल का उपचार किया गया। कीट पर सफलता पूर्वक नियन्त्रण कर लिया गया है । इन राज्यों में फसल को कोई प्रत्यक्ष हानि पहुंचने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

बम्बई सर्कल में अतिरिक्त तार निदेशक

5929. **श्री देव राव पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्कल आफिस, बम्बई में 29 नवम्बर, 1968 से तार निदेशक का एक अतिरिक्त पद बनाया गया है ;

(ख) क्या इन दोनों में से, एक को मराठवाड़ा और विदर्भ टेलीग्राफ ट्रेफिक तथा इंजीनियरिंग डिवीजन सौंपे गये हैं जिसका कार्यालय बम्बई में होगा ; और

(ग) उसका कार्यालय नागपुर में न बनाकर बम्बई में बनाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक मुख्यतः मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों और आंशिक रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र का इन्चार्ज है । दूसरा पूर्णतः महाराष्ट्र क्षेत्र का इंचार्ज है ।

(ग) तार निदेशक दूर-संचार यूनिटों के प्रशासन में पोस्टमास्टर जरनल की सहायता करता है । महाराष्ट्र के पोस्टमाटर जनरल का कार्यालय बम्बई में स्थित होने के कारण तार निदेशक भी वहीं स्थित हैं ।

राज्यों को चीनी का नियतन

5930. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री दे० वि० सिंह :
श्री राम सिंह पयरवाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक तिमाही में विभिन्न राज्यों/प्रशासनों को कुल कितनी चीनी का नियतन किया गया और प्रति व्यक्ति कितनी चीनी उपलब्ध की गई ;

(ख) क्या अप्रैल 1967, जून 1967 और दिसम्बर 1967 में सभी राज्यों/प्रशासनों के के कोटों में कटौती की गई थी और फरवरी 1969 में वृद्धि की गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो किन मार्गदर्शी सिद्धांनों के आधार पर यह कटौती/वृद्धि की गई थी ; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में मध्य प्रदेश की जनता की क्रय-शक्ति सबसे कम है और उस राज्य की जनसंख्या को उपयुक्त महत्व देकर क्या भारत सरकार उस राज्य के वसूली कोटे में वृद्धि करने के लिए तैयार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत तीन वर्षों में अर्थात पहली अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1969 तक प्रत्येक तिमाही में विभिन्न राज्यों की जितनी चीनी की कुल मात्रा (त्यौहारों के कोटे आदि सहित) आवंटित की गई थी तथा प्रति व्यक्ति जितनी चीनी उपलब्ध थी, उसको बताने वाले तीन विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 682/69]

(ख) राज्य आदि के मासिक कोटे को मार्च, मई तथा नवम्बर, 1967 में कम कर क्रमशः 1.87, 1.57 तथा 1.00 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। जनवरी 1969 से इन कोटों को बढ़ा कर 1.26 लाख मीटरी टन कर दिया गया था।

(ग) कोटे सामान्यतः अनुपातिक आधार पर कम किये गये थे। तथापि, जनवरी, 1969 से की गयी वृद्धि को राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित किया गया था।

(घ) शुरू में सितम्बर, 1961 में समाप्त हुई पिछली नियंत्रण अवधि के अन्तिम छः महीनों में राज्यों द्वारा कुल वास्तविक खरीद के आधार पर मासिक कोटे निर्धारित किये गये थे। तदुपरान्त समय समय पर सामान्यतः एक रूपता तथा नियंत्रित विवरण हेतु चीनी की उपलब्धि के आधार पर कोटे में घट-बढ़ की जाती रही है। सामान्यतः परिस्थितियों के आधार पर किसी विशिष्ट राज्य का कोटा बढ़ाने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नये तारघर

5931. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने नये तारघर खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) केरल राज्य में कितने तारघर खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में 2400 नये तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) केरल राज्य में चौथी योजना में लगभग 100 तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

केरल में कारखाना श्रमिकों के लिये बोनस आयोग की नियुक्ति

5932. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कारखाना श्रमिकों को बोनस सम्बन्धी कुछ अधिकारों से हाल में वंचित रखा गया है ;

(ख) क्या कारखाना श्रम के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार का विचार एक बोनस आयोग नियुक्त करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने दिसम्बर, 1961 में एक बोनस आयोग नियुक्त किया । आयोग ने जनवरी, 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और उसकी सिफारिशों को कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया । और बोनस आयोग नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है ।

आकाशवाणी केन्द्र, शेरतलाई, केरल

5933. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केरल राज्य में "शेरतलाई" में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां, ट्रांसमीटर लगाने के लिये ।

(ख) एलप्पी-शेरतलाई रोड पर शेरतलाई के दक्षिण में 13 कि० मी० पर स्थित एक स्थान का सर्वेक्षण करने के परिणामस्वरूप इस मन्त्रालय ने उच्चशक्ति के एक मिडियम वेव ट्रांसमीटर को स्थापित करने के लिये 13.25 हैक्टर भूमि का चयन और अधिग्रहण किया है । भवन-निर्माण करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है और भवनों के तैयार हो जाने पर उपकरण लगा दिये जायेंगे । त्रिचुर के स्टूडियो को इस ट्रांसमीटर से जोड़ दिया जायेगा ।

रेलवे के श्रमिकों/कुलियों की दशा

5934. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मजदूरों/कुलियों को, जहां तक न्यूनतम सुविधाओं का सम्बन्ध है, तथा उनका समुचित अंश नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या कुलियों की स्थिति के बारे में उनके मंत्रालय ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों से है । वे रेलवे कर्मचारी नहीं हैं बल्कि लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हैं जो मुसाफिरों का सामान तथा अन्य वस्तुएं रेलवे परिसरों में रेलवे के डिब्बों से इधर से उधर ले जाते हैं और इस काम के लिए उन्हें सीधे मुसाफिरों से मजूरी मिलती

है। इसलिए लाइसेंस-प्राप्त-पोर्टर उन सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं जो रेलवे कर्मचारियों को मिलती हैं। फिर भी वे रेलवे स्टेशनों के प्रतिक्षालयों, शौचालयों, नलों और भोजनालयों का उपयोग कर सकते हैं। जहां कहीं रेलवे के दवाखाने/अस्पताल हैं, वहां उन्हें एक विशेष मामले के रूप में मुफ्त वहिरंग इलाज की सुविधा प्राप्त करने का हकदार भी बनाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में सूखा

5935. **श्री मयावन :** **श्री अदिचन**

श्री एल० कन्डप्पन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने तमिल नाडु में सूखे की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र भेजा है ;

(ख) क्या उपरोक्त राज्य में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये वहां एक समिति भेजने का कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ग) क्या सूखे की वर्तमान स्थिति को पूर्णत: समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने तमिल नाडु सरकार को अब तक कोई सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक दल ने 25 से 27 मार्च, 1969 तक तमिल नाडु के सूखे से कुछेक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ग) भारत सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्यों पर खर्च करन के लिए 1.25 करोड़ रुपये की एक राशि मंजूर की है।

प्रधान मन्त्री सूखा सहायता निधि ने भी तमिल नाडु में सूखा सहायता कार्य के लिए एक लाख रुपये की एक राशि मंजूर की है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ट्रांजिस्टर

5936. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से दूरस्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सस्ते ट्रांजिस्टर सप्लाई करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में इस कार्य के लिए सरकार द्वारा कितने सस्ते ट्रांजिस्टर खरीदे जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं। कृषि विभाग की दूरस्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को सस्ते ट्रांजिस्टर रेडियो सप्लाई करने की कोई योजना नहीं है।

किन्तु 'भूख से छुटकारा अभियान" के अन्तर्गत नीदरलैंड से उपहार रूप में प्राप्त रेडियो सैटों में से 24,000 कम कीमत के रेडियो सैट जो कि यूनेस्को गिफ्ट कोपन्स के द्वारा प्राप्त कुछ विदेशी पुर्जों की सहायता से भारत में तैयार किये गये, उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य सरकारों को ये रेडियो इस शर्त पर उपहार के रूप में दिये गये हैं कि वह रियाती दरों पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के उन जिलों के किसानों को बेचें जहां पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सूत्रपात हो चुका है। सैटों का आकाशवाणी के कृषक सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुनने के लिये कृषक चर्चा दलों द्वारा उपयोग में लाया जायेगा। राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वह बिक्री से प्राप्त धनराशि को और अधिक सैट प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लायेंगी।

दक्षिण भारत में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

5937. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण केन्द्रों में भारतीय खाद्य निगम के शाखा कार्यालयों को अनाज लाने-ले-जाने के लिये माल डिब्बों की व्यवस्था करने में रेलवे प्रशासन का पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) क्या दक्षिण भारत में ऐसे शाखा कार्यालयों के प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। दक्षिण भारत में खाद्यान्नों के संचलन के सम्बन्ध में रेलवे तथा भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त सहयोग तथा समन्वय है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संचार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

5938. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, संचार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में एक कर्मचारी ने कितनी अधिकतम राशि प्राप्त की ; और

(ग) क्या समस्त दावे वास्तविक और सही थे और यदि नहीं तो इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	1965-66	2,94,87,356 रुपये
	1966-67	3,96,17,557 रुपये
	1967-68	4,52,53,031 रुपये

(ख)	1965-66	7,668 रुपये
	1966-67	22,763 रुपये
	1967-68	21,313 रुपये

(ग) ये दावे एतद्विषयक विहित नियमों के अनुसार किये गये थे। डाक और तार विभाग में अनेक मामलों में इनकी यथार्थता या वास्तविकता के विषय में संदेह किया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ मामलों की रिपोर्ट विशेष पुलिस विभाग को की गयी है। कुछ प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारकों और केमिस्टों की दुकानों को विवर्जित (डीबार) कर दिया गता है। जहां कहीं सहकारी भण्डार उपलब्ध है वहां दवाइयों की खरीद उन तक ही सीमित कर दी गयी है या अनुमोदित केमिस्टों का पैनेल बनाया गया है। दावे प्रस्तुत करने की अवधि भी एक वर्ष से घटा कर तीन मास कर दी गयी है। विभाग ने अनेक डाक-तार औषधालय (डिस्पेंसरियां) खोली हैं तथा और औषधालय खोलने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। एक अध्ययन किया गया है तथा व्यय के नियंत्रण के और उपाय विचाराधीन हैं।

ट्रंक काल बुक करने के लिये टेलीफोन-चिटों का परिरक्षण

5939. **श्री रा० कृ० बिड़ला**: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रंक काल बुक करते समय तैयार किये जाने वाले टेलीफोन चिट कितने महीनों तक सुरक्षित रखे जाते हैं ;

(ख) ऐसे कालों के बिल चुकाये जाने पर इन चिटों का क्या किया जाता है ; और

(ग) उन्हें ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) विभागीय नियमों के अनुसार ट्रंक काल बुक करते समय तैयार किये गये टिकट तत्संबंधी कालों के बिलों के चुकाये जाने या बिल जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि में जो भी बाद में हो तब तक सुरक्षित रखे जाते हैं।

(ख) सुरक्षण के लिये निर्धारित अवधि के बीतने पर टिकट नष्ट कर दिये जाते है।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास परियोजना विशेषज्ञों द्वारा चम्बल क्षेत्र का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण

5940. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास परियोजना विशेषज्ञों के एक दल को चम्बल नदी सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का जल सर्वेक्षण करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह दल कब से काम कर रहा है तथा वह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ;

(ग) कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, वे कहां-कहां पर तैनात हैं तथा उनके लिये भुगतान की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इस समय प्रयोगात्मक परियोजनायें कहां-कहां पर चल रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) चम्बल सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का जल विज्ञानीय सर्वेक्षण करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य की ओर से कोई दल नहीं हैं । किन्तु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की "राजस्थान के चम्बल सिंचित क्षेत्रों में भूमि व जल उपयोग प्रबन्ध" संबंधी एक योजना है । इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में जल-लग्नता में कमी करने और सिंचित कृषि के लिये भूमि और जल की कुल व्यवस्था के लिये एक युक्तियुक्त रिपोर्ट तैयार करना है । इस परियोजना के एक अंग के रूप में ही डिगोड के निकट, कमान्ड क्षेत्र के अन्तर्गत ही कुछ जल विज्ञानीय संबंधी सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) करार 19-3-1968 से प्रभावी हुआ, कार्यान्वयन की योजना के अनुसार इस परियोजना के अनुसार इस परियोजना को पूर्ण होने में तीन वर्ष की अवधि लगेगा, जिसके उपरान्त सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) इस परियोजना पर 10 विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं जिसमें से 2 पहले ही जा चुके हैं । परियोजना का मुख्यालय कोटा (राजस्थान) में स्थित है । कार्यान्वयन की योजना के अनुसार वैज्ञानिकों के स्थानीय जीवन निर्वाह व्यय के लिये भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्राधिकारियों को 88,300 डालर की राशि प्रदान करनी थी, जो कि उन्हें स्थानीय मुद्रा के रूप में दे दी गयी है । विदेशी विशेषज्ञों का समस्त व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अदा किया जाता है ।

(घ) आजकल मार्गदर्शी परियोजनायें राजस्थान के डिगोड क्षेत्र में कार्य कर रही है ।

राजस्थान में ऊबड़-खाबड़ भूमि को खेती योग्य बनाना

5941. **श्री बृज राज सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चम्बल नदी के किनारों पर ऊबड़-खाबड़ भूमि को खेती योग्य बनाने की केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे):(क) तथा (ख). लदपुरा में चम्बल नदी के किनारे और कोटा जिले दिग्भेद तहसील में तोरन और चम्बल नदी के बीच की लगभग 2000 हैक्टेयर ऊबड़ खाबड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये लगभग 50 लाख रु० की लागत की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित मार्गदर्शी परियोजना पर भारत सरकार विचार कर रही है । ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Wages for Labourers

5942. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any committee has recommended the fixation of new rates of wages for skilled, semi-skilled and unskilled labourers ;

(b) if so, Government's reaction thereto ;

(c) whether Government have decided to grant higher category status of semi-skilled labour to the Beedi-rollers ; and

(d) if so, the date from which it will be granted ?

The Minister of state in the Ministry of Labour, employment and rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) **and** (b) : The Minimum Wages Committees (Construction), (Agriculture) and (Mines) set up by the Central Government have recommended fixation/ revision of rates of minimum wages for the broad classes of work viz. unskilled, semi-skilled (including unskilled supervisory) skilled, highly skilled and clerical in the respective scheduled employments in the Central sphere. The recommendations are under examination.

(c) The fixation of minimum wages for Beedi rollers is the responsibility of State Governments.

(d) Does not arise.

डाक विभाग में "गिरो" सेवा प्रणाली

5943. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 12 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों की सुविधा के लिए डाक-विभाग में "गिरो" सेवा प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुतरने वाले जन्तुओं पर नियंत्रण के लिये प्रायोगिक परियोजना

5944. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से कुतरने वाले जन्तुओं पर नियन्त्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना बम्बई में आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). बम्बई नगर निगम ने कुतरने वाले जन्तुओं के नियन्त्रण के लिए एक मार्ग-

दर्शी पर योजना शुरू की है। निगम कर्मचारियों की देखरेख में विभिन्न घरों में 3,000 पिंजरों का वितरण करके शहर के "ए" वार्ड में कार्य शुरू किया गया। दूसरे स्तर पर 2000 बैट बक्सों को रखा गया है। पता चला है कि "ए" वार्ड में मार्गदर्शी परियोजना से उत्साह वर्धक परिणाम निकले हैं और निगम का प्रस्ताव है कि स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों की सहायता में इस परियोजना का शहर के उत्तरी भागों में विस्तार कर दिया जाए। स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। हाफ़किन संस्थान द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

चुकन्दर का उत्पादन

5945. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुमानतः कितने एकड़ भूमि में चुकन्दर की खेती होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत चुकन्दर की खेती आरम्भ की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई निश्चित प्रस्ताव भेजे गये हैं ; और

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी चुकन्दर की खेती आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) भारत में व्यापारिक पैमाने पर चुकन्दर की खेती अभी शुरू नहीं की गई है। इस समय प्रयोगात्मक मार्गदर्शी प्लान्ट में प्रक्रिया परीक्षण करने के लिए लगभग 100 हैक्टेयर क्षेत्र में चुकन्दर की खेती को बढ़ा दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में चुकन्दर की खेती शुरू करने का प्रस्ताव है।

रूसी ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जों का आयात

5946. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी ट्रेक्टरों के लिए फालतू पुर्जों का आयात करने के बारे में नीति क्या है और भिन्न-भिन्न जोनों को ऐसे पुर्जों के आयात कोटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ; और

(ख) गत दो वर्षों में जारी किये गये आयात लाइसेन्सों । ब्यौरा क्या है, ये किन फर्मों को दिए गए तथा उनका मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) रूसी ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने के लिए भारतीय एजेन्टों को उनके द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य पर अधिक से अधिक 15 प्रतिशत मूल्य के लिये लाइसेंस प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

(च) गत दो वर्षों में जारी किये गये आयात लाइसेन्सों का ब्यौरा उनके प्राप्तकर्ताओं के नामों, लाइसेंसों के मूल्यों सहित विवरण में दे दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया**। देखिये संख्या एल० टी० 683/69]

अनाज की फसलों की तुलना में व्यापारी फसलों का उत्पादन

5948. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिक योजना आरम्भ होने के बाद से देश में अनाज की फसलों की तुलना में व्यापारी फसलों का उत्पादन बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं ; और

(ग) वार्षिक योजना आरम्भ होने से अब तक व्यापारी फसलों और अनाज की फसलों के आंकडे क्या हैं, वे कितने-कितने एकड़ भूमि में बोई गई, दोनों फसलों का उत्पादन कितने-कितने प्रतिशत हुआ देश में उनकी खपत कितनी-कितनी हुई, उनका कितना-कितना निर्यात किया गया और उनसे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) 1965-66,1966-67 और 1967-68 के दौरान उत्पादन, क्षेत्र और उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का संकेत करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया**। देखिये संख्या एल० टी० 684/69]। 1968-69 के दौरान इन फसलों के उत्पादन और क्षेत्र के आंकड़े अभी तक नियुक्त नहीं किए गए। देश में खपत की हुई मात्रा, उसका निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा, अलग से दोनों के लिये नकदी और खाद्य फसलों के विषय में, अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर शीघ्रातिशीघ्र रख दी जायेगी।

आंध्र प्रभा आदि के लिये सरकारी विज्ञापन

5949. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में 'आंध्र प्रभा' 'आंध्र पत्रिका', 'आंध्र ज्योति' और 'विशाल आंध्र' को कितने-कितने रुपये के सरकारी विज्ञापन दिए गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : विभिन्न समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापनों तथा उन्हें अदा की गई धनराशि के बारे में जानकारी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है। इस जानकारी को सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना एक तरफा प्रकट करना अच्छी व्यापार नीति नहीं होगी।

द्वितीय टेलीफोन उपकरण निर्माण कारखाना

5950. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरण निर्माण करने के लिए प्रस्तावित द्वितीय कारखाने के स्थान

के बारे में निर्णय करने के लिए गठित स्थान चयन समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) इस समिति ने इस बारे में किन-किन स्थानों का दौरा किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये प्रस्तावित नई इकाई की स्थापना का स्थान निश्चित करने के वास्ते इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के एक वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी को विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए कहा गया था। उसने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, हरिद्वार, गाजियाबाद, नासिक, बम्बई और हैदराबाद की यात्रा की। इन स्थानों की यात्रा के बाद उसने नये कारखाने की स्थापना के लिये कुछ उपयुक्त स्थानों की सिफारिश करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने यह नया कारखाना उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नजदीक नैनी में स्थापित करने का निर्णय किया है।

Setting up of Agriculturul Commission

5951. Shri Dearao Patil : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4251 on the 12th December, 1968 and state :

(a) whether the proposal regarding the setting up of an Agricultural Commission has since been finalised ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the suggestions received from States for making changes therein ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Suggestions have been received from some States about the terms of reference of the proposed Commission. These generally relate to agricultural price problems, agricultural development in remote and economically backward areas, afforestation as a soil conservation measures.

त्रिपुरा में खाद उत्पादन

5952. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में 1966-67, 1967-68 में सदवार कितना कितना खाद्य उत्पादन हुआ और 1968-69 में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है, तथा उन में से प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पादन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय किया गया और खण्ड कार्यालयों समेत खाद्य विभाग और इसकी शाखाओं पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) प्रत्येक योजना के पृथक-पृथक अनुमानित परिव्यय तथा उसके अन्तर्गत प्रस्तावित लघु सिंचाई तथा अन्य निर्माण कार्यों के निश्चित स्वरूप और आकार को बताने वाला 1969-70

और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये त्रिपुरा के खाद्य कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में खाद्य उत्पादन के लक्ष्य क्या-क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से त्रिपुरा सरकार के खाद्य तथा कृषि विभाग का प्रशासनिक व्यय बढ़ता जा रहा है, किन्तु उस राज्य में खाद्य उत्पादन में इसके अनुसार वृद्धि नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के लिये कार्यक्रम सलाहकार मंडल

5953. **डा० रानेन सेन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के सूचना मंत्री ने आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के लिए कार्यक्रम सलाहकार मंडल के गठन से सम्बन्धित मामलों पर उनके साथ बातचीत करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के अधिकारियों ने नये मंत्रिमंडल के गठन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री को रेडियो से उस राज्य के लोगों को भाषण देने के लिये नहीं बुलाया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आकाशवाणी के अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे इस प्रकार का सम्पर्क करने में पहले करें। राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों से जब भी कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, उन्हें आकाशवाणी की संहिता के उपबन्धों के अधीन प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। यह पश्चिम बंगाल सरकार पर भी लागू है।

Extraction of sugar from Beet etc

5954. Shri Mrityun Jay Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the places where experiments in regard to the extraction of sugar from beet have been conducted and the details of success achieved in those cases ;

(b) whether experiments for extracting sugar from maple trees etc. have also been conducted and if so, the details thereof ; and

(c) the approximate quantity of sugar or Gur extracted from palm, dates etc. and the names of the States in which it is produce and its price in these States last year ?

The Minister of state in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) : Pilot plant trials for the manufacture of sugar from beet under the coordinated research scheme of the National Sugar Institute, Kanpur, have so far been undertaken at Saraswati Sugar Mills Yamunanagar (Haryana), Janta Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhogpur (Punjab) and Ganganagar Sugar Mills Ltd.,

Srigarganagar (Rajasthan). The results so far achieved are encouraging. The economic of the process will be worked out on all-India basis, after further trials have been conducted in other regions of the country.

(b) No, Sir

(c) : A statement showing available state-wise production and prices of palmgur and palm sugar during 1967-68 is laid on the table of the Home (*Placed in Library. See* No. Lt.-685/69)

Agricultural University in Bihar

5955. Shri Mrityun Jay Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the progress so far made in the scheme regarding the setting up of an agricultural university in Bihar ?

The Ministry of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahjb Shinde) : The Universities are established under Enactments by State Legislatures. As such the establishment of an Agricultural University in Bihar is the concern of the State Government. It is understood from the State Government that a Bill for the establishment of an Agricultural University has been developed by them which is yet to be examined by the State Law Department.

Code for Printing News Having Communal Bias

5956. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Press Council has formulated a Code of Conduct in regard to the publication of the news having communal bias ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of the representatives of the Press and the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communicatoins (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The Press Council of India has tentatively framed certain draft "guidelines" as regards "Communal Writings" in the Press, which it has referred to the National Integration Council for its views. The views of the National Integration Council have not yet been received by the Press Council.

(c) A few publications in the Press purporting to be the draft "guidelines" have come to the notice of the Government, One of the newspapers has made some comments in the matter. So far as Government is concerned, the matter is now under consideration of the Press Council in consultation with the National Council.

'Today in Parliament' Programme of A. I. R.

5957. **Shri Yogendra Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the basis on which the selection of the narrator of 'Today in Parliament' programme of A. I. R. is made ;

(b) the names and qualifications or the persons who have given this programme on A. I. R. since the beginning of the Seventh Session of Lok Sabha till-date ; and

(c) whether impartiality and exactitude are faithfully observed while giving the said programme ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Journalists accredited to Parliament Press Gallery are invited to write the commentary "Today in Parliament" on the basis

of their experience in Parliamentary coverage and capacity and willingness to produce, within a very short time, a ten-minute script of high quality suitable for broadcast.

(b) A statement is attached.

(c) Yes, Sir.

STATEMENT

Names of the journalists who have written the scripts of 'Today in Parliament' since the beginning of the 7th Session of the 4th Lok Sabha

1. **Shri G. S. Bhargava**
   Special Correspondent, Agence France Presse.
2. **Shri Narayana Swamy**
   Special Correspondent, Deccan Herald.
3. **Shri R. Chakrapani**
   Special Correspondent of P. T. I.
4. **Shri D. Sen**
   Special Correspondent, Hindustan Times.
5. **Shri J. M. Deb**
   Chief of Bureau of Assam Tribune.
6. **Shri I. Gopalkrishan**
   Special Correspondent of UNI and now Parliamentary Correspondent of National Herald.
7. **Shri A. Balu :**
   Special Correspondent of P. T. I.

दिल्ली और मद्रास के बीच टेलेक्स सेवा

5958. **श्री यशपाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा मद्रास के बीच एक अतिरिक्त सीधी टेलेक्स सेवा आरम्भ करने की बहुत माँग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संभरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). टेलेक्स सेवा पूरे देश में पूर्णतः स्वचालित है । हर टेलेक्स उपभोक्ता सीधे डायल करके किसी भी अन्य टेलेक्स उपभोक्ता से सम्पर्क स्थापित कर सकता है । दिल्ली और मद्रास के बीच टेलेक्स सेवा की भी यही स्थिति है । दिल्ली या लखनऊ, कानपुर, जयपुर आदि जैसे इसके जिला केन्द्रों से सम्बद्ध कोई भी उपभोक्ता मद्रास टेलेक्स या इसके किसी भी जिला केन्द्र जैसे कि विजयवाड़ा, बंगलौर, एर्नाकुलम आदि को सीधे डायल कर सकता है । चूंकि पहले से मौजूद सेवा भी सीधी सेवा है, इसलिए दिल्ली और मद्रास के बीच इसके अतिरिक्त सीधी सेवा की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रबी की फसल के अनाज की वसूली, संग्रह और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना

5959. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने आगामी रबी की फ़सल में अनाज की वसूली, संग्रह और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के क्या प्रबन्ध किये हैं ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम द्वारा आने वाले रब मौसम में 32 लाख मीटरी टन रबी अनाजों की अधिप्राप्ति करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। इस में से 11 लाख मीटरी टन आनाज उन राज्यों से जहां मौसम की व्यस्ततम अवधि मई-जुलाई, 1969 में अधिप्राप्ति की जाएगी, बाहर भेजे जाएंगे। निगम ने खाद्यान्नों का शीघ्र संचलन कराने के लिए रेलवे से निकट सम्पर्क स्थापित किया हुआ। वर्तमान भण्डारण क्षमता के अतिरिक्त 9 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता के और गोदाम बनवाने का कार्य प्रगति पर है। भारतीय खाद निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा अस्थायी संचयन ढांचे भी खड़े किए जा रहे हैं जहां तीन से चार महीनों की अवधि के लिए परिगना संचयन किया जाएगा। जहां आवश्यक होता है वहां किराये पर गोदाम भी लिए जा रहे हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया लेकिन निगम आनेवाले रबी मौसम में विभिन्न राज्यों में गेहूँ की निम्नलिखित मात्राएं खरीदने की उम्मीद रखता है :—

(आंकड़े हज़ार मीटरी टन में)

राज्य	प्रत्याशित खरीदारी
बिहार	50
हरियाणा	200
मध्य प्रदेश	150
पंजाब	2000
राजस्थान	70
उत्तर प्रदेश	700
पश्चिमी बंगाल	25

मार्च में हुई वर्षा का दिल्ली में फसलों पर प्रभाव

5960. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1969 के मध्य में हुई वर्षा का दिल्ली में तथा इसके आसपास के क्षेत्र में फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितनी क्षति हुई है ;

(ग) क्या इस वर्षा से गेहूँ की नई किस्मों की फसलों को लाभ पहुंचा है और क्या यह चारे तथा सब्जियों के लिये भी लाभदायक थी ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी हां, जो थोड़ी बौछारें पड़ी वे गेहूँ की फसल, चारे और सब्ज़ी की फसलों की नई किस्मों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई ।

(घ) फसलों पर इन बौछारों का कितना प्रभाव पड़ा इसका मात्रात्मक अनुमान लगाना कठिन है ।

गेहूँ का वसूली मूल्य

5961. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री मधु लिमये :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने गत वर्ष निर्धारित मूल्यों की तुलना में वर्ष 1969-70 में गेहूँ के बसूली मूल्य में 9 प्रतिशत कमी करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या वह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने पिछले मौसम की तुलना में 1969-70 रबी मौसम के लिए गेहूँ के कम अधिप्राप्ति मूल्य की सिफारिश की है । मेक्सिकन तथा साधारण सफेद किस्म के गेहूँ, जिन की अधिप्राप्ति अधिक मात्रा में होती है, के अधिप्राप्ति मूल्य में प्रस्तावित कटोती 8 प्रतिशत है ।

(ख) से (घ). भारत सरकार इस मामले पर तत्परता से विचार कर रही है।

रानीगंज कोयला क्षेत्र में पानी की सप्लाई

5962. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र में पानी की सप्लाई की समेकित योजना को कार्यान्वित करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान के रूप में 25 लाख रुपये दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) योजना कार्यान्वित की जा रही है।

पश्चिम गोदावरी जिले में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र

5963. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारत सरकार से प्रार्थना की है कि पश्चिम गोदावरी जिले में जहां राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध है, एक राजकीय कृषि प्रक्षेत्र खोला जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि अनुसंधान पर व्यय की गई राशि

5964. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 तक गत तीन वर्षों में कृषि अनुसंधान पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी ; और

(ख) अनुसंधान पर हुए इस व्यय में केन्द्र तथा राज्यों का भाग कितना कितना है ; और

(ग) खाद्यान्नों और व्यापारिक फसलों पर इस व्यय की प्रतिशतता क्या है और इस अनुपात से इन फसलों से आय कितनी होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1967-68 के समाप्त होने वाले 3 वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि अनुसंधान पर खर्च की हुई कुल धनराशि लगभग 25 करोड़ रुपये है।

राज्यों और विश्वविद्यालयों द्वारा इस अवधि के लिये कृषि अनुसंधान पर व्यय की गयी धनराशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) अनुसंधान पर व्यय के परिणाम स्वरूप, आय में बढ़ोतरी का आंकना दुष्कर है ।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारणों के लिये प्रयोग किये जाने वाली संहिता

5965. **श्री रा० कृ० सिंह :**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आकाशवाणी के केन्द्र के प्रयोग सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सँचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). आकाशवाणी की सुविधाओं के प्रयोग के बारे में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है । तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना तथा जन सम्पर्क विभाग के मन्त्री श्री ज्योति भूषण भट्टाचार्य ने सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें आपस में बातचीत करने का सुझाव दिया गया है ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागों तथा राज्य सरकार के सूचना और जन सम्पर्क विभाग में प्रभावशाली और उपयोगी समन्वय हो सके । सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री ने इस सुझाव का स्वागत किया है और शीघ्र ही बातचीत होने की संभावना है ।

फिल्मी कलाकारों के लिए विदेशी मुद्रा

5966. **श्री य० अ० प्रसाद :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्म उद्योग ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों को, जो अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिये विदेश जाते हैं, विदेशी मुद्रा देने में अधिक उदारता दिखाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रायय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). फिल्म निर्यात सलाहकार समिति ने दिसम्बर, 1964 में हुई अपनी बैठक में और बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि विदेशी फिल्म समारोहों के लिये मंजूर की जाने वाली उस समय 60,000/ रुपये की विदेशी मुद्रा की जो सीमा थी वह फिल्म समारोहों में भाग लेने वाले भारतीयों की उचित आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं थी और उसे बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये करने की सिफारिश की थी । इस सिफारिश पर सरकार द्वारा विचार किया गया, परन्तु देश में विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति होने कारण, इसे अभी तक

स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। तथापि, उसके बाद विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन बढ़ाकर 75,000/— रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

कीनिया के लिये भारतीय चलचित्र

5967. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया का एक प्रतिनिधि मण्डल भारतीय चलचित्र खरीदने के लिये जनवरी, 1969 में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मण्डल ने कितने चलचित्र चुने थे और इस मामले में दोनों के बीच क्या शर्तें स्वीकार की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) कीनिया के प्रतिनिधि मण्डल ने निम्नलिखित फिल्में खरीदी :—

(1) लेडी किलर (रंगीन)	21,000/— रुपये
(2) फे ड (सादी)	8,500/ रुपये
(3) हर हर गंगे (सादी)	14,000/— रुपये

उपर्युक्त कीमत में रायल्टी तथा बिल्कुल नई प्रिन्ट की कीमत, दो ट्रेलर तथा आम प्रचार सामग्री शामिल है। विवरण परिव्यय, आगोप भाटक (सी० आई० एफ०) नेरोबी आधार पर होगा और भुगतान लैटर आफ क्रेडिट के द्वारा किया जायेगा।

स्वयं डायल घुमाकर अन्य नगरों को टेलीफोन करने की व्यवस्था बिहार में लागू करना

5968. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 की योजना तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार के विभिन्न नगरों को स्वयं डायल घुमा कर अन्य नगर को टेलीफोन करने की व्यवस्था के साथ जोड़ने तथा बिहार के मुख्य नगरों को दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई के साथ सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से जोड़ने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना पर कितना खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). 20 7-1965 से दिल्ली और पटना के बीच स्थान से स्थान उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा मौजूद है। पटना और मुजफ्फरपुर के बीच भी स्थान से स्थान उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली चालू करने का प्रस्ताव है। इन स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिए स्थापित किये जाने वाले स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपये है और इस सुविधा को 1970-71 के दौरान उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

1970 के अन्त तक पटना को भी कानपुर स्थित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है।

जमशेदपुर को भी कलकत्ता स्थित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज और रांची को आसनसोल स्थित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इन ट्रंक स्वचल एक्सचेजों के स्थापित किये जाने की योजना है। कलकत्ता में स्वचल एक्सचेंज योजना की अनुमानित लागत 103 लाख रुपये तथा आसनसोल स्वचल एक्सचेंज की अनुमानित लागत 27 लाख रुपये हैं।

राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था

5969. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था ने देश में सामुदायिक विकास कार्य में कोई विशिष्ट योगदान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) तथा (ख). जी हां। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, जोकि एक स्वायत निकाय है, के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 686/69]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर तार इन्जीनियरी डिवीजन का विभाजन

5970. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर तार इंजीनियरी डिवीजन का विभाजन करने और दूसरा डिवीजन मुख्यालय दरभंगा (बिहार) में रखने के बारे में सरकार योजना बना रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के लोगों ने इस प्रयोजन के लिये मंत्रालय को याचिकायें भेजी हैं ;

(ग) यदि हां, तो मुजफ्फरपुर इंजीनियरी डिवीजन का विभाजन कब किया जायेगा, जिसके दूसरे डिवीजन का मुख्य कार्यालय दरभंगा में होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). दरभंगा में टेलीफोन इंजीनियरी डिवीजन के निर्माण के लिये वहां के कुछ टेलीफोन प्रयोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

प्रमुख समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन

5971. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिकतम सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाले पहले दस समाचार पत्र कौन कौन से हैं ;

(ख) इन समाचार पत्रों को प्रतिवर्ष अलग अलग कितनी धनराशि के विज्ञापन दिये गये ; और

(ग) इस समय देश में इन दस समाचार पत्रों के मालिकों का कितने समाचारपत्रों/दैनिक पत्रों और साप्ताहिक पत्रों पर नियन्त्रण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). विभिन्न समाचारपत्रों को दिये गये विज्ञापनों तथा उन्हें अदा की गई धनराशि के बारे में जानकारी विज्ञापन और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है । इस जानकारी को सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना एकतरफा प्रकट करना अच्छी व्यापार नीति नहीं होगी ।

आकाशवाणी से "ट्रू डे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम

5972. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् के इस सत्र में लोक-सभा में ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं देने वाले व्यक्तियों के नामों का आकाशवाणी के 'ट्रू डे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम में अब तक उल्लेख किया जाता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 23 मार्च, 1969 को भी ऐसा ही किया गया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 23 मार्च को, रविवार होने के कारण, सदन की बैठक नहीं हुई ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नमूनों को मोहर बंद करना

5973. **श्री जी० वेंकट स्वामी** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 20 मार्च, 1969 के अतारांतित प्रश्न संख्या 3731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्म तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों द्वारा मिल कर दो नमूने लेकर मोहर बन्द किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहां फर्म की कोई मोहर नहीं होती है, केवल भारतीय खाद्य

निगम ही नमूने को मोहर बन्द करती है परन्तु फर्म से लिखवा लेती है कि उसे निगम में पूर्ण विश्वास है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फर्म विश्लेषण रिपोर्ट की मान्यता को चुनौती देती है, तो दूसरा नमूना विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है और फर्म के अधिवृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में विश्लेषण किया जांता है ; और

(घ) यदि हां, तो संयुक्त विश्लेषण किए जाने से पहले दूसरे नमूने की मोहर कैसे टूट गई थी ?

खाद्य, कृषि आमुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । लेकिन प्रश्न में पूछे गए विशिष्ट मामलों में किस्म निरीक्षक फर्म से लिखित रूप में यह प्राप्त करने में असफल रहे कि उन्हें भारतीय खाद्य निगम में पूर्ण विश्वास है ।

(ग) जी नहीं । वस्तुत: पहले नमूने का उपयोग विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है । इस विश्लेषण के समय फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है । यदि फर्म विश्लेषण के परिणामों से संतुष्ट नहीं तो वे उसके प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 25 रुपए प्रति नमूने के हिसाब से फीस जमा करा कर संयुक्त विश्लेषण के लिए कह सकती है । दूसरा विश्लेषण प्रयोगशाला में रखे दूसरे नमूने पर, फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के सन्मुख की जाती है तथा उसके परिणाम भारतीय खाद्य निगम तथा फर्म पर बाध्य होते हैं ।

(घ) यह दूसरे नमूने की मोहरे टूटने का मामला नहीं है । बात यह कि इन नमूनों पर केवल गुणता-निरीक्षक की ही मोहरे लगी थी । फर्म ने नमूनों की प्रमाणिकता पर इस आधार पर संदेह प्रकट किया कि उन पर फर्म की मोहरे नहीं लगी हुई, जोकि उनके कथनानुसार उन्होंने लगाई थी । इसलिए संयुक्त विश्लेषण में फर्म द्वारा भाग लेने से इन्कार करने के कारण संयुक्त विश्लेषण नहीं किया जा सका ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जमानत की राशि लौटाया जाना

5974. **श्री जी० वैंकट स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 20 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने जमानत की राशि न लौटाने के फर्म को कारण बताये हैं और यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं तो क्यों ;

(ख) क्या यह सच है कि फर्म ने न केवल भारतीय खाद्य निगम को तथा मन्त्री को उनके नाम से कई पत्र लिखे हैं बल्कि जमानत की राशि लौटाने के लिए वकील को नोटिस भी दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने पत्रों की प्राप्ति की सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं समझी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा जमानत की राशि लौटाने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। फर्म के प्रतिनिधि जब कभी भी जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना के कार्यालय में आये तभी उन्हें सारी स्थिति अनेकों बार मौखिक रूप से स्पष्ट की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, चंडीगढ़ ने अपने पत्र संख्या ई/लेब/1/6(4)/68 दिनांक 20-9-1968 द्वारा कानूनी नोटिस की पावती स्वीकार की थी।

(घ) मैसर्स तिलक राज धर्मपाल से कहा गया है कि वे प्रतिभूति की धनराशि वापस लेने हेतु अपेक्षित नियमों के आधीन लेखे जोखे-का निपटान करने के बाद बेबा की (प्रमाण) पत्र प्रस्तुत करें।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अधिक उपज देने वाली फसलें बोने का कार्यक्रम

5975. **श्री बाल्मीक चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली फसलों की काश्त बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ अधिक भूमि में अधिक उपज देने वाली अनाज की फसलों की काश्त कराने विचार है और इसमें से कितने एकड़ भूमि बिहार में होगी ; और

(ग) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से चतुर्थ योजना में देश में खाद्यान्न की उपज में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) लक्ष्यों को चतुर्थ योजना के साथ ही अन्तिम रूप दिया जायेगा (जिसे कि अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है)।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम से चतुर्थ योजना की अवधि में 228.0 लाख मीटरी टन (या 230 लाख मीटरी टन) के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

विज्ञापन दरें

5976. **श्री एम० मेघ चन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचारपत्रों में अपने विज्ञापन प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों द्वारा निर्धारित की गई विज्ञापन दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी सहायता करने हेतु सभी छोटे समाचारपत्रों के लिये समान नीति और समान विज्ञापन दरें निर्धारित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है। यह राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में जाता है। वे अलग-अलग समाचारपत्रों के साथ विज्ञापन की दरें निर्धारित करने बारे में अपनी नीति निश्चित करने के लिये स्वतन्त्र हैं। अतएव, इस सम्बन्ध में कोई समान नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है। जहां तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों का सम्बन्ध है, लघु समाचार पत्र जांच समिति की सिफारिश पर यह पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि समाचारपत्र और पत्रिकाओं को अपने दरें निर्धारित करने की आजादी होनी चाहिये परन्तु निदेशालय उन्हीं समाचारपत्रों का प्रयोग करे जो प्रचार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको उपयुक्त और स्वीकृत हों। सभी छोटे समाचारपत्रों के लिये समान दरें रखना व्यावहारिक नहीं क्योंकि दर विभिन्न बातों यथा सम्बन्धित समाचारपत्र की खपत संख्या, साख, पाठक, उत्पादन स्वर इत्यादि पर निर्भर करती है।

फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण मंजूर किये जाने की प्रतिक्रिया

5977. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड द्वारा फिल्म निर्माताओं को ऋण देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और

(ख) इन ऋणों को कितनी अवधि में वापस किया जाना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(क) फिल्म वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों की जाँच पड़ताल निगम उपनियमों के अनुसार की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रार्थनापत्रों का, आवेदन शुल्क, निक्षेप तथा सेवा शुल्क, फिल्म के सारांश सहित दिया जाना अपेक्षित है। प्रार्थनापत्र की आरम्भिक जांच पड़ताल के पश्चात सहायक तकनीकी सलाहकार तथा एक चार सदस्यीय लिपि समिति द्वारा निर्माता, निदेशक, कलाकारों आदि पिछले रिकार्ड की व्यवसायिक दृष्टिकोण से जांच की जाती है। वे प्रार्थनापत्र पर अपने विचार और ऋण की राशि लिख देते हैं। अन्त में सभी आवेदन-पत्र निदेशक बोर्ड के निर्णय के लिये उसके सामने रख दिये जाते है।

बोर्ड द्वारा ऋण मंजूर किये जाने के पश्चात आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। ऋण की प्रत्येक किश्त देने से पूर्व, सामान्यतः निर्माता को निगम के पूर्व अनुमोदन के लिये शूटिंग कार्यक्रम या रिकार्डिंग कार्य का सेटवार ब्यौरा देना पड़ता है। राजपत्रित लेखापाल द्वारा प्रमाणीकृत लेखे दिखाये जाने के बाद ही अगली किश्त दी जाती हैं।

(ख) ऋण का पुनर्भुगतान का समय पहली किश्त के भुगतान की तिथि से दो वर्ष बाद की तिथि से या फिल्म की रिलीज की तारीख से 30 दिन बीतने की तारीख से इनमें से जो भी पहले ही आरम्भ हो जाता है। किन्तु विशेष मामलों में बोर्ड इस अवधि को अधिक से अधिक 6 मास

बढ़ा भी सकता है किन्तु समूचे ऋण के पुनर्भुगतान का समय पहली किश्त से 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए ।

फिल्म उद्योग में आर्थिक संकट

5978. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग में आर्थिक संकट को समाप्त करने हेतु भारतीय चलचित्र निर्माता संघ द्वारा सरकार को हाल में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) अपने पहले के अभ्यावेदनों के क्रम में इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर *एसोसिये*-शन ने हाल ही में मनोरंजन कर तथा शो टैक्स (कर) में कमी, प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क, सामान्य करेन्सी क्षेत्र से रंगीन कच्चे माल की सरलतापूर्वक उपलब्धि, सिनेमाघरों के निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण की उपलब्धि बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्शन की शर्तों का विनियमन, चित्रों आदि को सेन्सर करने के बारे में सिद्धांतों की समानता के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है ।

मनोरंजन तथा शो टैक्स (कर) राज्यों सरकारों द्वारा लगाया जाता है जिनके साथ मामले पर विचार किया जा रहा है । प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क के बारे में 1969-70 के बजट जिस पर संसद में अब विचार किया जा रहा है, में कुछ छूट देने का प्रस्ताव है । तथापि सरकार के लिये यह सम्भव नहीं कि वह उद्योग द्वारा मांगी गई सभी छूटों को दे सके । जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है आजकल मकान आदि की उच्च प्राथमिकता दिये जाने की मांग के कारण सिनेमाघरों के निर्माण में धन लगाने की सम्भावना नहीं है । सेन्सरशिप के समूचे प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जिसको इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है । आशा है समिति जून, 1969 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से भेट

5979. **श्री अर्जुन सिह भदौरिया** : : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मार्च, 1969 को फिल्म उद्योग का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातें हुई और उसके क्या परिणाम निकले और बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सर्वश्री आई. एस. जोहर, जे. ओउम प्रकाश, आई. के. मैनन तथा कुछ अन्य व्यक्ति थे, 10 मार्च, 1969 को सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री से

मिला था और फिल्मों, विशेष रूप से रंगीन फिल्मों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव के विरोध में एक ज्ञापन दिया था, शिष्टमण्डल को यह सलाह दी गई थी कि वह इस मामले पर वित्त मन्त्रालय से बातचीत करे क्योंकि वही इससे सम्बन्धित है।

फिल्म 'परिवार' को मनोरंजन कर से छूट

5980. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री केवल पी० कश्यप द्वारा निर्मित फिल्म 'परिवार' को विदेशों में मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो जिन देशों में इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है उनके नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था और यदि हाँ, तो किन राज्यों में इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है और प्रत्येक राज्य द्वारा मनोरंजन कर न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). मारीशियस में रोज हिल ब्यू बेसिन तथा क्वार्टर बोरनीज़ की नगरपालिकाओं द्वारा 'परिवार' फिल्म पर मनोरंजन कर की छूट दी गई है। छूट किन कारणों से दी गई इसका पता नहीं है।

(ग) मनोरंजन कर राज्य का विषय है। सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

टेलीविजन के लिये सूक्ष्म तरंग

5981. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रेषण के लिये सूक्ष्म तरंग व्यवस्था को प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में सूक्ष्म तरंग व्यवस्था को प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) सूक्ष्मतरंग प्रणालियों का निर्माण ऐसे ढंग से किया जा रहा है कि बाद में जाकर उनमें टेलिविजन रिले सरणियां जोड़ने के लिए परिवर्तन किया जा सके।

Use of Hindi in the Employment Exchanges

5982. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that entire work of the Employment Exchange in Delhi is done in English ;

(b) whether it is also a fact that even though the majority of the persons who get themselves registered with the employment Exchanges, do not know English and that they are the seekers of lower category jobs, correspondence with them is made in English ;

(c) if so, the time by which Government propose to switch over to Hindi for carrying on the work of the Exchange ; and

(d) the number of forms whose Hindi versions are made use of in the Exchange out of the forms etc. which are ordinarily used in the said Employment Exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No.

(b) Yes. Most of the correspondence with the candidates, registered with the Employment Exchanges, is done on the printed forms. Correspondence with the candidates is done in English only in cases where old forms, (which are in English), are in use. Fresh forms are being printed bilingually both in English and Hindi.

(c) Employment Exchanges have already switched over to Hindi and its use will be progressively intensified.

(c) At present three forms in Hindi, two bilingual (in Hindi and English both) and four in Hindi as well as in (separately), are being used at Employment Exchanges. As soon as stock of old forms is exhausted, all the forms shall be got printed bilingually (in Hindi and English).

पूर्वी सीमा सुरक्षा कार्यालय का टेलीफोन काट दिया जाना

5983. **श्री राज देव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कृष्ण नगर से प्राप्त हुए समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की सरकार को जानकारी है कि वर्ष मार्च के तीसरे सप्ताह में भारत और पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर लासविन पर पाकिस्तान की ओर से हाल ही में की गई गोलाबारी के दौरान सीमा सुरक्षा कार्यालय का टेलीफोन बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण उनके विभाग द्वारा काट दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यवाही की गम्भीरता तथा हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले इसके सम्भावित गम्भीर परिणामों को अनुभव करती है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार का क्या पूर्वोपाय अथवा कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा सचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, टेलीफोन की बकाया रकम की अदायगी न करने के कारण कृष्ण नगर क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा सेना की एक कम्पनी के टेलीफोन का कनेक्शन 20 मार्च, 1969 को काट दिया गया था। बिलों का भुगतान करने के बाद 24 मार्च, 1969 को फिर से कनेक्शन दे दिया गया। फिर भी मार्च के तीसरे सप्ताह के दौरान वहां गोली चलने की कोई घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) विभागीय नियमों के अनुसार बिलों के भुगतान न करने के कारण गैर-सरकारी उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकारी उपभोक्ताओं (कुछ विशिष्ट व्यक्तियों जैसे केन्द्रीय मन्त्री सचिव इत्यादि को छोड़कर) के भी टेलीफोन कनेक्शन काटे जा सकते है। सीमा सुरक्षा सेना को

कम्पनी के फोन का कनेक्शन कुछ दिन कटा रहा। उसके पास बेतार द्वारा संदेश भेजने का अन्य एवजी साधन उपलब्ध था।

(ग) गृह मन्त्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जायेगी तथा इसके लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

टेलीफोन निर्देशिकाओं प्रकाशन

5984. **श्री सूरज भान:** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अनुसार छः महीने हो जाने पर नई टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित की जानी चाहिए ;

(ख) प्रत्येक सर्किल में पृथक-पृथक अन्तिम बार किस तारीख को टेलीफोन निर्देशिकाएं जारी की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुपूरक निदेशिकाओं सहित टेलीफोन निर्देशिकाओं में सभी टेलीफोन नम्बर नहीं होते और जो नम्बर निर्देशिकाओं में नहीं होते उनको पूछे जाने पर टेलीफोन प्रयोक्ताओं से पैसे लिये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि या तो छः महीने की प्रत्येक अवधि के पश्चात टेलीफोन निर्देशिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जायेगा या पुरानी निर्देशिकाओं को ध्यान में रखते हुए टेलीफोन नम्बर पूछे जाने पर टेलीफोन प्रयोक्ताओं से पैसे नहीं लिए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं, टेलीफोन परिमंडलों तथा कुछ बड़े सर्कलों में टेलीफोन निर्देशिकाएं वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती हैं। अन्य सर्कलों में निर्देशिकाएं वर्ष में एक ही बार प्रकाशित की जाती हैं।

(ख) आवश्यक सूचना निम्न प्रकार हैं : —

क्रम संख्या	टेलीफोन परिमंडल/सर्कल का नाम	अवधि	संस्करण का नाम	अवधि जहां तक संशोधित
1.	अहमदाबाद परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	दिसम्बर, 67	दिसम्बर, 67
2.	आंध्र सर्किल	वार्षिक	सितम्बर, 68	15-11-68
3.	आसाम सर्किल	वार्षिक	दिसम्बर, 66	दिसम्बर, 66
4.	बंगलौर परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	अक्तूबर, 68	15-10-68
5.	बिहार सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	जुलाई, 68	31-7-68
6.	बम्बई परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	जनवरी, 69	20-12-68
7.	कलकत्ता परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	सितम्बर, 68	2-5-68

1	2	3	4	5
8.	दिल्ली परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	मार्च, 68	10-1-68
9.	गुजरात सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	जनवरी, 68	30-4-68
10.	हैदराबाद परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	जून, 68	15-6-68
11.	जम्मू तथा काश्मीर सर्किल	वार्षिक	जून 68	जून, 68
12.	केरल सर्किल	वार्षिक	दिसम्बर, 68	30-11-68
13.	मद्रास परिमंडल	अर्द्ध-वार्षिक	अगस्त, 68	15-7-68
14.	मद्रास सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	जनवरी, 68	31-12-67
15.	गोआ उप-मंडल	वार्षिक	मार्च, 68	31-3-68
16.	मध्य प्रदेश सर्किल	वार्षिक	मार्च, 69	मार्च, 69
17.	मैसूर सर्किल	वार्षिक	जुलाई, 68	30-6-68
18.	उड़ीसा सर्किल	वार्षिक	मार्च, 67	31-3-67
19.	पंजाब सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	मार्च, 67	15-1-67
		अनुपूरक निर्देशिका	नवम्बर, 68	जून, 68
20.	राजस्थान सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	दिसम्बर, 68	दिसम्बर, 68
21.	उत्तर प्रदेश सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	अप्रैल, 68	31-12-67
22.	पांश्चमी बंगाल सर्किल	अर्द्ध-वार्षिक	जून, 67	अप्रैल, 67

(ग) जी हां, उनमें टेलीफोन नम्बरों में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन शामिल नहीं हो सकते, पर वे उस तारीख तक संशोधित होती है जिस तारीख को निर्देशिकाओं या अनुपूरक निर्देशिकाओं की हस्तलिपियां प्रेस में छपने जाती हैं। अभी तक स्थानीय पूछताछ के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है, परन्तु अब ऐसी कालों के लिए शुल्क लगाने का बजट में प्रस्ताव रखा गया है।

(ज) विभिन्न परिमंडलों/सर्कलों की टेलीफोन निर्देशिकाओं को उनके लिए निर्धारित अवधि के अनुसार प्रकाशित करने के सभी भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु जैसा कि उपर्युक्त (ग) में उल्लेख किया गया हैं यहां तक कि निर्देशिकाओं के छःमाही संस्करणों में भी दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को शामिल करना सम्भव नहीं है और इसके लिए टेलीफोन उपभोक्ताओं को कुछ टेलीफोन नम्बरों के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए फोन पर निर्देशिका पूछताछ से पूछना होगा। यह एक अतिरिक्त सेवा है, जिससे प्रशासन का खर्च बढ़ जाता है। अतएव इसके लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता की स्थिति के बारे में

RE. SITUATION IN CALCUTTA

अध्यक्ष महोदय : कल की ध्यान दिलाने वाली सूचना के बाद कुछ सदस्य मेरे पास आ और वे इस पर वाद-विवाद करना चाहते थे। यह 'बन्द' के बारे में था जिसमें कि सरकार विमान, रेल-गाड़ियां, डाक-कर अन्य सेवाओं में बाधा पहुंचाने में सहायता दे रही थी। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, यह सब कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय पर होगा। सदस्यों की राय में सरकार इन घटनाओं पर अच्छा प्रकाश डाल सकती है। वहां की गम्भीर घटनाओं को देखते हुए जो भी समाचार दिया जाता है उन सबका सदस्य स्वागत करेंगे।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह): मैं अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग एक-पांच) की एक प्रति तथा सम्बद्ध दस्तावेज सभा पटल पर रखती हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 668/69]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के **अंतर्गत अधिसूचना**।

खाद्य, कार्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12 क के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 765 (अंग्रेजी संस्करण) और जी एस० आर० 766 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में** रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 669/69]

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों को हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : STRIKE BY DOCTORS OF DELHI HOSPITALS

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन ने हड़ताली जूनियर डाक्टरों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिये यथासंभव आश्वासन दिया है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। संघर्ष समिति के सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा से मिलने के बाद मुझसे मिले और उनके साथ निम्नलिखित शर्तों पर समझौता हुआ।

(1) डाक्टर अपने काम पर आ जाएंगे।

(2) दिल्ली प्रशासन डा० भटनागर और डा० मिश्रा से त्याग पत्र वापिस लेने के लिए कहेगा और उनके विरुद्ध जांच कार्यवाही करेगा, जाँच कार्यवाही के समय दोनो डाक्टरों को

निलाम्बित कर दिया जायेगा। विलिगडन अस्पताल के तीनों डाक्टरों के साथ भी यही कार्यवाही की जाएगी, भारत सरकार उनके शेष मांगों के सम्बन्ध में निर्णय दो महीने में ले लेगी।

माननीय सदस्य यह जान सकते हैं कि इस समझौता की शर्तों द्वारा हमने हड़ताली कनिष्ठ डाक्टरों के साथ उदारता बरती है।

संघर्ष समिति के दो सदस्य सुबह मेरे पास आए और मुझे यह बताया कि हड़ताल समाप्त कराने तथा इन शर्तों के मनवाने में उनका प्रयास विफल रहा है।

इन स्थितियों में, जबकि डाक्टरों की हड़ताल समाप्ति के प्रयत्न विफल हो चुके थे, सरकार के पास आवश्यक सेवा अधिनियम 1968 और निषेधात्मक आदेश के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। इन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। मुझे आशा है कि अब भी हड़ताल करने वाले डाक्टर हमारा आश्वासन स्वीकार कर लेंगे तथा काम पर आ जायेंगे। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 670/69]

नियम 338 के अन्तर्गत संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 338 RE : CONSTITUTION (TWENTY SECOND) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राय चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबन्धी नियमों के नियम 338 का संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 के पुरस्थापित किये जाने की अनुमति तथा उस पर विचार किये जाने के प्रस्तावों पर लागू होना निलम्बित किया जाये।"

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : नियम 338 के निलम्बित करने का प्रश्न तभी उठता है जब इसकी वापसी उचित हो, मेरा निवेदन है कि 2 अप्रैल को की गई वापसी विधि सम्मत नहीं थी। अतएव मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। मैं आपका ध्यान नियम 339 की ओर दिलाता हूँ, नियम 339(1) के अनुसार यह है कि :

"जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया हो वह उसे सभा की अनुमति से वापिस ले सकेगा।" नियम 33 (2) में लिखा है कि "अनुमति, प्रश्न पर नहीं, अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकार व्यक्त की जाएगी", मैं यह कहना चाहता हूँ कि नियम 339(2) के अनुसार अध्यक्ष प्रश्न करेगा कि "क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापिस लिया जाए ?" परन्तु हम ऐसी बात इस कार्यवाही में नहीं पाते हैं, अतएव यह वापसी विधि-सम्मत नहीं है, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सभा ने अनुमति दी और इसे वापिस ले लिया गया। जो कार्य पहले हो गया है उसका आप विरोध न कीजिए, यह आपका अधिकार है कि आप इस प्रस्ताव के निलम्बन लिये विरोध कर सकते हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : जब यह मालूम हो जाये कि पहले किया गया कार्य विधिसम्मत नहीं था तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : आप उस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जो कुछ हुआ वह अनियमित था जब कि अन्य समझते हैं कि यह नियमित था। आपको इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद कर यह बताना पड़ेगा कि यह विधिसम्मत नहीं है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : ऐसा लगता है कि निलम्बन का प्रश्न सत्तारूढ़ दल की असफलता के कारण हुआ है। हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद और इस सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में कुछ पवित्रताएं हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको ठीक किया जा सकता है परन्तु वे यदा-कदा कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को निलम्बित किया जाये। अतएव मैं इसका विरोध करता हूँ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It cannot be denied that that the Amendment Bill which propose to amend the Constitution not be passed. After that the Hon. Home Minister asked for bane to withdraw that Bill. It is true that it was Conceded but there is some weight in the statement of Shri Dasschoudhury. The motion of withdrawal should have been placed before the House but it was not done. Subsequently the bean for withdrawal was granted. And now you are saying that the motion can be discussed and rejected. Under these circumstances your sympathy should be with us. What kinds of circumstances have arisen under which the Hon Minister want to get this Bill passed. You may remember that the same situation took place previously and the House was not unanimous in suspending the rules. If the Hon. Minister wants, he Can postpone it. A Wrong Convention is being established in the House. They could not get the Constitution Amendment Bill passed and now they want to suspend the rules. We can not associate ourselves with this.

I thought that the Hon. Minister would state the reasons for bringing the Bill in such a hasty manner. The question of Assam is having for the last many years. Now the grave situation of Telengana is before us. The Government wants to be careful and slow in respect of Telengana. The Hon. Home Minister will admit that if we pass the Constitution Amendment Bill, then other states will make similar demands Actually it was not necessary to bring this Bill. It should be delayed. If you are going to amend the Constitution for Assam then why Telengana be spared. We do not want that the Constitutions be amended. I urge the Hon. Minister to state the reasons for suspending the rule.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं कुछ सीमा तक अपने मित्र वाजपेयी से सहमत हूँ। उसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक को पारित कर दे।

हमने एक गम्भीर गलती की है। यह सच है कि सरकार भी इसके लिए उत्तरदायी है। परन्तु हम इसके लिए जनमत तैयार नहीं कर पाये। आपने सभा में इस प्रस्ताव को लाने की अनुमति दी है। मेरी इससे कोई शिकायत नहीं है परन्तु मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक को शीघ्र पारित किया जाये।

इस विधेयक के साथ कई राजनैतिक दल सम्बन्धित हैं। ऐसे अन्य विधेयक भी हैं जिनका उद्देश्य संविधान में संशोधन लाना है, हम चाहते हैं कि ऐसे विधेयकों पर विशेष रूप से विचार किया जाये। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब कभी भी संविधान में संशोधन वाला विधेयक लाया जाय

तो उस पर इस भांति विचार न किया जाये अपितु उसके प्रति एक जिम्मेवारी व सहानुभूति की भावना होगी चाहिए ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में कार्यपद्धति सम्बन्धी औचित्यता का निर्वाह भली भांति नहीं हुआ । मैं श्री रंगा के साथ इस बात से सहमत हूँ कि विरोधी दल ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया है । इसमें सरकार का भी उत्तर-दयित्व है कि वह इस विधेवक को पारित कराये अगर यह पारित नहीं होता अथवा इसके मार्ग में रुकावट आती है तो इसका नैतिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा । मुझे दुःख है कि आरम्भ में ही नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया गया मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था और मैं नहीं जानता कि उस समय क्या हुआ ।

श्री रंगा ने संवैधानिक सम्बन्धी परिवर्तनों के बारे में जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । केन्द्र राज्य सम्बन्ध तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं । अब समय है कि सरकार इस मामले पर सोचे और इस सभा की एक संवैधानिक आयोग की स्थापना करे जो स्थाई हो और संविधान के संबंध में अपना मन्तव्य दे कि क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिए ।

श्री अ० कु० गोपालन : सरकार ने बहुत सी गल्तियां की हैं । परन्तु चाहे जो भी गल्तियाँ क्यों न हो, यह आवश्यक है कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित कर दिया जाये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sardar Patel Started the work of creation of thirteen states by forming small parts of the Country into big one. It was (his ambition that it would be better if the number of states were brought down. But due to the blunder mistake of the Government, new states are coming up. Now the number of states have gone up from 13 to 18 and there is a talk of creation of nineteenth states. The Hon. Home Minister was asked to state the reasons for getting this bill passed in this session. At least the House must be informed about it.

Secondly, the creation of separate small state with in Assam will encourage such demands in other states also. Therefore, the Governement, instead of tampering with the Constitution. Off and on, should think over it wholly. If changes are brought in the Constitution to this way then its very Sanetity will be lost.

अध्यक्ष महोदय : यह वाद विवाद नियम 339 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर हुआ । नियम 339 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गई । यह नियम 110 के अन्तर्गत आता है । आप उन नियमों को पढ़ सकते हैं । नियम 110 स्पष्ट है । अतएव जो कुछ हुआ वह विधिवत था । अब मैं गृह-मन्त्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वे उठाये गये बातों को उत्तर दें ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमने एक बार सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दी थी, मैंने कहा था कि मुझे आशा है कि आप सबके सहयोग से यह पारित हो जाएगा ।

श्री रंगा : बात यह नहीं है । प्रश्न यह है कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि भविष्य में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम ऐसा फिर नहीं करेंगे । अतएव मैंने उस प्रस्ताव को यहां पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं श्री वाजपेयी और श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा है कि इस विधेयक को पारित कराने में इतनी शीघ्रता की क्या बात है। इसका कारण यह है कि सरकार ने आसाम के दो वर्गों के रायों के मतैक्य के आधार पर इस निर्णय को क्रियान्वित करने का विचार किया था। यह क्रियान्वयन की प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि अभी नौ राज्यों ने इसे अपना समर्थन देना है कि फिर उसके बाद पुनर्गठन विधेयक पारित किया जायेगा। मुझे आशा है कि तदुपरान्त यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जायेगा। इस प्रकार क्रियान्वयन की प्रक्रिया बहुत जटिल तथा लम्बी है इसलिये हमने सोचा कि इस विधेयक को पारित करने में देरी नहीं करना चाहिए। अगर हम इस सत्र में यह विधेयक पारित करते हैं तो शेष कार्य आगे वर्ष में पूरा हो जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to point out one thing. You can see the language of the motion where it is written that "and taking into Consideration". You will have to bring another motion for Consideration. The motion needs to be amended.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसको पहले पेश करके फिर इस पर विचार करना है, इस पर अलग से विचार किया जायेगा। अगर आवश्यक हुआ तो मैं प्रस्ताव में संशोधन लाने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें संशोधन किया जाता है। यह वाक्य 'और इस पर विचार किया जाये' निकाल दिया जाता है। मैं संशोधित प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :—

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति के प्रस्तावों पर लागू पोना निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : नियम निलम्बित कर दिया जाता है।

संविधान (बाईसवा संशोधन) विधेयक, १९६९

CONSTITION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The bill which has been introduced by the Hon. Minister is so grave by its very nature that the country will be divided in many parts. It is a matter of great sarrow that some people in Assam think they have been ignored for the last twenty years by the people of India and Assam Government. The Government have failed in her attempt to meet the grievances of those people. With the result they have become the toys of selfish politicians. I, therefore, think that this bill represents the failure of the Government.

Secondly, now we have seen the grave Consequences of linguistic Provinces. The Congress President, Shri Nijalingappa has cautioned against this. It demands rethinking. Now the bill, which is being introduced by the Hon. Minister, will open a door which will be more dangerous than languistic provinces. Tomorrow demends will be raised from Telengana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh etc. for separate states.

Thirdly, there are two types of states. One is Union Territories and second is full fledged states. Now a third type of state namely sub-state within a state is being created. It will be disatrous for the country.

Lastly, I may request the Hon. Minister to consider it. Ways should be found out to curb such tendency. We oppose such more which proves disatrous for the country.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने विधेयक के गुण-दोष पर अपने विचार प्रकट किये हैं, हम इस पर बाद में विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अनुमति दी जाये । कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

(अनुदानों की मांगें)—जारी

DEMANDS FORGRANTS—*Contd.*

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : यह सभा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा करेगी । श्री व्यास अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Ramesh Chandra Vyas (Bhilwara) : The big industrialists and rice peo are purchasing farm and giving incentives to agriculture inlarge scale. It is true that it will give relief to large extent but a great problem will arise namely the agricultural laboures will be rendered unemployed. The officials of agriculture Ministry are busy in experimenting the green revolution. If the seeds are boarded by a few agriculturalists, they will not reach to general farmers. With the result the benefits of green revolution will go into few hands.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Our Food Ministry is based on the technical aid given by the foreign countries. I have mentioned in my speech that we may not get accustomed to foreign technical aid. We should not neglect our technologists who are working hand for the development of agriculture. Their grievances should be eliminated.

I belong to Rajasthan. Even to day there are large number of Zamindars and feudalists. Today Rajasthan is fighting with famines. She has incurred much expenditure on the measures to counter the effects of famines. The state Government should give special monetary help in the construction of the Canal. Beside this the water of the dam being constructed at Himachal Pradesh should also be diverted to Rajasthan also. Lands

of Rajasthan have been alloted to those villages whose lands will be submerged due to that dam. The centre should also come forward to give more aids and Canal should be constructed before the Completion of the dam. Then only Rajasthan will emerge in every fields. It will be able to supply foods to every people of country.

I thank to the Chief Minister of Rajasthan who took special interest in this matter. He is giving relief to the famine affected people. I understand that Centre has also granted some monetary help but it is not sufficient. The Contre should give more aid.

***Shri N. R. Patil** (Bhir): India is primarily an agricultural country. The agriculture plays an important role in the economy of the Country. Inspite of this we have to depend on others for foodgrains. Even after twenty years of Independence we are at the same level. The sixty percent of our farmers have less then acrs of land.

Irrigation facility is not avilable for about eighty percent of land. With the remit the desired increase in the output could not take place. The Government has been requested to provide this facility to formers. While giving shape to plans, priority should be given to shall irrigation schemes, wells and installation of tubeswell etc. Dependence of farmers on rains should be decreased. In this way the farmers will be able to produce more then one crop is a year and agricultural labourers will get work the whole year.

It is well know that our farmers are very poor. About sixty percent farmers have less than five acres of land. How such farmers can invest Capital on their land. Government Taccavi Scheme and Co-operative Banks give loan to big farmers. So efforts should be made to provide loans to them also.

The main problem before the small farmers is of loans. If has been seen that generally they are neglected. It is good that commercial banks have come forward to invest money on agriculture. Loans should be provided to farmers in the shape of seeds, manure Pumping sets etc. So that the farmers may not misuse the loans. If the farmers become unable to repay the loans due to natural calamity or some other reasons then the Government should come forward to help the farmers. Loans and seeds etc. should be provided to farmers in time otherwise it will go waste.

It is very important that the prices of the foodgrains should be fixed. If the farmers are given fair prices of their produce then they will work more. Fixed prices will encourage farmers to produce more. The farmers work hand the whole year 'round. If he does not get fair remuneration then his efforts will go waste.

The Government should fixed the prices of all cash crops. In the absence of such thing profiteers try to exploit the farmers. This year the prices of *Gur* went down *i.e.* comparison to last year and the farmers have to suffer a lot. Cotton is a important cash crop of Maharashtra. The Government is also thinking to fix price of cotton. If should be done immediately to same farmers from the hands of profiteers.

This year the Government have imposed duties on manure, Pumping sets etc. It will have an adverse effect on production. The Government should rethink over it.

I represent Bhir which produces foodgrains, cotton and sugarcanes. But there is no railway facility within the area of sixty five miles. It is my demand that new railway line should be constructed from Bhir.

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : To-day I shall confine myself to Sugar industry above. Firstly the partial decontrol of sugar will never give relience to consumers. In this way the farmers are not getting fair price of their sugarcanes. The Hon. Minister gave an assurance in the House that the farmers will get ten rupees per quintal of their sugarcanes. But the experience show a different picture. In west Utter Pradesh the sugar-

*मूल मराठी के (हिन्दी) अनुवाद से अनूदित

English translation of speech delivered in Marathi.

canes are selling Rupees 8 and 50 paise per quintal and in Eastern Parts of Uttar Pradesh and Bihar it is selling about Rs. nine and Rupees 9 and 50 paise per quintal. Only declaration of policy in this House is not sufficient. The Government should see whether such policy is also being observed or not. Last year there was huge profit in sugar but in Kerala only Rs. 7.37 paise per quintal was given to the farmers. The prices of sugar is high in Madras but even then sugarcanes are sold at Rs. 8 per quintal. Either the Government should adopt the policy of decontrol or see whether the farmers get fair price or not.

The production of sugar was 21 lakhs tons in 1966-67. The main reason was that Sugarcanes have not supplied to the factories because the farmers could not get fair prices. The Government understood this phenomenon and adopted the policy of partial decontrol. But actually in stead of decontrolling the sugar industry, the Government have been working in such a way as to strength on the control. The Consumer is not getting any benefit out of it. So it is my request that the policy of decontrol should be revised and a new policy may be formulated.

The farmers produce sugarcane. Therefore either you adopt a policy of complete control or complete decontrol. But there is a fear in complete decontrol because when the price will rise then you will control it. The better way is to have control but remove the uncertainly. Today with the increase in the production of sugarcanes the prices come down and when there is less production then the prices go up. This is the condition prevailing in the country such uncertainly should be removed.

It is good that the Food department is exercising control over opening of new mills. Many states want sugar industries to be installed there. It is estimated that about 45 lakhs tons sugar will be consumed in Fourth Five Year Plan and we have capacity to produce it. But have you made arrangement to provide sugarcane sufficiently to the factories ? Secondly under such fluctuation will the factories get sugarcane ? Now the time has come to reconsider it.

Now the time has come to consider the ways to augment the production of sugarcane. It is true that in Bombay and Madras the production of sugarcane is more in per acre. Water is very necessary for the production of sugarcanes. It is said that how the production of sugarcanes will increase in Uttar Pradesh ? What have you done there for irrigation facilities ? What facilities you have given to the factories of Uttar Pradesh ? It is not only sufficient to say that production is not increasing all facilities should be provided for the augment of production.

As for as the foodgrains is concerned, many Schemes have been formulated and research was conducted intensively. This has resulted in great change. Now an acre produce forty maunds of wheats whereas it only produced ten maunds of wheat previously. But no such research was conducted in the field of sugarcane. If the Government give proper consideration in this field then the production can also be increased. Today the sugar factories do not get sufficient quantity of sugarcanes.

A great revolution has taken place in the field of seeds. It is good but it is also necessary that a guide should also be provided to help farmers in the ways of using it.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त करें, वे मध्यान्ह भोजन के पश्चात अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till founteen of the clock

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at five Minutes past fourteen of the clock

[श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए]

[**Shri Thirumala Rao** in the Chair]

अनुदानों की मांगे जारी

Demands forGrants— *Contd.*

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज सबेरे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कुछ सदस्य पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, पश्चिमी बंगाल के उप मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि केन्द्र द्वारा कोई भी न्यायिक जांच सहन नहीं की जाएगी, मेरा अनुरोध है कि

सभापति महोदय : आपको इस प्रकार कोई विषय नहीं लाना चाहिए, इसके लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न यह है कि या तो इस पर वाद-विवाद होना चाहिए अथवा प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य देना चाहिए।

दूसरी बात, अभी स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा है कि आवश्यक सेवा अधिनियम का प्रयोग हड़ताली डाक्टरों के विरुद्ध किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि डाक्टर पहले ही कोई निर्णय ले रहे हैं अतएव इस प्रकार कार्यवाही से मामला बिगड़ सकता है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी मामला बिना पूर्ण सूचना के इस प्रकार उठाया जाये। मैं उनके पास आपके विचार ले जाऊंगा। वही इसका निर्णय करेंगे।

श्री काशी नाथ पाण्डेय अपना वक्तव्य जारी रखें।

Shri K. N. Pandey : The Gur has also posed a big problem for sugar industry. Now this time has come to see to which extent the Gur should be processed. The people are using the Gur in many purposes. It is consumed in the preparation of wine also.

The Gur is sent to Punjab and other places from Uttar Pradesh. It is in great demand for the preparation of wine. Under such condition the prices of Gur will go up. Now you will have to think what the price of sugarcane should be so, that the sugar industry may function smoothly.

The Food Ministry has set up a Development Council for the development of sugar industry. It is working good. Every sections of the community has representation in it. The Food Secretary is the President or Chairman of it. He hears all arguments and then conveys it to the Minister who does not attend the meeting. The Minister should attend the meeting so that he may take decision after hearing all parties.

The Country has been experiencing shortage of sugar therefore the work of sugar industries should be expedited. For this it is necessary that the workers may be properly dealt with and they should be satisfied in every respect. The workers do not get bonus. The Committee, constituted for deciding the issue of bonus, do not guide the states properly.

The Ministry should publish the average Price Food of the sugar. So that the Committee may know the rate of sugar being sold.

The factory owners sell sugar on high rates but show less in their record. In accordance with the bonus act we cannot question the balance sheet. If you want to have smooth functioning of the sugar factories that a way should be find out to end this controversy.

Secondly, I want to say that the partial de-control has not proved well in this country. It is not practical and it has created uncertainty. You know that the consumers of sugar pertain to various sections of the society. The sugar which they get from ration is not sufficient for them. They have no capacity to buy sugar from open market. So, I request that there should be complete control of sugar industry.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : There is no doubt that the production of agriculture has increased but it is not up to the mark. We will have to think over the requirements of a farmer. The first think is that farmers should get bullocks, seeds, manure and water on cheap prices. The big industries get electricity on cheap rates whereas it is costly to the farmers. Such discrimination should be removed.

We should use good seeds. If we use fertilizers in a proper way that there is no doubt of our augmenting the food production.

Facilities for intensive cultivation should be provided to the farmers. In the absence of this we can not hope for good harvest. If tractors are made available them intensive cultivation can take place.

It is very difficult to get spare parts for tractors. The tractor owners have to go far off places such Madras and Bombay to get spare parts. Moreover the tractors can not be used in the hilly areas. We have to use bullacks in the hill areas and to make available bullacks to the farmers cow should be protected. A ban on cow slaughter should be imposed. A commission was appointed for the purpose but it was dissolved due to differences on the terms of reference. Cow is a national property and it must be protected.

Co-operative Banks have been established to grant loans to the farmers but these banks are not working properly. The farmers are facing great difficulties in getting the loans. Storage facilities also not available to the farmers. These difficulties should be removed.

Much of the foodgrains is destroyed by pests and rats. We have not been able so far to protect the foodgrains from the rodents and pests. We were told in the Pusa Institute that 'Syro Gasing' should be used for this purpose. But the rats have also become very clever now a days. If 'Syro-Gasing' is use in our place the rats escaped to other places. Same permanent solution should be found out for this nuisance.

Foodgrains are transported from one station to another in the open railway wagons. It get destroyed during the rains. I would request the hon. Minister that foodgrains should not be despatched in the open wagons.

We are happy to see that our scientists are inventing new varieties of seeds. The farmers should be given proper training in sowing these seeds. The Agricultural Ministry should send its experts to various parts of the country for giving training to the farmers.

Milk problem can be solved only of the Government run its own dairies. In Bombay and Gujarat these dairies are running successfully. Moreover cattle should be protected. Only 130 gram milk *per capita* is available in India whereas there begives two hundred gram in Pakistan.

Wall on the Gandake canal project has not yet been completed. As a result thereof the farmers of Gorakhpur in U.P. and Bihar are facing great difficulties. Water for irrigation is not available which is so badly needed for the production of sugarcane and paddy. I

would also request the Government to bring at par the prices of sugarcane and other foodgrains so that Government could control the production. If the farmers are given necessary training. They can sow one more crop in the fields of sugarcane. Moreover the farmers are facing great difficulties in getting the chits from the cane development office. Such difficulties should be removed if we want to increase the production of foodgrains. More attention should be paid by the Agricultural department towards the protection of plants.

The farmers are already hard cut by draughts and floods. The Agricultural tax should not be imposed on them as it will put more burden on them. He has also to pay tax on furtilizer and for irrigation facilities. Agriculture tax should not be imposed on them.

More attention should be paid to the minor irrigation schemes as they are more useful.

P.L. 480 funds are being used for converting the people into christianity. On the one hand family planning is being introduced and on the other hand conversion is going on. In this way Hindu community will be eliminated.

Recommendations of the Patel Commission has not yet been implemented. These have been perhaps kept in the cold storage. More foodgrains can be produced in that region if the recommendations of the Commission are implemented.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबार) : आज प्रात: काल के पत्रों से पता लगता है कि इस वर्ष लगभग 20 लाख टन अनाज व्यय होगा । हो सकता है कि आगामी पांच अथवा छः वर्षों में उत्पादन और भी व्यय हो और इस प्रकार हमारे सारे अनुमान गलत सिद्ध हो सकते हैं और हमें अपने अनुमानों में संशोधन लाना होगा ।

केवल 20 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था है । शेष लगभग 80 प्रतिशत भूमि मानसून पर आधारित है । अत: मानसून के रवैये में परिवर्तन होने से हमारे अनाज के उत्पादन पर भी उसी प्रकार प्रभाव पड़ सकता है । इसके साथ-साथ परिवार नियोजन के बावजूद हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और 198 ; में हमें 1870 लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी । और इस लक्ष्य को वृद्धि की वर्तमान दर से भी प्राप्त करना असम्भव दिखाई देता है । अत: इस बारे में सावधानी से काम लेना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि त्रुटि किस स्थान पर है और क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है । कृषि उत्पादन को बढ़ाने में एक कठिनाई यह भी है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा एक समान नीति का पालन नहीं किया जाता है । हो सकता है कि कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग इन कठिनाइयों को दूर कर सके और विभिन्न सरकारों में सूझबूझ उत्पन्न करने में सहायता कर सके । कृषि का आयोजन वैज्ञानिक आधारों पर किया जाना चाहिए ।

बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं का लाभ छोटे-छोटे किसानों को नहीं पहुंचता है । इन से कृषि योग्य एक तिहाई भूमि में ही सिंचाई की जा सकती है । शेष भूमि पर माध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई करनी होगी । जबतक छोटे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाता, तकनीकी जानकारी तथा खेती के अन्य तरीके नहीं सिखाये जाते अथवा जबतक हम ऐसा तरीका नहीं ढूढ़ निकालते जिससे छोटे तथा बड़े किसानों दोनों को लाभ हो । हम इन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते और अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते ।

आजकल जो तरीके अपनाये जा रहे हैं इनसे कृषकों के कुछ वर्गों को ही लाभ हो रहा

है। यह बहुत खतरनाक बात है। जिन ट्रैक्टरों का उत्पादन हो रहा है उनको बड़े-बड़े किसानों द्वारा केवल बड़े-बड़े खेतों में ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः हमें ऐसे औजार बनाने चाहिए जिनका छोटे किसान भी लाभ उठा सकें। देश में ९0 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास एक अथवा दो एकड़ भूमि ही है। अतः ऐसे औजार बनाये जाने चाहिए जो कि इन लोगों के काम आ सकें। राज्य सरकारें बड़े-बड़े किसानों के दबाव से आगे झुक जाती हैं। अतः उनके लिए छोटे किसानों की कठिनाइयां दूर करना असम्भव हो जाता है।

जहाँ तक अनुसंधान संगठनों का सम्बन्ध है इन में कुछ काम किया गया है परन्तु वह काम पर्याप्त नहीं है। अनुसंधान का लाभ खेतों तक पहुंचना चाहिए और खेतों की समस्याओं को अनुसंधान संगठनों में सुलझाया जाना चाहिए। हम केवल व्यवहारिक तथा मौलिक अनुसंधान से ही खेती की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। राज्यों के विस्तार संगठन बहुत कमजोर हैं और उनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। खाद तथा उर्वरक आदि की सप्लाई के बारे में पर्याप्त काम किया गया है।

कृषि कर लगाने का समय अभी नहीं आया है क्योंकि अभी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि हम खेतों में क्रांति ले आये हैं और कि वह क्रांति स्थायी है। अतः इस समय ऐसा कोई भी काम करना जिसमें बड़े किसानों पर प्रभाव पड़े अनुचित है। यदि यह कर लगाया जाता है तो इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस मामले में हमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए।

इस समय 1000 रुपये की आस्तियां रखने वाले लोगों का ही केवल 3 प्रतिशत सहकारी ऋण मिलता है। इस स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

आसाम सहित जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है उन क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमें अपनी कृषि का विकास वैज्ञानिक आधारों पर किया जाना चाहिए और समस्याओं को हल करने अतः शुष्क क्षेत्रों में अन्न उत्पादन की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान संगठन स्थापित किये जाने चाहिए। यदि आसाम में कृषि की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो हो सकता है कि हमें वहाँ भी तेलंगाना जैसी स्थिति का सामना करना पड़े।

श्री कृ० मा० कौशिक (चन्दा) : पहली पंच वर्षीय योजना में सिंचाई की छोटी योजनाओं पर अधिक जोर दिया गया था। उर्वरकों का प्रयोग किया गया था और अधिक भूमि पर खेती गई थी। जिसका परिणाम यह हुआ था कि अनाज के उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि हो गई थी और मूल्य 20 प्रतिशत कम हो गये थे।

दूसरी पंच वर्षीय योजना में कृषि की उपेक्षा की गई भारी उद्योग को अधिक महत्व दिया गया था। भूमि सुधार नीति लागू की गई और भूमि की अत्यधिक सीमा निर्धारित कर दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अनाज का उत्पादन कम हो गया और अनाज के मूल्यों में 50 प्रतिशत वृद्धि हो गई। मूल्यों में वृद्धि को रोकने के सभी उपाय निष्फल हो गये और योजना में सफल नहीं हुई थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की पूर्णतया उपेक्षा का भारी उद्योग पर पूरा जोर

लगाया गया। 1964-65 को छोड़ शेष वर्षों में उत्पादन बहुत ही कम हुआ और इसके फलस्वरूप खाद्य क्षेत्र बनाने पड़े, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा तथा खाद्य निगम आदि स्थापित किये गये।

चौथी पंच वर्षीय योजना में सरकार ने यह महसूस किया है कि कृषि पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अच्छा है कि सरकार खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधरे हुए बीज, अधिक उर्वरक, कीट नाशक औषधियां आदि का प्रयोग करना चाहती है। परन्तु सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा पानी का न मिलना है। अतः किसानों को पानी की सप्लाई समय पर अथवा पर्याप्त रूप से की जानी चाहिए।

भारत एक बहुत बड़ा देश है अतः कुछ एक बड़ी योजनाओं से देश के कोने कोने में पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त बड़ी योजनाओं को पूरा होने में बहुत समय लगता है और इन पर व्यय भी बहुत होता है जोकि हम सहन नहीं कर सकते। अतः छोटी सिंचाई योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इन योजनाओं से किसानों पर पर्याप्त रूप में तथा समय पर पानी मिल सकता है। इस पर समय भी अधिक नहीं लगता और न ही इन पर अधिक व्यय होता है। प्रत्येक गांव के तालाब की मरम्मत के लिए तुरन्त कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

दूसरे हमें भूमि सुधार नीति के बारे में भी निर्णय करना है। हमारे किसानों के पास बहुत कम भूमि है जो अलाभप्रद है। यदि भूमि रखने की अत्यधिक सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो इससे भूमि का और बंटवारा होगा और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि भूमि सुधार के लिये प्रगतिशील उपाय किये जायें। यदि किसान के पास अलाभप्रद भूमि है तो वह सुधरे बीजों तथा खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अतः हमें देखना है कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति क्या हो।

भण्डार की सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। विभिन्न पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है कि चूहों आदि के कारण 10 प्रतिशत के लगभग अनाज नष्ट हो जाता है। अतः अनाज को स्टोर करने के लिए नये तरीके ढूंढने होंगे। भण्डार की पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण हमें बहुत हानि हो रही है।

सरकार यह समझती है कि नियंत्रण से हर प्रकार की कमी की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है और कि वितरण में जो त्रुटियां हैं उनको सरकार द्वारा व्यापार को अपने हाथ में लेने से दूर किया जा सकता है। यदि सरकार का आशय लोगों को सस्ते दामों पर अनाज सप्लाई करना था तो मैं कहूँगा कि सरकार इस में बुरी तरह असफल हुई है। खाद्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय एकता को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि फालतू अनाज वाले तथा कमी वाले राज्य एक दूसरे की खुशी और दुख को आपस में नहीं बांटते, फालतू अनाज वाले राज्य कमी वाले राज्यों का शोषण करना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती है। खाद्य क्षेत्रों में उत्पादक न ही उपभोक्ता प्रसन्न है। विभिन्न राज्यों में चने के भाव भी अलग अलग होते थे। इससे

तस्करी तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अत. इन क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाना चाहिए। इन प्रतिबन्धों में ढील देने से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे मूल्य भी स्थिर हुए हैं। कमी वाले राज्यों में चने अथवा दालों के मूल्यों में भी कमी हुई है। चने और दालों पर मार्च/अप्रैल में क्षेत्रीय प्रतिबन्धों में ढील दी गई थी। तबसे लेकर अबतक इनके मूल्य स्थिर हैं। अतः क्षेत्र य प्रतिबन्धों को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। इनसे न तो उत्पादक को और न ही उपभोक्ता को लाभ हुआ है।

गेहूँ के लाने ले जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। जहां तक फालतू भण्डार बनाने का प्रश्न है एक तो पहले ही गेहूं का कुछ भण्डार है दूसरे इस महीने 28 लाख टन गेहूँ प्राप्त होने वाला है। अतः आयात किये जाने वाले गेहूँ का फालतू भण्डार बनाया जाना चाहिए और देश में उत्पन्न होने वाले गेहूँ को लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए।

खाद्य निगम को लोगों को सस्ते दरों पर अनाज सप्लाई करने के उद्देश्य से बनाया गया था। परन्तु अब हर कोई महसूस करता है कि यह एक एकाधिकार फर्म बन गई है। यह इसने एक बिचौलिये का रूप धारण कर लिया है और यह चावल के वसूली मूल्य पर 13 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करता है। पिछले वर्ष मेरे जिले में ज्वार को 53 रुपये पर वसूल किया गया था और सरकार ने इसको लोगों को 67 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा था। अतः निगम एक क्विंटल पर 14 रुपये कमीशन ले रहा है।

अतः इस निगम से सरकार का लोगों को सस्ते दरों पर अनाज सप्लाई करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार निगम चावल को 84 अथवा 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रम का लोगों को 105 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचता है। अतः एक क्विंटल पर 15 कमीशन प्राप्त करता है।

देश में कपास की पहले ही कमी है। अतः कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये अन्यथा हमें विदेशों से कपास का आयात करना होगा।

देश में पशुधन की वृद्धि पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। दूसरे दूध तथा शक्तिशाली तत्वों की सप्लाई के अतिरिक्त इससे खाद में भी वृद्धि होगी यदि लगातार कुछ समय तक रसायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद भूमि बिल्कुल बेकार हो जायेगी। अतः पशुधन में वृद्धि की जानी चाहिये। इससे खाद मिलता है।

भूमि संरक्षण के मामले पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूस) : समूची ग्रामीण जनसंख्या इस बात की आशा कर रही थी कि इस बजट से उनको कुछ लाभ पहुंचेगा। इसका एक कारण यह है कि समय समय पर प्रधान मंत्री तथा उप-मंत्री द्वारा लोगों को यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि ग्रामीण जनता के लिए अधिक धन रखा जायेगा और अविकसित क्षेत्रों को इस से लाभ पहुंचेगा। परन्तु इस बजट में ग्रामीण जनता पर एक बम गिरा दिया गया है। लगभग 90 प्रतिशत सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर यहां आये हैं। यही कारण है कि हम सबने मंत्रिमण्डल को कृषिका पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है।

हाल में मुझे 300 अथवा 400 पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें मुझ से उर्वरक, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर लगे करों का विरोध करने को कहा गया है अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इन करों में छूट देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे।

जहां तक उर्वरक के प्रयोग का प्रश्न है जापान में प्रति एकड़ 200 से 300 किलोग्राम उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जबकि भारत में प्रति एकड़ 4 किलोग्राम उर्वरक का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जब तक किसानों को कुछ छूट तथा कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक हम कृषि का विकास नहीं कर सकते, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के बजाये दुस-त्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता।

सरकार को उपभोक्ता संस्थाओं को सहायता देने के बजाये सीधे किसानों को सहायता देनी चाहिये। ताकि किसानों को सीधा लाभ हो। हाल में वित्त सचिव श्री आई० जी० पटेल ने कहा है कि कृषि उद्योग में बहुत विकास हुआ है और लोग एक एकड़ में एक हजार रुपया कमा रहे हैं। सूरतगढ़ फार्म के बारे में श्री मसानी ने बताया कि वहां पर लगाई पूंजी को देखते हुए 0.07 प्रतिशत आय भी नहीं हो रही है। यही हाल किसानों का है। वह भी इन सभी वर्षों में नये नये तजुर्बे कर रहे हैं।

उर्वरकों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो गई है। उर्वरक पर दी जाने वाली राज्य सहा-यता को समाप्त कर दिया गया है और इनके मूल्यों में भी वृद्धि करा दी गई है। अतः इससे उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जायेगी। इससे कृषि उद्योग को धक्का लगेगा। अतः इस बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। कृषि विकास के सभी मामलों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

देश को चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई हो रही है। इस उद्योग का विकास चार अथवा पांच राज्यों में हो रहा है। महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये 16 आवेदन पत्र 1963 से अनिर्णीत पड़े हैं। इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये यहां पर प्रति एकड़ 40 टन गन्ना पैदा होता है और इसमें चीनी का तत्व 12 प्रतिशत है। अतः मिले स्थापित करने के लिये तुरन्त लाइसैंस दिये जाने चाहिएं। यदि यह काम गैर-सरकारी व्यापारियों को भी दे दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनाज के व्यापार में सरकार को पिछले दस वर्षों में 200 से 300 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है। परन्तु खाद्य निगम कुछ लाभ अर्जित कर रहा है। कई प्रकार की कटौतियों को लागू किया जा रहा है। परन्तु इन कटौतियों का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया जा रहा है। हमारे जिले में खाद्य निगम ने जो गोदाम बनाया है वह स्टेशन से तीन मील दूर है। इससे सामान को रेलवे स्टेशन से गोदाम तक ले जाने पर लाखों रुपये व्यय हो जायेंगे। उन्होंने माडर्न चावल मिल को भी पास लगाये जाने को कहा है ताकि गोदाम से मिल को धान के परिवहन पर अधिक व्यय न हो।

इस देश के विकास मे अनेक बाधायें हैं और मेरे विचार में सब से बड़ी बाधा योजना

आयोग है। इस व्यवस्था में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत से कर्मचारी भर्ती किये गये हैं जिनके पास योजनाओं का पुनरीक्षण करते रहने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है। इन सब का बोझ गरीब किसानों पर डाला जा रहा है।

सरकार को बड़े बड़े लोगों, महाराजाओं बिड़ला बन्धुओं पर जिन्होंने हमारे क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ भूमि खरीदी है कर लगाना चाहिए। इन लोगों ने काले बाजार का धन भूमि क्रय करने पर लगा दिया है। परन्तु गरीब लोगों पर कर लगाया गया है।

उर्वरक कर तथा पम्पिंग सेटों सम्बन्धी कर पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। यह कहना गलत है कि नलकूप अथवा पम्पिंग सेट केवल धनी व्यक्ति ही लगाते हैं, हमने अपने जिले में सहकारी नलकूप संस्था बनाई है। हम सहकारी भूमि बंधक बैंकों द्वारा किसानों को वित्त दिलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमने अपने जिले में सहकारी भूमि बंधक बैंक 28 लाख रुपये 7½ प्रतिशत ब्याज पर लेकर बिजली बोर्ड को दिये हैं और बिजली बोर्ड इसको किसानों को 5½ प्रतिशत ब्याज पर दे रहा है। अतः दो प्रतिशत का घाटा हम स्वयं सहन कर रहे हैं।

तम्बाकू उगाने वालों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उनका जो माल बिका नहीं है राज्य व्यापार निगम उसको क्रय करे और उसके लिए विदेशों में बाजार ढूंढे, यदि इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो न केवल किसानों पर बल्कि अनाज उत्पादन के सभी प्रयासों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

डा कर्ण सिंह (बीकानेर) : मैं केवल राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में ही बोलूंगा। हमारे राज्य में पिछले 100 वर्षों में भी इतना सख्त अकाल नहीं पड़ा है। राज्य को पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

वर्षा के बारे में अनुसंधान किया जाना चाहिए और किसानों को बुवाई के समय में परिवर्तन करने का ढंग सिखाया जाना चाहिए। शायद कृषि अनुसंधान संस्था इस बारे में कुछ सहायता कर सके।

मेरे विचार में विज्ञान तथा टेक्नालोजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि ऐसे बीजों के स्ट्रेनों का विकास करना सम्भव है कि जिनको कम वर्षा वाले तथा शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है।

राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों की एक समस्या यह है कि एक काम पूरा होने तथा दूसरा काम शुरू होने के बीच की अवधि में दो अथवा तीन सप्ताह लग जाते हैं और इस अवधि में गरीब लोगों के लिए निर्वाह करना कठिन हो जाता है और उनको अपनी बचत पर जोकि शून्य के समान होती है निर्भर करना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इन लोगों को निःशुल्क खाना दिया जाये अतः इस अवधि के लिए उनको मजूरी का भुगतान किया जाये क्योंकि यदि नया काम जल्दी शुरू नहीं किया जाता तो यह उन गरीब लोगों का दोष नहीं।

गांवों के लिये पीने का पानी खींचने वालों को 25 से 50 रुपये देने का आश्वासन माननीय मंत्री ने दिया था। कई पशु इस काम में मर गये हैं। अब गांव के लिए पानी खींचने के लिए दो अथवा तीन व्यक्तियों को मिलकर काम करना पड़ता है। पहले इस काम के लिए 12 से 50 रुपये

दिये जाते थे। अब इसको बढ़ाकर 25 रुपये कर दिये गये हैं। परन्तु यह राशि भी बहुत कम है भुगतान गांव की जनसंख्या के आधार पर ही नहीं बल्कि कुओं की गहराई को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। राजस्थान में कई कुएं 300 फुट तक गहरे हैं। राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में बहुत सख्त गर्मी भी पड़ रही है। मार्च में वहां 107 से 112 डिग्री फार्नहीट था। इससे वहां पर माहामारी आदि फैलने का खतरा है। अतः महिलाओं तथा बच्चों के लिये विशेषकर मकान आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि इस गर्मी से उनकी रक्षा की जा सके।

इस समय कस्बों में तो चारा उपलब्ध हो जाता है अतः इसको गांवों में भी उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध किये जाने चाहिए। सरकार को तिथियां नियत कर देनी चाहिए ताकि ग्रामीण उन तिथियों पर चारा खरीद सकें।

देश में अनाज को स्टोर करने की भी बड़ी समस्या है। कल मुझे बताया गया था कि एक स्टेशन पर अनाज को उतारने का स्थान न होने के कारण अनाज से भरी गाड़ी को मद्रास भेजना पड़ा था। मेरा निवेदन है कि कृषि तथा रेलवे मंत्रालय को इस मामले में आपस में समन्वय करना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि भारत का खाद्य निगम जवार तथा मक्का के अपने भण्डारों को नहीं बेच सकता। यदि ऐसी स्थिति है तो इस अनाज को अकालग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए जहां कि लोगों को अभी भी अनाज का कम कोटा दिया जा रहा है।

Shri Achal Singh (Agra) : Ours is an agricultural country. We were exporting foodgrains to other countries till the World War II. Since then we are importing foodgrains and we are depending for foodgrains on other countries. There is shortage of foodgrains in our country and they are being sold at 40 to 60 rupees per maund where as in pre-war period they were sold at Rs. 2/- per maund.

This situation has been crept up because we have not paid due to attention to the Agricultural in three Five Year Plans which we have already completed. That is why we have to import foodgrains worth crores of rupees from America under P. L. 480.

It is a matter of great pleasure that during the last two years we have made some headway in the agriculture. Government is giving attention to the supply of fertilizer and water to the farmers. Rains have failed once again this year. So the production of foodgrains will not be according to the estimates. Still there it is hoped that it will touch the level of last year. If necessary things such as fertilizer, water and improved seeds are supplied to the farmers, India will become self-sufficient in foodgrains.

At present there is no shortage of foodgrains in our country. So the restrictions imposed on the movement of foodgrains should be removed. This thing goes to the credit of the Government that during the last two years not even a single person has died due to starvation in the country.

Sufficient water should be supplied to the farmer for irrigation purposes. If we want to increase the production of foodgrains we must improve the irrigation facilities. It is true that tube-wells have been installed in many areas but it is also true that still sufficient water is not available to farmers for irrigation purposes. Necessary arrangements should be made to supply water to Agra. We have been told on many occasions that on the completion of Ram Ganga Dam sufficient water will be supplied to Agra. I do not know when this Dam will be completed.

It is very improper to impose duty on the pumping sets. It will put bundles on the way of producing more foodgrains.

There is an acute shortage of milk in aour country and it is being sold at Rs. 1.50 per seer. We should pay as much attention to the protection of cattle as we are paying to other sectors.

More attention should also be paid towards the cattle breeding. People are not getting milk and ghee in sufficient quantities. Per-capital consumption of these articles in India is lower than America and many other countries. I would therefore, say that more attention should be paid to the cattle wealth.

With these words I support the demands.

Shri Sharda Nand (Sitapur) : On the 17th March the hon. Minister in a reply to a question said that in the next two years we will be self-sufficient in food. I want to know on what grounds he had made that statements.

As you know eighty per cent of our population is dependent upon agriculture and inspite of that we are importing foodgrains. The reason for this is that we have neglected agriculture all these years. Preference was given to the industry. We need water in abundance to solve this problem. First of all I would like to say that with the ministers of Food and Agriculture and Irrigation should we placed under the control of one ministry so that there may be better co-ordination between the two.

Eighty per cent of our cultivable land is dependent upon vagories of monsoons. The big irrigation schemes have failed to supply water to all the cultivable land. Had minor irrigation schemes been launched our farmers would have got sufficient water for irrigation purposes.

Fifty per cent of the tube-wells installed in U. P. are now out of order. There is need to pay more attention towards the improvement of irrigation fertilizer. So many tube-wells should not be such at one place as they dry up soon.

Manure comes next to water. Much emphasis is laid on the use of chemical fertilizer. It is very costly. Moreover use of chemical fertilizer requires more water which is not available to the farmers. Land will become useless in the near future if fertilizers are continuously used and sufficient water is not supplied to the fields. More attention should be paid on the production of compost manure and its use should also be encouraged. The money which we are spending on the import of fertilizer should be used on making arrangements for the supply of water to the villages.

Secondly, the small farmers are not in a position to buy chemical fertilizer as it is too costly now-a-days.

The new seeds which are being developed by the Universities and other research institutions are not reaching the small farmers. These should be made available to the small farmers. I would also request the hon. Minister to make necessary arrangements for the collection of produce of the improved seeds from the farmers from their fields as it becomes very difficult for the farmers to their produce to the concerned institutions.

Sugar is the main industry of Uttar Pradesh. There are about 71 sugar mills in U. P. At present 30 lakh tonnes sugar is being produced in our country. If necessary facilities are provided I am sure U. P. alone can produce 24 lakh tonnes of sugar. Mill owners are not paying even that price to the sugar-cane growers which has been fixed by the Government. This matter should be looked into and some adjustment for the betterment of the sugar-cane growers should be made.

No mention of the problems of the agriculture labour has been made in the report. Their problems should be tackled otherwise villages will be deserted. They should not be removed from the service of the farmer before one year. Necessary amendments in the rules should be made to this effect.

About 32-33 crores of people are deprived of nutritional food. The reason is that

people are not getting sufficient milk and fat. I would, therefore, request the Government to how cow slaughters.

With these words I conclude.

Shri B. D. Deshmukh (Aurangabad) : I thank the chair for providing me an opportunity to speach on these demands. This budget has put more burden the farmers and if it is not reviewed it will have adverse effects on them and will give them set-back.

It is now being said that we should increase the production of sugar-cane. But the sugar-cane growers are getting very little for their produce.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[**Shri Vasudevan Nair** *in the Chair*]

The Government of Maharashtra have submitted fifteen proposals for setting up sugar factories but the Central Government says that the proposal is under consideration of the Cabinet. The consumers have to purchase sugar-cane at the rate of Rs. 4 per kilogram. The Government should change her policies. You have even stopped the loans which were being given by Industrial Finance Corporation. You should at least grant the licences. So long as the present policy is continued, the difficulty with regard to sugar in the country will not be overcome.

The farmers of India are and opiting scientific methods of cultivation. But the Govern ment are imposing duty on fertilizers and electric pumps. It will have a bad effect on agricultural production. The consumption of fertilizers in our country is already low. Imposition of excise duty on fertilizers will serve as a disincentive for increased use of fertilizers.

The amount of credit of rupees 50 crores throughout the country is given as if alms are being given. The agriculturists experience a lot of difficulty in getting credit. They have not only to pay high rate of interest but have also to waste a lot of time in getting loans. Attention should be laid to improve the situation.

There should be a constant agrarian policy in the country. The contribution of agri-cultural sector to our national income amounts to about 50 per cent. Therefore, the Government should spend more money on the activities of this Ministry.

The policy of partial control and decontrol of sugar adopted by the Government is causing great hardship to the agriculturists in the villages. The agriculturist families do not get sugar at controlled rate. The sugar meant for distribution in the rural areas is sold in black market.

The agricultural production is likely to decrease as a result of increase in taxes on agricultural implements, spare parts and petroleum products. If you go on pressing the agriculturists in such a manner, they will become more and more indebted. Their condi-tion has not improved even after independence. The prices of agricultural commodities should be fixed after ascertaining the cost of production. The farmers should be supplied the things that he needs at controlled price and at his place.

Shri Raghubir Singh Shastri (Bagpat) : It is a matter of great pleasure for all of us that our agricultural production has increased during past two years. But we have still to import foodgrains in spite of this record production. Therefore, the position is not at all satisfactory. However, our scientist deserve congratulations for good work they have done in the field of agricultural research. Our agriculturists are eager to make use of the re-search done by our scientists. But the administrative machinery with which the farmer has constant dealing does not help him. We cannot achieve desired results in agriculture unless and until suitable changes are brought about in the machinery.

The sugar-cane in the Western districts of Uttar Pradesh has been affected by two diseases. When I wrote about this to Shri Shinde, he immediately paid attention to this and sent the specialists. However, it is not known what report has been submitted by the team of experts and whether any follow-up action has been taken.

The agriculturists are getting fertilizers in black market. I had written to the Ministry last year that fertilizer mixed with salt is being sold openly. This should be checked. Permanent machinery should be created for that purpose.

It has been stated in the report that 76,000 tube-wells have been sunk by private persons and 2,000 wells have been sunk by the Government. It should also been given in the report how many of them are in working order. There is a great need for providing increased irrigation facilities. High yielding varieties of seeds cannot produce the desired results without irrigation. Electricity should be provided for tube-wells.

Farmers shall be paid remuneration prices. They can benefit by increase of agricultural production only if proper prices are paid to them. About 80 per cent of our population lives in villages. Their purchasing power will have to be increased if you want the country to prosper. The representatives of the farmers should be included in Agricultural Prices Commission until such a step is taken, the agriculturists cannot have any confidence in that Commission.

Before the formation of Congress Government in Uttar Pradesh the mill-owners were paying at the rate of Rs. 9·50 for the sugar-cane. But after formation of that Government the price was reduced to Rs. 7·50. Unless and untill you pay proper prices to the agriculturists, a feeling to increase production will not be aroused in them.

Standard of educating in our agricultural institutes is low. Steps should be taken to improve the standard. All agricultural institutes should be brought under the control of Indian Council of Agricultural Research.

The talk of making agriculture as an industry is repeated almost daily. If it is to be made an industry, necessary steps to provide roads etc. in rural areas should be taken. Other facilities available in cities should also be made available in villages.

In the report of the Ministry it has been stated that 98 per cent villages are covered qA Village Panchayats. But I should like the Minister to visit the villages and see that they are not functioning properly. They have encouraged corruption, mutual rivalry and groupism. No positive results have been achieved by the Panchayats. The Government should consult the experts in the field and take appropriate steps to improve their working. If it is not possible to do that, Panchayats should be abolished.

Shri G. S. Mishra (Chhindwara) : Sir, I rise to support the demands of grants of the Ministry of Agriculture.

Years ago Mahatma Gandhi had said that if you want a true glimpse of India, you should see 7 lakh villages of India. During all the previous plans we have not given due priority to agriculture as a result of which the villagers did not progress as much as the urban areas did.

The first important elemcnt in agricultural production is cultivation of fields. Now bullocks have become uneconomical for that purpose and in those circumstances we need tractors and ancilliary implements. The prices of tractors in India are double than those obtaining in other countries and they are still not available.

Another important thing for purposes of cultivation is seed. Our agricultural experts have done a commendable work in that field. The research scholars engaged in such a work should be given incentives.

It is our first and foremost duty to provide irrigation facilities in all the villages. Gandhiji had long ago said that cultivation without irrigation is a gamble. There has not been much increase in irrigation potential after independence. 3/5th of our irrigation is

done through tanks and wells but they dry up when there are no rains. Most of the electricity generated in the country is consumed in the cities and the agricultural farms do not get the power needed by them. Steps should be taken to meet the requirements of farmers in respect of electricity.

We need 400 pounds of nitrogen per acre but if we utilise all our resources we cannot consume more than 17 pounds per acre. The Government should try to remove the shortage of fertilizers and pesticides in the country.

The commission on price fixation is composed wholly of consumers and there is no representative of producers on it. The farmers do not get remunerative price for their produce. They have to suffer losses on that account. The Government does not have any machinery to calculate cost of production and fix procurement prices on *ad hoc* basis.

Agricultural inputs required by the agriculturists should be supplied to them at reasonable prices so that they can produces more and thus reduce the cost of production.

The price of cotton has not increased in proportion to the rise in prices of cloth. In this way farmers are suffering a loss.

The Central Government are not according sanction to the proposals of Government of Maharashtra for setting up more sugar factories in the State. The farmers want to set up mills themselves, but the Central Government are not given permission to them. Necessary permission for setting up new mills should be given.

Proposed excise duty on pumping sets will increase the burden on agriculturists while they should be helped to increase production. All necessary facilities should be provided to the agriculturists. , Unless the agriculturists are provided with tractors, fertilizers, irrigation facilities and electricity per acre yield will not increase and cost of production will not be brought down. With these word, I support the demands of grands of Ministry of Food and Agriculture.

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमण्ड हार्बर) : खाद्य मंत्री का यह दावा है कि 1970 तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे तथा देश में 'हरी क्रान्ति' आ जायेगी, थोथा निकला है। गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष कोई सुधार नहीं हुआ है। मन्त्रालय ने 1968-69 में जो 9 8 करोड़ की मीटरिक टन उत्पादन का पहले अनुमान लगाया था, वह गलत सिद्ध हुआ है, यह अनुमान तथ्यों पर आधारित न होकर निराधार आशा पर आधारित है।

लक्ष्यों के बारे में कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10 करोड़ मीटरिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जायेगा परन्तु तीन वर्ष बीत जाने पर भी लक्ष्य बहुत कम प्राप्त हुए हैं। 1968 में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1954 जितनी ही है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत पन्द्रह वर्षों में 2,122 करोड़ रुपये के खाद्य पदार्थों का आयात किया गया है। इस राशि का प्रयोग व्यापक रूप से देश में अमरीकीवाद लाने के लिए किया जा रहा है। हमारा खाद्यान्न का आयात प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। गत तीन वर्षों में ही सरकार ने 729 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात किया। सरकार ने इस देश को शाश्वत भिखारी तथा शेष संसार का उपहास का पात्र बना दिया है।

जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया है। 1664-65 में 62.60 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था किन्तु 1967-68 में यह 56 लाख मीटरी टन रह गया है। पश्चिम बंगाल में 1964-65 में चावल का उत्पादन 57 लाख 51 हजार मीटरी टन था किन्तु 1967-68 में यह 51 लाख 98 हजार

मीटरी टन रह गया है ।

पश्चिमी बंगाल में छोटी सिंचाई के सम्बन्ध में वर्तमान नहरों की उपेक्षा की गई है और उनके तल से रेत नहीं निकाली गई । लघु सिंचाई के लिए 1966-69 के बीच भूमि बंधक बैंकों, कृषि पुनर्वित निगम, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा कृषि उद्योग निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को 258.72 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया । किन्तु पश्चिमी बंगाल को कोई ऋण नहीं दिया गया । पश्चिमी बंगाल में एक भी नलकूप द्वारा सिंचाई नहीं की गई ।

जब श्री सेन पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री बने थे तो केन्द्र ने उसे 16,050 मीटरी टन खाद्यान्न दिया किन्तु जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो उसमें से 30 प्रतिशत की कमी कर दी गई । डा० पी० सी० घोष के मुख्य मन्त्री बनने पर इस मात्रा को पुन: 1956 के समान कर दिया गया । तब भी केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि वह खाद्यान्न में राजनीति नहीं लाती । चीनी के बारे में भी ऐसा ही किया गया है । सरकार ने हमारा कोटा कम कर दिया है । अफवाह है कि जिस चीनी पर से नियंत्रण हटाया गया है, उसे खरीदा जा रहा है । मंत्री महोदय बतायें कि इस बात में कहां तक सचाई है कि मिल मालिक उस चीनी को खरीद रहे हैं, जिस पर से नियंत्रण हटाया गया है ।

केन्द्रीय सरकार जानबूझ कर पश्चिमी बंगाल की समस्याओं की उपेक्षा करती रही है । बंगाल की खाड़ी के मीन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है । बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार मीनक्षेत्रों के विकास का कार्य किया गया है, उसके बारे में प्राक्कलन समिति ने अपने चालीसवें प्रतिवेदन में अप्रसन्नता व्यक्त की है ।

रिज़र्व बैंक का एक दल अब बम्बई तथा मद्रास का दौरा कर रहा है । उनके अध्ययन दलों ने मंगलौर तूनीकोरिन तथा विशाखापटनम के बारे में प्रतिवेदन दिया है । उसमें पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । यद्यपि वे पश्चिम बंगाल की सहायता करना चाहते हैं तथापि केन्द्रीय सरकार उन्हें अनुमति नहीं देती ।

केन्द्रीय मीनक्षेत्र विकास की स्थापना 1965 में हुई थी । कहा गया था कि निगम दस हजार मीटरी टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन आरम्भ करेगा परन्तु इसकी तुलना में वह प्रति दिन 2 मीटरिक टन मछली का उत्पादन भी नहीं कर सका । 1965-66 में उसने केवल 393 मीटरिक टन मछली पकड़ी और फिर निगम प्रति वर्ष घाटे में चल रहा है । खेद की बात है कि इस मंत्रालय ने रेलवे मन्त्रालय से प्रशीतन गाड़ी की व्यवस्था करने के लिये नहीं कहा जिससे प्रचुर मात्रा में मछली उपलब्ध होने वाले स्थानों से मछली लाई जा सके ।

सहकारी संस्थाओं में 18 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है । शक्ति चालित करघा उद्योग का कांड खेदपूर्ण है, मंत्री महोदय को सभा में बताना चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

Shri Ahmad Aga (Baramula) : Sir, I support the demands of the Ministry because I feel that the Ministry has incurred expenditure in a right manner.

Agricultural development cannot be brought about by Alladin's lamp. It has to be a gradual process and that has been taking place. A net work of Canals has been laid, tractors have been arranged for the farmers, high yielding varieties of seeds have been supplied to them and insecticites have been distributed to them and as a result of all that food production has reached a record of 95 million tonnes. Nearly 20 per cent of irrigated area has already come under double cropping and out of a target of 21 mililion areas, 31 million acres has been brought under irrigation.

Before the beginning of the plans Rs. 22.9 crores had been advanced as aggricultural loans, whereas know Rupees 450 crores are being distributed for that purpose. Apart from that, a deposit insurance scheme of the cooparative banks has also been launched and the Agricultural Credit Corporation has been formed to advance money to cooperative societies for helping the agriculturists. Good progress have also been made in the field of fisheries and dairy forming.

However, it remains a fact that small farmers has not derived any benefit thereby. They are not able to get loans because being the owners of small pieces of land, they are not considered trustworthy. It is hoped that the Ministry to take adequate steps to see that they are given credit.

It is a disturbing trend that big businessmen are turning their attention to agriculture. It will adversely affect small farmers. It is necessary to implement land reforms and fix a ceiling on land. Surplus land should be distributed to small farmers.

It appears that Kashmir has been totally lost sight of in the matter of irrigation and power. During the past tweenty years, no major or medium irrigation project has been given to Kashmir. Agricultural Credit Cooperatives are also not functioning in that State. Nothing has been done their in the matter of fishing and dairy farming.

The pre-investment survey should be held in Kashmir Valley instead of Kishtwar because both electricity and wood-based industry are available in the valley. Moreover, the problem of unemployment in the valley is also very serious.

One or two mechanised boats should be provided for the facility of fishermen in water lake because they have to face difficulty when it is windly. I hope more attention will be paid towards Kashmir.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : India lives in villages and there are 5.5 lakhs villages in India. Nearly 85 per cent of Indians are dependent on agriculture. No amount of other measure will achieve the objective of self-sufficiency unless the basic problem of land reforms is solved. The promise of 'land to the tiller' will have to be fulfilled and other develodment schemes will also have to be prepared for the villages if the condition of poor agriculturists is sought to be improved.

The capitalists have now turned their attention to agriculture in order to turn their black money into white money. While we welcome any effort which brings about increase in agricultural production, this trend will adversely affect, the interests of small agriculturists because the capitalists will be requiring more tractors, fertilisers etc. and that will deprive the small agriculturists to that extent. The small agriculturists suffer in many way. Sufficient irrigation facilities are not provided to them and they still depend on rains. Due to difficulties in getting loans from Governmental agencies and cumbersomeness of procedures, they continue to be in the clutches of money-lenders. Seeds and fertilisers are not made available to them in time. The Cooperatives have not been of much use to them. The problem of youth unemployment in rural areas can be solved to a great extent and food production can be increased if the Government organises a land army.

Lakhs of rupees of public money, which was supported to be spend on the welfare of the poor, have been misused and misappropriated by Bharat Sewak Samaj.

The country has suffered because of new sugar policy of partial decontrol under which 60 per cent sugar is controlled and 40 per cent decontrolled. An agriculture commission

should be set up to look into all the problems of the farmers. They must be freed from burden of debt. Food corporation should handle all trade in foodgrains. Land should be distributed to landless farmers. Only then we can solve the food problem.

श्री वेंगलराया नायडू (चित्तूर) : देश में कृषि क्रांति लाने के लिये मैं कृषि मंत्रालय को बधाई देता हूँ। यद्यपि प्रति वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, तथापि जनसंख्या में वृद्धि उससे भी अधिक गति से हो रही है। इस वर्ष 9.56 करोड़ मीटरिक टन खाद्यान्न की उपज के बावजूद हमें 58 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न आयात करना पड़ा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इससे मालूम होता है कि हम कृषि उपज के मामले में अभी बहुत पीछे हैं। यदि हम वास्तव में खाद्यान्न की उपज बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कृषकों को प्रोत्साहन देना होगा तथा उन्हें विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ेंगी। अन्यथा हम बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का सामना नहीं कर सकेंगे तथा हमें प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा।

विदेशों में एक वर्ष पूर्व खाद्यान्न के न्यूनतम तथा सहायक मूल्य निर्धारित किये गये थे ताकि कृषक यह सोच सकें कि वह कौन सी फसल उगायें तथा उसके अनुसार अपनी योजना बना सकें। हमारे देश में खाद्यान्न के बाजार में आने के पश्चात भी मूल्य निर्धारित नहीं किये जा सके हैं। अब तक सरकार ने चावल और गेहूँ के मूल्य ही निश्चित किये हैं परन्तु किसी अन्य कृषि उपज के मूल्य निश्चित नहीं किये जा सके हैं। कृषक को अंधकार में रखा जाता है।

कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि गेहूँ के मूल्य कम किये जायें। इससे मालूम होता है कि कृषि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति इस आयोग में नहीं है। यदि वे वास्तव में यह चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो तो उन्हें 1971 अथवा 1972 तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे। यदि मूल्य कम कर दिये गये तो कृषक व्यवहारिक फसलें उगाना शुरू कर देंगे तथा उनका प्रभाव गेहूँ के उत्पादन पर पड़ेगा।

सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरिक टन निर्धारित किया है। गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का यह तरीका गलत है। यदि गन्ने में तत्व कम हों कम मूल्य होना चाहिए और यदि अधिक हो तो अधिक मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। गन्ने का न्यूनतम मूल्य 125 रुपये प्रति मीटरिक टन होना चाहिये तथा इससे अधिक मूल्य रखते समय गन्ने का शर्करा तत्व ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कृषकों पर अधिक उपज के लिए कर लगाया जा रहा है जबकि उद्योगपतियों को करारोपण से मुक्त रखा गया है तथा अन्य प्रकार की सुविधायें दी गई हैं। कृषि सम्पत्ति कर समाप्त किया जाना चाहिए तथा पशु बीमा योजना चालू की जानी चाहिये।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : If we want the agriculturists to increase their production, three important pre-requisites i.e. Water, good seeds and manure or fertilisers, ought to be fulfilled. It is necessary to pay attention to minor irrigation works, if we want to solve the problem of water. Good seeds do not reach the farmers in time and they have to defend on certain persons for fertilisers.

The licensing system should be finished and they should be able to get fertilizers from where they like. Action should also be taken for utilization of cow dung as manure which is now being consumed as fuel.

Food Corporation should be scrapped. The cases of corrupt practices of the corporation in Rajasthan have been brought to your notice. But I don't think any stringent action will be taken against them.

There is large scale wastage of foodgrains from Government Stores. It was recently stated by the Rajasthan Deputy Minister of Food in the state Assembly that wheat in large quantity was taken away by the pigeons. Government has been sustaining loss in state trading in foodgrains. There is large scale corruption in Food Corporation. It should be reported. The traders should be provided facilities. All of them are not cheats. The inspectors and officers harass traders very much. If the working of Food Corporation is to continue in this manner, it would be better to abolish this corporation.

The zonal schemes in regard to foodgrains should be done away with to provide food to all in our country. There are vested interests, who do not want to abolish this system. There are certain officers who want this to continue. I know that hon. Minister is against these zonal restrictions. The farmers will benefit by abolition of zonal scheme. The consumers will get foodgrains at cheaper rates.

The rice mills in Rajasthan are closed for want of paddy. Government is going to open 60 more mills in cooperative sector there. This will worsen the employment situation all the more. This matter should be considered seriously.

The consolidation holdings work is held up in Rajasthan. This is causing great hardship to farmers. They have to spend too much money on litigation. Some provision should be made to relieve them from difficulty.

Large tracts of land are lying waste near hills in Rajasthan. This land should be given to farmers and brought under cultivation. The work relating to Rajasthan canal should be expedited. The agriculture colleges should be opened in the rural areas, so that sons of farmers could learn the new techniques in farming. The U. P. Government has removed all restrictions on Khandsari. This Government should follow suit.

Shri Balgovind Verma (Kheri) : It is admitted by all that the progress of India depends on the progress of villages of the country. We should not form our opinion by observing the progress in cities.

Our farmers lot is very miserable. They do not have the essential facilities at their disposal.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

[Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

They have to depend on nature. The year 1968 was a good year for them. It is very improper to levy tax fertilizer. It will a burden on farmers. Government should tax black money instead. The cost of cultivation has gone up many fold.

And now farmers have to use modern methods of agriculture, which are very costly. Government should provide them tractors at cheaps prices. Various types of tractors are being imported now. Farmers find it difficult to get spare parts of tractors. Government should import only one or two types of tractors. Arrangements should be made for repairing tractors of farmers. We are importing tractors from many countries. An Agrio-Industrial corporation has been set up in U.P. It is not doing good work. Its working should be improved.

The Russian tractors which are fully assembled should be sent straight from port to its destination. At present these are first sent to Punjab and from there they are sent to other states.

The farmers should be provided all essential imports at cheap rates. They need water, seeds and fertilizers. Instead of providing them these things at low cost, the prices of these items are being increased. It is not good. I suggest that Irrigation and Power Ministry should be under the Minister of Agriculture.

Our aim is to establish socialist pattern of society. Have we been able to move towards that aim ? The cost of living is going higher. Our efforts go waste. We must give remunerative price to the farmers.

We should take every step to become self sufficient in the matter of foodgrains. A commission should be appointed to assess cost that farmers have to bear and the margin that accrues.

The sugarcane growers are not given price for their product. This matter should be looked into. The millowners want to dictate their terms. The growers should be given production by Government.

The cooperatives are for the benefit of common man. But they are being misused.

I can give the example of New Delhi Cooperative Bank. About 3 lakhs rupees of public money have been embezzeled in that. It should be enquired into.

श्री एस० एम० कृष्ण (मान्डया) : अनेक माननीय सदस्यों ने मन्त्री महोदय को देश में अच्छा उत्पादन होने की बधाई दी है । मुझे इस में कुछ सन्देह है । वित्त मन्त्री ने कृषिसे होने वाली आय पर कर का जो प्रस्ताव रखा है उससे सिद्ध होता है हमें इस बारे में अभी अपनी नीति निर्धारित करनी है । जबतक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हम बधाई के पात्र नहीं हैं । अभी तो हमें बड़ी मात्रा में अनाज आयात करना पड़ता है ।

सरकार की नीति है कि सहकारी क्षेत्र चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाये । परन्तु आज क्या हो रहा है ? मैसूर सरकार ने निजी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने की सिफारिश की है । ऐसा करना औद्योगिक नीति संकल्प के विपरीत जाना होगा । मेरे क्षेत्र में एक सहकारी क्षेत्र में मिल स्थापित करने का प्रस्ताव था । वहां पर मद्रास के कुछ लोगों ने चाल चलकर वह प्रस्ताव समाप्त कर दिया है और गैर सरकार में चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया है । यह उचित नहीं है । मुझे यह जानकारी सहकार समिति के प्रमुख व्यक्ति से प्राप्त हुई है । समिति से यह प्रस्ताव पारित करा दिया गया है कि उसके पास संसाधन नहीं हैं ।

श्री गुरुपादस्वामी : यह एक अलग बात है । सहकार समिति को संसाधन तो स्वयं जुटाने होंगे । हमें ऐसी जानकारी नहीं है कि सहकार समिति ने गैर-सरकारी व्यक्तियों को अपने अधिकार दे दिए हैं ।

श्री एस० म० कृष्ण : सहकारिता क्षेत्र भी संसाधनों के लिए सरकार से सहायता की आशा करता है । मेरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभनी) : चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने और चीनी पर नियन्त्रण के बारे में सरकार की नीति बहुत त्रुटिपूर्ण ढंग से तय की जाती है । सरकार के अधिकारियों पर धनी लोगों का प्रभाव रहता है । सहकारी क्षेत्र की सहायता नहीं की

जाती। सरकारी अधिकारियों का रवैया धनी लोगों को सहायता देने का रहता है। माननीय मन्त्री को शायद इसका ज्ञान होगा कि हमारे कानूनों और संविधान के उपबन्धों पर किस प्रकार अमल किया जाता है।

मन्त्रालय को यह निर्णय करना चाहिए कि सभी चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में होंगी। इससे गन्ना उत्पन्न करने वालों को लाभ होगा। छोटे छोटे लोग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए धन लगाना सरल है। हमारे खाद्य तथा कृषि मन्त्री निम्न वर्ग की सहायता के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने जब भी उनकी सहायता चाही है उन्होंने हमारी सहायता की है। मुझे खेद है कि जब हमने किसानों के लिये सामूहिक रूप से लाइसेंस की मांग की है उन्होंने सहायता नहीं की। हमारे देश में चीनी की कमी है। उपभोक्ताओं को चीनी बहुत मंहगी लेनी पड़ती है। हमें वास्तविकता को समझ कर चलना चाहिए और किसानों की सहकार समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य बढ़ाया जाना चाहिए और लाइसेंस देने की नीति को उदार करना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि निर्धन किसानों की सहायता करे तथा उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करे। हमारे किसानों ने विशेष प्रकार के गन्ने की किस्म तैयार की है। उससे चीनी अधिक मात्रा में तैयार होती है। उन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने में कठिनाइयां नहीं खड़ी की जानी चाहियें। मुझे पता चला है कि हमारे देश की चीनी बनाने की 80 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रहती है। सरकार को स्थिति सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरे क्षेत्र के लोगों ने 1956 में एक सहकारी समिति बनाकर लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था कि हमें चीनी मिल की स्थापना की अनुमति दी जाए। बारह वर्षों तक हमने प्रतीक्षा की है। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। हम मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहते हैं कि अब हमें अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

Shri Shinkre (Panjim) : I came from Goa. The people of that area are practical people. We want to merge with Maharastra. Many states have asked for location of fifth steel plant in their states, but we the people of Goa say that the location should be decided keeping in view the larger national interests. The mineral resources of Goa must be exploited for earning foreign exchange.

I demand that a sugar factory should be established in Goa. It has been a long standing demand of people of Goa. Sugarcane is available there in adequate quantity. This demand should be met without further delay.

We should think of other by products alongwith sugar. These are alcohol, newsprint, bogasse etc. These are equally important items. I know of Andman, Nicobar Islands. These Islands are really very enchanting places. There they have a cooperative society which deals in coconut and betalnuts. It is having roaring business in these items. But the main snag in working of the cooperative is that it is in the hand of an individual. He is making personal profits in the name of cooperative. It should be inquired into. Government should take a decission to curb such cooperative societies.

Shri Mudrika Prasad (Aurangabad) : The means of assessing India ; progress is agriculture. If agriculture has made progress, we can say India has made progress. A great effort is being made to bring about an increase in agricultural production. Modern scientific methods are being adopted. A green revolution has been brought. I am afraid this enthusism of farmers will be curbed by boying taxes on fartilizer. We should give some

incentive to them instead. Only a section of farmers have been benefited during this green revolution. We have not provided facilities to all the farmers. They have to face many hurdles in getting good quality seeds and fertilizers. The difficulties should be removed and they should be provided all inputs at cheap rates.

The electricty is supplied at cheap rates to the industrialists. They get at 3-4 Paise per unit but the farmers have to pay 20 Paise per unit. In Bihar they charge extra servicing. In addition to that there are certain other taxes also. The poor farmers have to bear all this burden. Keeping in view all I do not find any wisdom in boying taxes on fertilizers and enhancing of duty on pumps. Prices of inputs are already very high in our country. I do not know where is the justification for increasing prices again.

Almost all states in the country have their Agricultural Universities but it is only in Bihar that there is no such University. An Agricultural University after the name of Dr. Rajendra Prasad, our first President, who was a farmer, should be set up in Bihar without further delay.

The scheme of crop insurance should be introduced in order to protect the interests of farmers. They have to gamble in rain. This scheme will make them free from worry and they will be able put more labour. Similary cattle insurance should also be considered. The cattle wealth of the country should be preserved. We should open more Goshalas. More posture lands should be prepared. By doing so we can get more milk. It is a than that we should import milk powder in order to meet our milk requirements. The live stock should be improved.

Our country is an agriculture country. We must provide all necessary aids for agriculture. Tractors should be manufactured in the country and distributed to the farmers. Russain tractors are being imported. Spare parts of this are not available. Suitable pumps are in short supply.

Inspite of all this great progress has been made in research work. It has resulted in bringing green revolution. But this progress should not be retarded by these taxes on agriculture. The Agriculture Ministry should come forward and oppose this new tax. On the other hand farmers should be given incentive to produce more and more.

श्री य० आ० प्रसाद (मछली पटनम) : भारत की अर्थ व्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट में आशा बंधती है। अब आशा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। कृषि में नये प्रयोग किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। हमें कपास, पटसन, तिलहन और गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अत: मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हमें खाद्यान्नों के साथ अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिये।

फसलों के लिये मालगोदाम, उनके लाने ले जाने और उनके बेचने आदि सुविधाओं के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। इन कार्यों के लिए सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों से लाभ उठाया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

कृषि उत्पादों के स्टाकों के बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिये। फसलों और पशुओं के बीमे की किसानों की बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने कई वर्ष पूर्व इसका आश्वासन दिया था। जीवन बीमा निगम को यह कार्य सौंपा जा सकता है। नहीं तो इस कार्य के लिये एक और संगठन स्थापित किया जा सकता है।

यह एक अच्छी बात है कि बैंक कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कर रहे हैं। इससे उत्पादन में

वृद्धि होगी । यदि स्टोर करने, बीमा और सड़क परिवहन की व्यवस्था कर दी जाये तो बैंक कृषि के लिये और अधिक सहायता कर सकते हैं ।

कृषि पर प्रस्तावित कर एक अच्छा कदम नहीं होगा । इससे गम्भीर प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो जायेंगी । इस कर से देहातों का औद्योगीकरण नहीं हो सकेगा । इससे बेकारी की समस्या और अधिक जटिल हो जायेगी । यह कर उचित नहीं हो होगा । सरकार को प्रस्तावित कर के लगाने पर पुनः विचार कर के इसे वापिस लेना चाहिये ।

सरकार को किसानों में इस भरोसे की भावना को प्रोत्साहन देना चाहिये कि उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा । देश की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए । टाटा द्वारा उर्वरकों के कारखाने को शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए । सरकार को ऐसी परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय करना चाहिये ।

Shri Yamuna Prasad Mondal (Samstipur) : It is a matter of pride that India's image has been brightened by green revolution. We should appreciate the scientists who have created these records. These new seeds are still to be used in full measure. We should supply these to the poor farmers. Now we have started nuclear research in these fields. We should set up more research institutes and provide latest methods to the farmers. Some institutes should be set in Bihar as well. All essential facilities for that are available there. As has already been demanded an Agricultural University should be set up Bihar. It will help in a improving the condition of poor people of Bihar. Land reforms should be introduced in Bihar. We have pinned great hopes in Shri Jagjiwan Ram. If our hopes are not fulfilled, we would be ruined. My area is very backward. It deserves special attention for development.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : This ministry is very important ministry. It is very strange that our country, being an agricultural country is not self sufficient in the matter of foodgrains. There are four essential requirements for improving agriculture. They are irrigation, sowing, seed and water. We must ensure irrigation for land. Our every effort should be directed toward improving agriculture. We should provide water, fertilizer and good seeds to farmers.

U. P. badly lacks in these things. There is acquate proverty there. People do not get a sequare meal. Patel Commission has recommended certain measures. It is not possible for state Government to implement them. The Central Government should come forward with neeessary help.

It is painful that very few tubewells have been sunk in Balia district. The people of Balia and Deoria districts have to face great difficulties during floods and drought. Necessary arrangements may be made there for irrigation. An Agricultural University in Balia and a Veterinary hospital should be opened in Doeria. Certain districts in eastern U. P. are in the grip of acute drought. Measures may be taken to supply water there.

The zonal scheme in regard to foodgrains should be scraped. A national scheme for increasing the food output should be prepared.

Arrangements for water and power supply should be made. Profiteering, hoarding and blackmarketing should be stopped. Insecticides should be used on larger scale. Crop and cattle insurance shoud be introduced. The price of sugar cane should be enhanced. The millowners owe large runs to growers. Its payment should be expedited.

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ । मैं गुजरात राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ । वहां 27.2 लाख टन की कुल कमी होगी । वहा पर

केन्द्रीय सरकार राज्य को अनाज सप्लाई करती रही है । राज्य द्वारा पीछे आयात की जाने वाली मात्रा की अपेक्षा सप्लाई बहुत कम हुई है । राज्य में सूखे की स्थिति में कम सप्लाई होने के कारण गम्भीर हालत खड़ी हो जाने का भय है । ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते अनाज की माँग बहुत बढ़ गई है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सप्लाई की मात्रा बढ़ायें और दामों में कमी करें ।

यदि क्षेत्रीय व्यवस्था कायम रखनी है तो पंजाब के दरों पर राज्य में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध किया जाये । गुजरात को 20,000 टन चावल प्रति मास दिया जाये ।

देश में दूध की कमी को दूर करने के लिग पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाये । अच्छी नस्ल की गौएं हरिजनों को दी जायें । कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिएं । ग्राम पंचायत को अच्छी नस्ल के सांड दिये जाने चाहियें ।

गांवों में सहकारी ऋण समितियों को ट्रेक्टर दिये जाने चाहियें और प्रत्येक गांव को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहियें । पिछड़े वर्गों के लोगों को ट्रेक्टरों के चलाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । अधिक संख्या में कृषि प्रधान स्कूल खोले जाने चाहियें ।

देहाती क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहियें । प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि बांटी जानी चाहिये । ग्राम सेवकों को ग्रामों में वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने में हाथ बंटाना चाहिये । मैं सरकार के प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1969/21 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, April 11, 1969/Chaitra 21, 1891 (Saka)

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।